भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वर्ष 2013 का प्रतिवेदन

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय – 1 **राज्य सरकार के वित्त**		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.2	1
बजट अनुमान तथा वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	5
संसाधनों के प्रयोग	1.6	8
व्यय की गुणवत्ता	1.7	11
सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	13
परिसम्पत्तियां तथा देयताएँ	1.9	15
ऋण धारणीयता	1.10	15
राजकोषीय असंतुलन	1.11	17
निष्कर्ष	1.12	20
सिफारिशें	1.13	21
अध्याय – 2 **वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण**		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	23
वित्तीय जबावदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	24
आकस्मिक निधि से अग्रिम	2.4	39
वसूलियों के समायोजन से व्यय में कमी	2.5	39
रिक्त पदों हेतु अनावश्यक प्रावधान	2.6	40
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.7	43
अनुदान सं. 5- गृह के पुनरीक्षण का निष्कर्ष	2.8	45
आन्तरिक लेखापरीक्षा	2.9	50
निष्कर्ष	2.10	51

सिफारिशें	2.11	51
अध्याय – 3 वित्तीय प्रतिवेदन		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	53
लेखों की गैर-प्रस्तुति/प्रस्तुति में विलम्ब	3.2	54
लेखापरीक्षा को लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.3	55
दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.4	56
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.5	57
व्यक्तिगत जमा खाते	3.6	58
उचंत शेष	3.7	59
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	3.8	60

क्र.सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	65
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	66
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	68
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	71
1.5	वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	71
2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ बचतें प्रत्येक ₹ 5 करोड़ से अधिक सी. एस. एस./एस.सी.एस.पी. के लिए ₹1 करोड़) थीं अथवा कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थीं	75
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे अथवा वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी लेखे में भेजे गए ।	98
2.3	पूर्व वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के लिए आवश्यक नियमन	101
2.4	अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक)	105
2.5	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग (जहाँ अंतिम बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक थीं)	108
2.6	वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पणों के परिणाम (कुल प्रावधानों के 40 *प्रतिशत* या उससे अधिक)	111
2.7	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जिसमें बचत हुई लेकिन जिसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया	112
2.8	₹ 1 करोड़ तथा अधिक की गैर-अभ्यर्पित बचत का विवरण	113
2.9	31 मार्च 2012 को ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के मामले	114
2.10	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस और एससीएसपी योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोगी रहा	115
2.11	पूँजीगत शीर्ष की बजाय राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अशुद्ध वर्गीकरण की विवरणी	117

2.12	संसद/विधायिका के पूर्व अनुमोदन के बिना निकायों/प्राधिकरणों के सहायता अनुदान के प्रावधान में वृद्धि	121
2.13	संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना 'आर्थिक सहायता' के प्रावधानों में वृद्धि	124
2.14	₹1 करोड़ अथवा अधिक की बचत	125
2.15	निरंतर बचत	127
2.16	आँकड़ों में अंतर	129
2.17	अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण	130
2.18	व्यय की अधिकता	131
2.19	अवास्तविक बजटिंग	133
3.1	31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	134
3.2	लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब	143
3.3	दुरूपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विवरण(मामले जिनमें मार्च 2011 के अंत में अंतिम कार्रवाई लम्बित थी)	144
3.4	सरकारी समान की चोरी, दुरूपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के संबंध में विभाग-वार/श्रेणी-वार विवरण	144

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा अध्याय 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जाँच के उपरान्त सामने आये मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है ।

'वित्तीय प्रतिवेदन' पर अध्याय 3, विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है ।

विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन-देनों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों को तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से सामने आई अभ्युक्तियों तथा राज्य राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिवेदन में राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियाँ सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं ।

कार्यकारी सारांश

मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेणात्मक पुनरीक्षण प्रदान करता है । प्रतिवेदन की संरचना तीन अध्यायों में की गई है ।

अध्याय 1 वित्त लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है । यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के कुल मुख्य राजकोषीय संबंधी हो रहे विवेचनात्मक परिवर्तनों का भी विश्लेषण करता है ।

अध्याय 2 विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण तथा सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा किस प्रकार आबंटित संसाधनों का प्रबंधन किया गया था, दर्शाता है ।

अध्याय 3 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार की विभिन्न वित्तीय नियमावली, कार्यविधियों तथा निदेशों की अनुपालना का विहंगावलोकन है ।

इस प्रतिवेदन के परिशिष्ट में कई स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़े भी निष्कर्षों के समर्थन में संलग्न है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1 राज्य सरकार के वित्त

राजस्व प्राप्तियाँ: राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2630.93 करोड़ (10.51 *प्रतिशत*) से घट गई । कर राजस्व में ₹ 3493.92 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि गैर कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान क्रमशः ₹ 3728.08 करोड़ एवं ₹ 2396.77 करोड़ से घट गए थे । 2007-11 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों के संयोजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ वृद्धि की प्रवृत्ति थी । राज्य प्राप्ति में कर राजस्व का अंश 2007-08 में 79.01 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2010-11 में 65.85 *प्रतिशत* हो गया। 2011-12 के दौरान यह प्रवृत्ति विपरीत हो गई, जब यह 89.19 *प्रतिशत* बढ़ गया। 2011-12 में राजस्व प्राप्तियाँ 2010-11 की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में 10.51 प्रतिशत घट गई । समान अवधि में स.रा.घ.उ. की वृद्धि 18.69 प्रतिशत थी ।

राजस्व व्यय का कुल व्यय में अधिक अंश

चालू वर्ष के दौरान ₹ 17964.36 करोड़ का राजस्व व्यय गत वर्ष के व्यय से ₹ 3583.12 करोड़ (24.91 *प्रतिशत*) से आंशिक रूप से बढ़ गया है । 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय (ऋण तथा अग्रिम को छोड़कर) का 81.77 *प्रतिशत* था ।

विकास व्यय पर अपर्याप्त प्राथमिकता :

पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष से ₹ 19.47 करोड़ (0.48 प्रतिशत) बढ़ गया । वर्ष 2011-12 के दौरान पूँजीगत व्यय कुल व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को छोड़कर) का 18.23 प्रतिशत था जिससे राज्य द्वारा निधियों के कम उत्पादक आवंटन का पता चलता है ।

निवेश एवं लाभ: 31 मार्च 2012 को सरकार ने ₹ 14655.90 करोड़ सरकारी कंपनियों/निगमों में निवेश किया हुआ था । पिछले तीन वर्षों के दौरान इन निवेशों पर लाभ मात्र 0.33 *प्रतिशत* था जबकि 2009-2012 के दौरान सरकार द्वारा अपने उधार पर भुगतान किए गए ब्याज का औसत दर 9.46 *प्रतिशत* था ।

राजकोषीय देयताओं का स.रा.घ.उ. में उच्च अनुपात: राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं में 2010-11 में ₹ 30140.09 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 29608.29 करोड़ (1.76 *प्रतिशत*) हो गई । 2011-12 के दौरान ₹ 29608.29 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में ₹ 29608.28 करोड़ की लघु बचत संग्रहण तथा ₹ 0.01 करोड़ की अन्य सहकारियों को दी गई सहकारी सहायता सम्मिलित थीं ।

राजकोषीय स्थितिः राजस्व अधिशेष एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाते हुए 2007-08 में ₹ 5141.86 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10642.36 करोड़ हो गया । लेकिन, 2011-12 के दौरान एक भारी कमी देखी जा सकती है । 2011-12 में यह ₹ 4428.31 करोड़ तक घट गया । राजकोषीय घाटा बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाते हुए 2007-08 में ₹ 2040.90 करोड़ से 2009-10 में ₹ 3549.96 करोड़ हो गया । यह 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के साथ धनात्मक था, किन्तु फिर यह 2011-12 में ₹ 2545.20 करोड़ के साथ पुनः ऋणात्मक क्षेत्र में आ गया ।

2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2011-12 के दौरान, ₹ 28050.67 करोड़ के कुल अनुदान एवं विनियोजनों में से ₹ 26458.40 करोड़ का व्यय किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 1592.27 करोड़ (5.67 प्रतिशत) की निधि अव्ययित रही । ₹ 1592.27 करोड़ की कुल बचत, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत ग्यारह अनुदानों एवं एक विनियोजन (लोक ऋण) में से ₹ 1261.50 करोड़ की बचत, आठ अनुदानों में ₹ 519.30 करोड़ और पूँजीगत क्षेत्र के अंतर्गत एक विनियोजन पॉच अनुदानों के अंतर्गत ₹ 188.53 करोड़ की अधिकता के परिणाम स्वरूप है ।

2011-12 के विनियोजन लेखों से यह स्पष्ट है कि 243 मामलों में, ₹ 5.00 करोड़ से (केन्द्र प्रायोजित स्कीम अनुसूचित जाति सह योजना के लिए ₹ 1 करोड़) अथवा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक बचत थी । ₹ 4321.60 करोड़ की कुल बचतों के प्रति 4 अनुदानों और 1 विनियोजन से संबंधित 22 मामलों के प्रत्येक मामले में ₹ 50.00 करोड़ से अधिक, ₹ 2763.46 करोड़ (*63.94 प्रतिशत*) की बचत है ।

9 अनुदानों के 42 उप-शीर्षों में, वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति के पहले विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत समस्त प्रावधान विभागों द्वारा अव्ययित रहे अथवा सरकारी लेखों में जमा किए गए । समस्त प्रावधानों की बचत इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त संवीक्षा किए गए बिना अनुमानों के तैयार किया गया था । मुख्य योजनाएं जो प्रारंभ नहीं हो सकी थीं अथवा समस्त प्रावधानों का उपयोग नहीं हो पाया, उनमें शामिल थीः नगर सुधार के लिए सहायता अनुदान (₹300.93 करोड), पॉवर स्टैबिलाइजेशन फण्ड डी पी सी एल के लिए इक्विटी (₹ 200 करोड़) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं सीवेज विकास कार्यों के लिए दि.ज.बो. को (₹ 70 करोड़) सहायता अनुदान की विशेष योजना, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सड़कों के निर्माण के लिए एमसीडी को ऋण

(₹ 50.60 करोड़) और जिला एवं अन्य सड़कें-अन्य व्यय-सी आर एफ योजना (₹ 50 करोड़) । इस प्रकार उपरोक्त मदों के परिप्रेक्ष्य में बजटीय प्रावधानों की संवीक्षा की आवश्यकता थी ।

अधिक व्यय के पूर्वानुमान में 31 उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 118.48 करोड़ के पूरक अनुदान लिए गये थे । यद्यपि, अंतिम व्यय मूल अनुदान / विनियोजन से भी कम था । अनुचित पुनः विनियोजन अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं 40 उपशीर्षो के अंतर्गत ₹ 211.95 करोड़ की बचत हुई ।

83 मामलों में, ₹ 134.71 करोड़ के एक समेकित व्यय को गलतरूप से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था ।

4 मामलों में विधान मण्डल के अनुमोदन के बगैर मद शीर्ष '33-आर्थिक सहायताएँ' में पुनर्विनियोजन के द्वारा प्रावधानों में मूल प्रावधान से 10 प्रतिशत अथवा ₹ 10 करोड़ से ज्यादा वृद्धि थी ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन

विभिन्न अनुदानित संस्थानों से जारी ऋणों और अनुदानों के प्रति उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्राप्त करने में विलंब था । मार्च 2012 के अंत में कुल 4587 अनुदानों में से, विभिन्न विभागों के ₹ 14591.62 करोड़ के 4444 उपयोगिता प्रमाणपत्र बकाया थे । 4444 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 3776.49 करोड़ के 2067 उपयोगिता प्रमाणपत्र (46.51 *प्रतिशत*) पिछले 10 वर्षों के बाद भी बकाया थे ।

31 मार्च 2012 तक पाँच स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के मार्च 2010-11 के 21 वार्षिक लेखे लेखापरीक्षा को नहीं सौपें गए । विशेष रूप से, दिल्ली बिल्डिंग और अन्य निर्माण कर्मचारी कल्याण बोर्ड, इंद्रप्रस्थ तकनीक संस्थान एवं दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड ने अपनी स्थापना से (क्रमशः 2002-03, 2008-09 तथा 2010-11) अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए, जबकि नेताजी सुभाष तकनीक संस्थान के 2008-09 से तीन वार्षिक लेखे बकाया थे । दिल्ली जल बोर्ड ने 2006-07 से अपने पाँच लेखे प्रस्तुत नहीं किए ।

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

दिल्ली की पृष्ठभूमि

देश की राजधानी दिल्ली देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक सघन आबादी का क्षेत्र है । दिल्ली की जनसंख्या में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से (भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार) बढ़कर 11297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है (भारत की 2011 की जनगणना) । भारतीय औसत की तुलना में दिल्ली में साक्षरता दर अधिक व शिशु मृत्यु दर कम है । दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2002-03 से 2011-12 के दशक में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (14.46 *प्रतिशत*) की तुलना में अधिक गति (16.84 *प्रतिशत*) से बढ़ा है **(परिशिष्ट 1.1)** ।

1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि । इनमें, कोई लोक लेखा नहीं है । ऋण (समेकित निधि में शामिल किए जाने के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंत से संबंधित लेन-देन संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किए जाते हैं । इसी प्रकार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के नकद शेष का विलय किया जाता है तथा संघ सरकार के सामान्य नकद शेष का हिस्सा बनता है । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे सोलह विवरणियों में रखे जाते हैं जो रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि में प्राप्तियों और व्यय, राजस्व तथा पूँजी को दर्शाते हैं **(परिशिष्ट 1.2)** ।

यह अध्याय मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समस्त प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष से संबंधित कुल मुख्य राजस्व में अति महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है ।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पूर्व वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि **परिशिष्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों व संवितरणों तथा कुल वित्तीय स्थिति के ब्यौरे प्रस्तुत करता है:

तालिका 1.1 : चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2010-11	2011-12		2010-11	2011-12		
भाग-क राजस्व	**कुल**	**कुल**	**भाग-क राजस्व**	**कुल**	**गैर-योजना**	**योजना**	**कुल**
राजस्व प्राप्तियाँ	**25024.10**	**22393.17**	**राजस्व व्यय**	**14381.74**	**11524.00**	**6440.85**	**17964.85**
कर राजस्व	16477.75	19971.67	सामान्य सेवाएं	3728.95	4254.62	92.61	4347.23
कर-भिन्न राजस्व	4188.95	460.87	सामाजिक सेवाएं	8718.80	4902.82	5814.29	10717.11
संघ करों/शुल्कों का अंश	-	-	आर्थिक सेवाएं	1392.46	1638.27	533.95	2172.22
भारत सरकार से अनुदान	4357.40	1960.63	सहायता अनुदान तथा अंशदान	541.53	728.29	0	728.29
भाग-ख पूँजी			**भाग-ख पूँजी**				
विभिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत परिव्यय	**3984.80**	**4.31**	**3999.96**	**4004.27**
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	**436.77**	**376.25**	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	**6364.73**	**85.93**	**3259.48**	**3345.41**
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	**4388.94**	**556.08**	लोक ऋण तथा पुनःभुगतान*	**793.05**	**1087.88**	**0.00**	**1087.88**
आरंभिक नकद शेष #	**3387.70**	**7713.19**	अंतिम नकद शेष$	**7713.19**	**-**	**-**	**4636.28**
कुल	**33237.51**	**31038.69**		**33237.51**			**31038.69**

** भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम वृहतरूप से लघु बचतों में शामिल होता है ।*
नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में विलय किया जाता है ।
(स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे तथा वे.एवं ले.का. दिल्ली से प्राप्त सूचना)

पूर्व वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

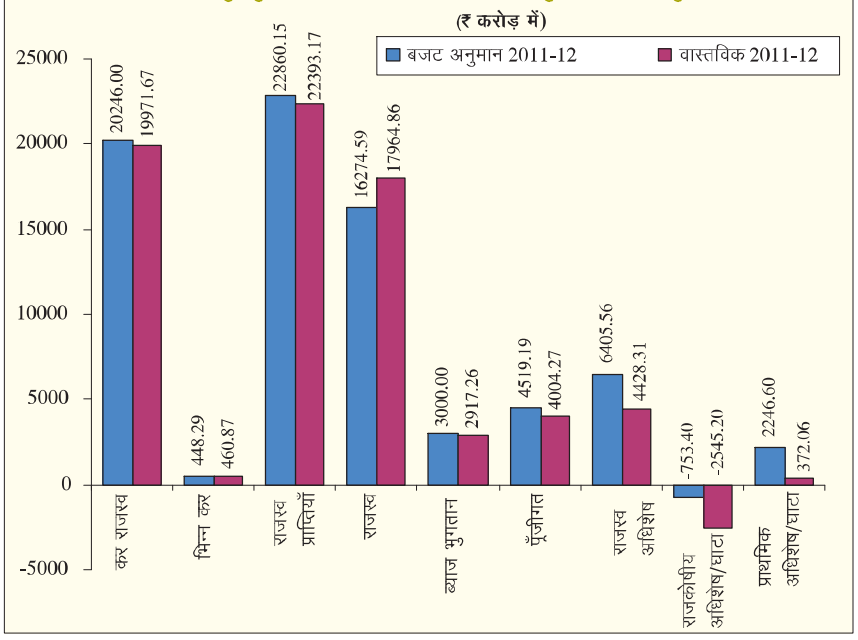
- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2630.93 करोड़ (10.51 *प्रतिशत*) की कमी हुई । कर राजस्व में ₹ 3493.92 करोड़ की वृद्धि हुई थी तथा गैर कर राजस्व तथा भारत सरकार से अनुदान में क्रमशः ₹ 3728.08 करोड़ तथा ₹ 2396.77 करोड़ की कमी हुई ।
- राजस्व व्यय में ₹ 3583.11 करोड़ (24.91 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 19.47 करोड़ (0.49 *प्रतिशत*) की वृद्धि आई ।

- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों में ₹ 60.52 करोड़ (13.86 *प्रतिशत*) की कमी हुई तथा ऋणों के संवितरण में ₹ 3019.31 करोड़ (47.44 *प्रतिशत*) की कमी हुई ।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 3832.86 करोड़ की प्रबल कमी हुई जबकि पुनर्भुगतान में ₹ 294.83 करोड़ (37.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई ।
- वर्ष 2011-12 के अंत में नकद शेष में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3076.91 करोड़ (39.89 *प्रतिशत*) की कमी हुई ।

1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकता

कर राजस्व व व्यय के अंतर्गत बजट अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं ।

चार्ट 1.1 चुने हुए राजकोषीय मापदण्डः वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान



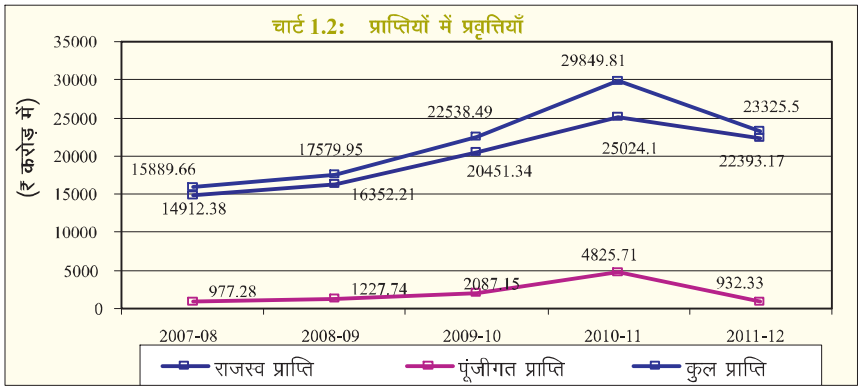
चार्ट 1.1 को देखकर यह कहा जा सकता है कि बजट अनुमान व वास्तविकता के संदर्भ में विभिन्न मुख्य मापदंड में बहुत अधिक भिन्नता है । वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ लक्ष्य से 2.04 *प्रतिशत* कम थीं जबकि राजस्व व्यय एक घनात्मक प्रवृत्ति दिखाता था यह बजट अनुमानों से 10.39 *प्रतिशत* (₹ 1690.27 करोड़) अधिक था । राजकोषीय घाटा ₹ 753.40 करोड़ अनुमानित था जो नियंत्रण से बाहर होकर ₹ 2545.20 करोड़ पहुँच गया । प्राथमिक अधिशेष ₹ 2246.60 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध ₹ 372.06 करोड़ था ।

1.4 राज्य के संसाधन

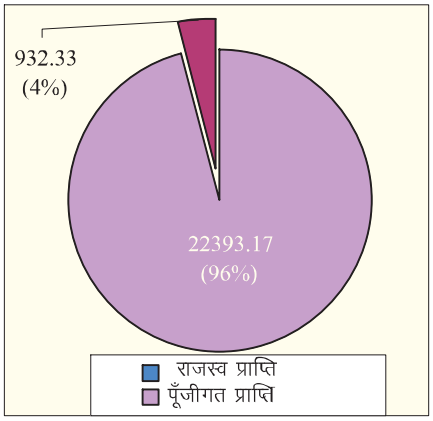
1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजी प्राप्तियों के दो आधार हैं जो राज्य सरकार के संसाधन को बनाते हैं । राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल हैं । पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियों जैसे ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तिया, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखे से जमा शामिल हैं । **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में अभिलेखित है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है । **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है ।

चार्ट 1.2: प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.3 : 2011-12 के लिए प्राप्तियों का संयोजन (₹ करोड़ में)

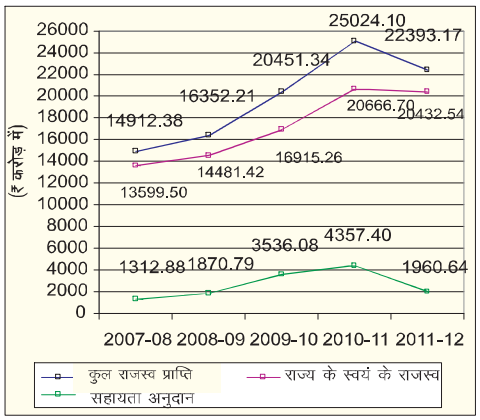


राजस्व प्राप्तियाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुल प्राप्तियों का एक बड़ा भाग है । कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश जो कि 2007-08 में 93.85 *प्रतिशत* था 2011-12 में बढ़कर 96.00 *प्रतिशत* हो गया ।

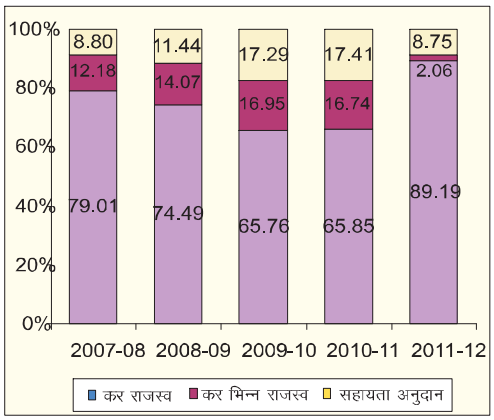
1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखों की विवरणी-9 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का वर्णन है । राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर तथा कर-भिन्न राजस्व और भा.स. से सहायता अनुदान शामिल है । 2007-12 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों तथा संयोजन को **परिशिष्ट-1.3** में प्रस्तुत किया गया है तथा उन्हें क्रमशः **चार्ट 1.4** तथा **1.5** में भी दर्शाया गया है ।

चार्ट 1.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.5: 2007-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों को नीचे **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.2: स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	14912.38	16352.21	20451.34	25024.10	22393.17
रा.प्रा. की वृद्धि की दर *(प्रतिशत)*	22.30	9.66	25.07	22.36	(-) 10.51
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. *(प्रतिशत)*	9.44	8.63	9.14	9.46	7.13
बॉयंसि अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व बॉयंसि	1.35	0.48	1.39	1.23	(-) 0.56
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर बॉयंसि	0.97	0.17	0.58	1.24	1.13

(स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2007-11 की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती हैं राज्य प्राप्तियों के कर राजस्व का अंश वर्ष 2007-08 में 79.01 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2010-11 में 65.85 *प्रतिशत* हो गया । यह प्रवृत्ति वर्ष 2011-12 के दौरान विपथन हो गई जब यह बढ़कर 89.19 *प्रतिशत* हो गई ।

यदि वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना की जाए तो 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 10.51 *प्रतिशत* कम हो गई इसी समयावधि में स.रा.घ.उ. में वृद्धि 18.69 *प्रतिशत* (**परिशिष्ट 1.4**) थी । चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की राजस्व उत्पलावक्ता की तुलना पिछले वित्तीय वर्षों से की जाए तो यह भी 1.13 *प्रतिशत* कम हो गई ।

आदर्शत, जैसे ही स.रा.ध.उ. में वृद्धि होती है,राज्य के स्वयं के कर/कर भिन्न संग्रहण की शक्ति में वृद्धि हो जाती है क्योंकि बढ़ी हुई आय के कारण लोग करों का भुगतान करने की क्षमता रखते हैं । 2009-10 में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की बॉयंसि बहुत कम (स.रा.घ.उ. के प्रत्येक एक *प्रतिशत* वृद्धि के लिए राज्य के कर में केवल 0.58 *प्रतिशत* की वृद्धि) थी तथापि वर्ष 2010-11 में स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ जब राज्य के स्वयं के कर की बॉयंसि हमेशा की तरह 1.24 *प्रतिशत* बढ़ गई । लेकिन प्रवृत्ति को अनुरक्षित नहीं किया जा सका क्योंकि 2011-12 के दौरान यह कम होकर 1.13 *प्रतिशत* हो गई ।

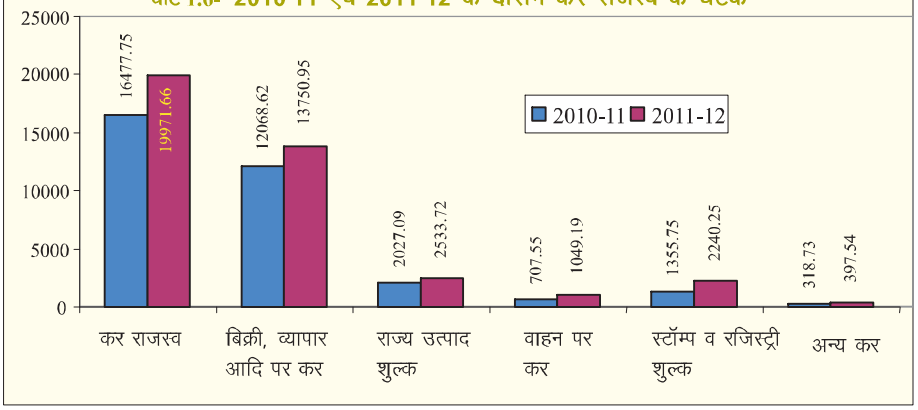
1.5.1 स्वयं राज्य के संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में वर्ष 2007-12 के दौरान एक मिश्रित प्रवृत्ति का संकेत मिला है वर्ष 2008-09 में यह प्रबल रूप से कम हो गई थी । जबकि वर्ष 2009-10 में इसमें 25.07 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई । हालाँकि, वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में जारी नहीं रह सकी तथा 2010-11 की राजस्व प्राप्तियों से तुलना की जाए तो यह 10.51 *प्रतिशत* कम हो गई । कुल प्राप्तियों में कर प्राप्तियों का अंश वर्ष 2010-11 में वर्ष 2007-08 की तुलना में 79.01 *प्रतिशत* से घट कर 65.85 *प्रतिशत* हो गया जबकि 2011-12 में प्रवृत्ति उलट हो गई । यह 2011-12 में बढ़ कर कुल प्राप्तियों का 89.19 *प्रतिशत* रहा । गैर कर प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में 16.74 *प्रतिशत* से गिर कर 2.06 *प्रतिशत* हो गई। चालू वर्ष में सहायता अनुदान का अंश भी वर्ष 2007-08 की तुलना में 8.80 *प्रतिशत* से 2010-11 में बढ़कर 17.41 *प्रतिशत* हो गया लेकिन यह प्रवृत्ति चालू वर्ष में परिवर्तित हो गई तथा गिर कर 8.75 *प्रतिशत* रह गई ।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के कर राजस्व के घटकों को **चार्ट 1.6** में नीचे दिखाया गया है :

चार्ट 1.6- 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान कर राजस्व के घटक



स्रोत: वित्त लेखे

पिछले वर्ष (₹ 16477.75 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष (₹ 19971.67 करोड़) में कर राजस्व में ₹ 3493.92 करोड़ (21.20 *प्रतिशत*) की वृद्धि हुई । राजस्व में मुख्य अंशदान बिक्री तथा व्यापार पर कर इत्यादि से था जो कि कुल राजस्व कर का 69 *प्रतिशत* अंशदान था तथा पिछले वर्ष की तुलना से 13.94 *प्रतिशत* बढ़ गया ।

स्टॉम्प शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में क्रमशः ₹ 884.50 करोड़ (65.24 *प्रतिशत*) तथा ₹ 506.63 करोड़ (24.99 *प्रतिशत*) तक की वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष (₹ 318.71 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष (₹ 397.54 करोड़) के दौरान अन्य करों का अंशदान ₹ 78.83 करोड़ (24.73 प्रतिशत) बढ़ गया ।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो कि वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.06 *प्रतिशत* था, गत वर्ष की तुलना में घटकर ₹ 3728.08 करोड़ (89 *प्रतिशत*) हो गया । वर्ष 2007-11 की अवधि में भिन्न कर राजस्व में 130.58 *प्रतिशत* की वृद्धि देखी गई है । वर्ष 2011-12 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 89 *प्रतिशत* की भारी गिरावट आई । ब्याज प्राप्ति वर्ष 2010-11 में ₹ 3869.84 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 174.14 करोड़ हो गई जो कुल गैर-कर प्राप्ति का वर्ष 2010-11 में 92.38 *प्रतिशत* तथा वर्ष 2011-12 में 37.79 *प्रतिशत* थी । 2011-12 की ₹ 174.14 करोड़ की कुल ब्याज प्राप्ति में से ₹ 169.25 करोड़ स्थानीय निकायों द्वारा दिया गया था ।

1.5.2 संग्रहण की लागत

2009-10 से 2010-12 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्ति का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण में ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.3: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व के शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2009-10	10126.01	50.83	0.50
	2010-11	12068.62	50.69	0.42
	2011-12	13750.95	53.67	0.39
राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	1643.56	8.75	0.53
	2010-11	2027.09	9.44	0.47
	2011-12	2533.72	10.79	0.43
स्टॉम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क	2009-10	929.97	19.53	2.10
	2010-11	1355.75	19.30	1.42
	2011-12	2240.25	31.60	1.41
वाहनों पर कर	2009-10	462.65	34.34	7.42
	2010-11	707.55	37.03	5.23
	2011-12	1049.19	31.79	3.03

वर्ष 2011-12 के दौरान, व्यापार एवं बिक्री कर, राज्य उत्पाद, वाहन पर कर, स्टॉम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क संग्रहण पर व्यय का *प्रतिशत* गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है । जबकि स्टॉम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के संदर्भ में सग्रहण की लागत में असमान्य रूप से ₹ 19.30 करोड़ से ₹ 31.60 करोड़ की वृद्धि हुई ।

1.6 संसाधनों के प्रयोग

1.6.1 व्यय की वृद्धि तथा संयोजन

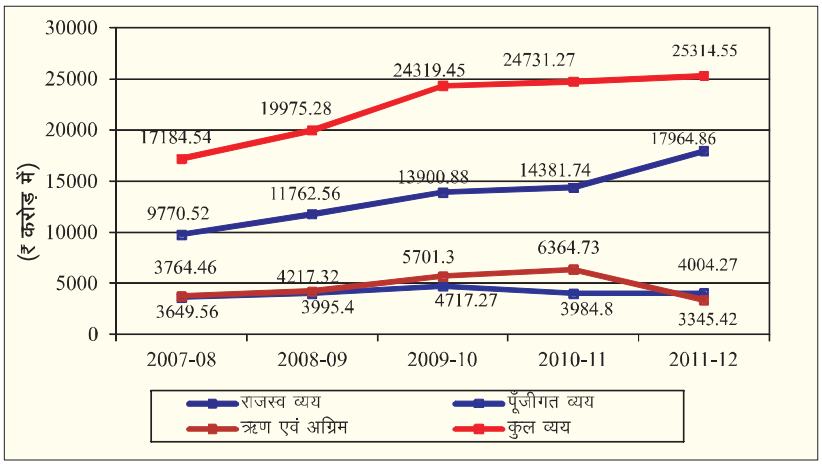
वित्त लेखों की विवरणी-10 मुख्य शीर्षों में पूँजीगत व्यय तथा लघु शीर्षों में राजस्व व्यय के ब्यौरे दर्शाती है । राज्य अपने शासकीय कार्यों को पूरा करने, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने की प्रवृत्ति को बनाए रखने, पूँजीगत व्यय तथा निवेशों के जरिए इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा उनके ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधनों का विकास करता है । वर्ष 2011-12 में राज्य की कुल व्यय 2007-08 की तुलना में ₹ 17184.54 करोड़ से बढ़कर ₹ 25314.55 करोड़ हो गयी ।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 25314.55 करोड़ का कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 583.28 करोड़ (2.36 *प्रतिशत*) से अल्प रूप से बढ़ गया । कुल वृद्धि में, राजस्व व्यय ₹ 3583.12 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 19.47 करोड़ था, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 3019.31 करोड़ से घट गऐ थे । चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय का सीमांत बढ़ता हुआ अंश राज्य द्वारा निधियों का कम उत्पादक आवंटन का संकेतक है । पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय वर्ष 2007-08 में ₹ 9770.52 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 17964.86 करोड़ हो गया जिसकी वृद्धि तदनुरूप अवधि के दौरान 83.87 *प्रतिशत* दर्ज की गई है । इसी प्रकार पूँजीगत व्यय जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 3764.46 करोड़ था वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 4004.27 करोड़ हो गया एवं इस दौरान ₹ 6.37 *प्रतिशत* की वृद्धि दर्ज की गई ।

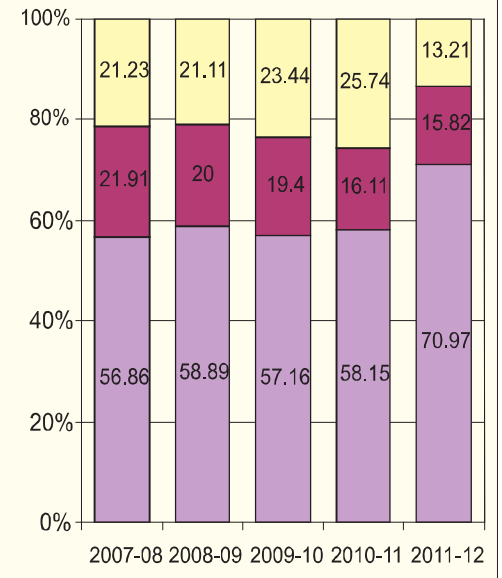
2007-08 में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय, कुल व्यय (ऋण एवं अग्रिमों को छोड़कर) का क्रमशः 27.81 *प्रतिशत* तथा 72.19 *प्रतिशत* थे जबकि 2011-12 में क्रमशः ये 18.23 *प्रतिशत* तथा 81.77 *प्रतिशत* थे । योजनागत व्यय के अंतर्गत कुल व्यय 2010-11 में ₹ 8872.91 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1567.91 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 10440.82 करोड़ हो गया जबकि तदनुरूप अवधि में गैर योजनागत व्यय 2010-11 में ₹ 9493.63 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2034.68 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 11528.31 करोड़ हो गया । वर्ष 2011-12 के दौरान कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में विभाजित करने से पता चला कि योजनागत और गैर योजनागत का अंश क्रमशः 47.52 *प्रतिशत* तथा 52.48 *प्रतिशत* था ।

चार्ट 1.7 पाँच वर्षों (2007-12) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है और 'आर्थिक वर्गीकरण' तथा 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संयोजन को क्रमशः **चार्ट 1.8 और 1.9** में दर्शाया गया है ।

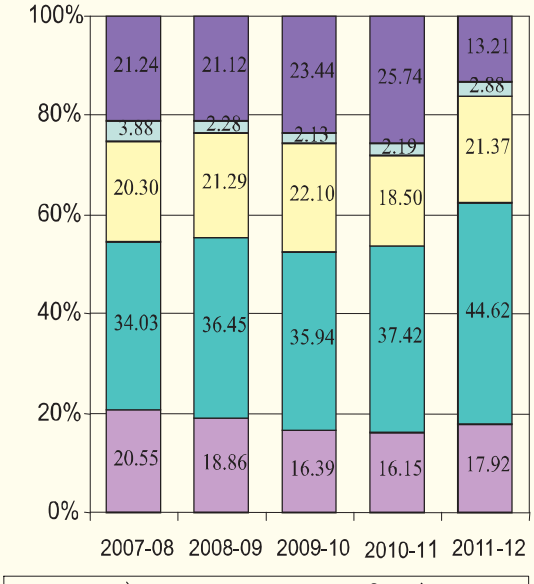
चार्ट 1.7: कुल व्यय : प्रवृत्तियाँ तथा संयोजन



चार्ट 1.8: कुल व्यय : इसके घटकों के भाग की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.9: कुल व्यय: कार्यकलापों से प्रवृत्तियाँ



यह देखा जा सकता है कि 2007-12 के दौरान सामान्य सेवाओं का भाग 20.55 *प्रतिशत* से घटकर 17.92 *प्रतिशत* रह गया जबकि सामाजिक सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व को दर्शाते हुए सामाजिक सेवाओं का भाग 34.03 *प्रतिशत* से बढ़कर 44.62 *प्रतिशत* हो गया ।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूल रूप से तीन पक्ष शामिल हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की दक्षता तथा प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम के संबंध का निर्धारण) जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित पैरों में किया गया है:

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना से संबंधित व्यय की जिम्मेदारियों को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वृहत्त रूप में राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है । इस प्रकार राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाए । निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय में व्यय श्रेणी का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न होगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम थी । **तालिका 1.4** वर्ष 2011-12 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है ।

तालिका 1.4: 2008-09 तथा 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता**	कु.व्य./स.रा.घ.उ.	वि.व्य.#/कु.व्य.	सा.क्षे.व्य /कु.व्य.	पूँ.व्य./कु.व्य.	शिक्षा/कु व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
16* सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2008-09	10.54	74.04	43.58	18.32	16.20	8.33
16* सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36. 57	13.25	17.18	4.30
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2011-12	8.06	79.02	51.58	15.07	18.96	10.37

** स.रा.घ.उ. से प्रतिशत में
कु.व्य.: कुल व्यय, वि.व्य.: विकास व्यय
सा.से.व्य.:सामाजिक सेवाओं पर व्यय पूँ.व्य: पूँजीगत व्यय
विकास व्यय में, विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा ऋण व अग्रिम वितरण समाहित करता है ।
* सामान्य श्रेणी के राज्यों में दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी सम्मिलित नहीं है ।

स्रोत: स.रा.घ.उ. के लिए यह सूचना राज्य निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यकीय से प्राप्त की गई

राजकोषीय प्राथमिकता में व्यय के एक विशेष शीर्ष को दी गई प्राथमिकता आती है । उपरोक्त तालिका 2008-09 तथा चालू वर्ष 2011-12 में सामान्य श्रेणी राज्यों के साथ राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गई वित्तीय प्राथमिकता की तुलना करती है ।

- सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में दिल्ली में विकास व्यय, कुल व्यय (कु.व्य.) के अनुपात में अधिक है । विकास व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय दोनों से ही बनता है । दिल्ली में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कु.व्य.के अनुपात में) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना

में बहुत अधिक है । चालू वर्ष में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलता है । 2008-09 और 2011-12 में कु.व्य. में शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात में सीमांत रूप से अधिक था ।

- पूँजीगत व्यय को दिल्ली सरकार द्वारा अधिक प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इस क्षेत्र में व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से दोनों ही वर्षों 2008-09 तथा 2011-12 में अधिक है ।
- कु.व्य., स.रा.घ.उ. के अनुपात में दोनों ही वर्षों अर्थात् 2008-09 तथा 2011-12 (10.54 *प्रतिशत* और 8.06 *प्रतिशत*) में सामान्य श्रेणी राज्यों (17.00 *प्रतिशत* और 16.09 *प्रतिशत*) की तुलना में कम है ।

1.7.2 उपयोगित व्यय की दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर लोक व्यय के महत्व के विचार से राज्य सरकारों के लिए उचित विवेकपूर्ण व्यय उपायों को करना तथा विकास व्यय के आबंटन में सुधार के अतिरिक्त, विशेषकर चालू वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोषीय अंतराल आने की दृष्टि से कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स* के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है । **तालिका 1.5** चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान राज्य के विकास व्यय की प्रवत्तियों को प्रस्तत कुरती है ।

तालिका 1.5: विकास व्यय

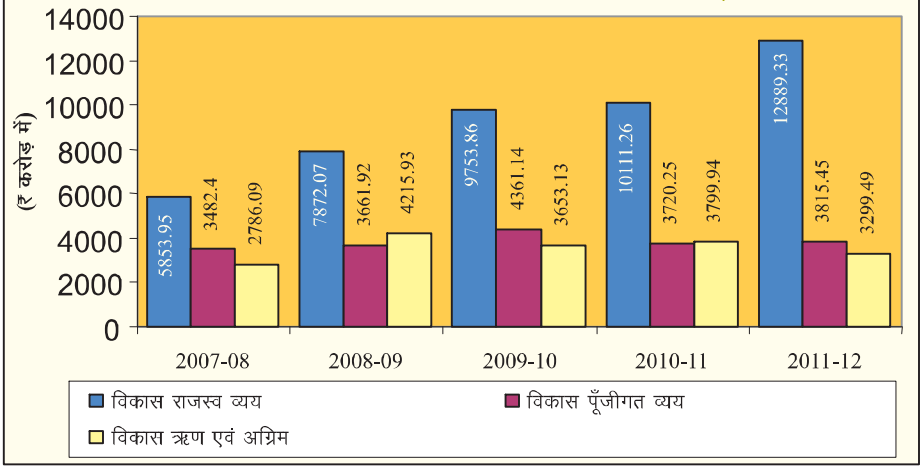
(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग नीचे)	12122.44	15749.92	17768.13	17631.45	21213.32	20004.27
क. विकास राजस्व व्यय	5853.95	7872.07	9753.86	10111.26	13820.11	12889.33
ख. विकास पूँजीगत व्यय	3482.40	3661.92	4361.14	3720.25	3988.63	3815.45
ग. ऋणों एवं अग्रिमों का विकास	2786.09	4215.93	3653.13	3799.94	3404.58	3299.49

स्रोत: वित्त लेखे

* **कोर पब्लिक गुड्स** वे हैं जिसका सभी नागरिक समान रूप से इस आशय में आनंद ले सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का वैयक्तिक उपभोग करने पर किसी अन्य व्यक्ति के उसी वस्तु का उपभोग करने में कमी नहीं आती, उदाहरण के लिए-कानून और आदेश का प्रवर्तन, रक्षा व सुरक्षा का नागरिक अधिकार, प्रदूषण रहित वायु तथा पर्यावरणीय वस्तुऐं और सड़क संरचना आदि ।
मेरिट गुड्स वे सामग्रियाँ हैं जिन्हें सार्वजनिक खंड या तो मुफ्त में या फिर आर्थिक सहायता दरों पर प्रदान करते हैं क्योंकि ये सामग्रियाँ किसी व्यक्ति या समाज के पास किसी आवश्यकता की संकल्पना के आधार पर होनी चाहिए न कि सरकार को भुगतान करने के सामर्थ्य और इच्छा पर और इसलिए इनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा की जाती है । इस तरह के गुड्स के उदाहरण में गरीबों के पोषण के लिए मुफ्त या आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन का प्रावधान, जीवन गुणवत्ता बढ़ाने और अस्वस्थता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को शिक्षा संबन्धी मूलभूत जानकारी, पीने योग्य पानी व सफाई आदि प्रदान करना शामिल हैं ।

चार्ट 1.10: विकास व्यय वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए



अनुमान की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व पूँजी के अंतर्गत वास्तविक विकास व्यय क्रमशः ₹ 930.78 करोड़ तथा ₹ 173.18 करोड़ से कम है । यह दर्शाता है कि बजट अनुमान का ढाँचा बनातेच वक्त विभिन्न योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन करने वाली क्रियान्वित एजेंसियों की तैयारियों का निर्धारित मूल्यांकन पूर्णतया नहीं किया गया था ।

उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान विकास राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय क्रमशः 120.18 *प्रतिशत* तथा 9.56 *प्रतिशत* से बढ़ गए हैं । विकास व्यय में वृद्धि रा.रा.क्षे. दिल्ली के नागरिकों की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की तरफ सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है । यद्यपि विकास पूँजी व्यय पिछले वर्ष से 2011-12 में ₹ 95.20 करोड़ बढ़ गया, वृद्धि ऋण एवं अग्रिम समतुल्य वर्षों में ₹ 500.45 करोड़ घट गए ।

1.8 सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह भाग पूर्व वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है ।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2012 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 14655.90 करोड़ का निवेश किया था (**तालिका 1.6**) । इस निवेश पर औसत प्रतिफल पिछले तीन वर्षों में अपर्याप्त 0.33 *प्रतिशत* था जबकि सरकार ने 2009-2012 के दौरान अपने उधारों पर 9.46 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर अदा की थी ।

तालिका 1.6: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत में निवेश	8235.43	9682.02	11017.56	12616.58	14655.90
प्रतिफल	31.15	29.92	41.56	46.59	33.00
प्रतिफल (%)	0.38	0.31	0.38	0.37	0.23
सरकारी उधारों पर प्रतिफल की औसत दर (%)	9.84	9.90	9.52	9.10	9.77
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (%)	9.46	9.59	9.14	8.73	9.54

सरकारी कम्पनियों/निगमों में कुल निवेश मार्च 2011 के अंत में ₹ 12616.58 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 के अंत में ₹ 14655.90 करोड़ हो गया । पिछले राजकोषीय वर्ष से 2011-12 में निवेश में वृद्धि मुख्य रूप से ₹ 988.32 करोड़ ₹ 201.00 करोड़ तथा ₹ 500.00 करोड़ और ₹ 300.00 करोड़ क्रमशः दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि., दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) दिल्ली पावर कम्पनी लि. और प्रगति पॉवर कार्पोरेशन लि.में नये निवेश के कारण थी ।

वर्ष 2011-12 के दौरान, चार सहकारी समितियों तथा कम्पनियों जैसे दिल्ली को-ओपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि., इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लि., दिल्ली टूरिज्म एवं ट्रांस्पोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और प्रगति पॉवर कॉरपोरेशन लि. में मार्च 2012 के अंत तक सरकारी निवेश ₹ 1884.57 करोड़ के साथ लाभांश ₹ 33.00 करोड़ दिया था जो कि इन कम्पनियों में निवेश का मात्र 1.75 *प्रतिशत* था ।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार ने बहुत से संस्थानों/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए हैं । 31 मार्च 2012 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 48116.89 करोड़ था **(तालिका 1.7)** ।

तालिका 1.7: राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम और ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रारंभिक शेष	30418.31	33836.63	39219.78	45147.73
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	4217.32	5701.30	6364.73	3345.41
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की गई राशि	798.99	318.15	436.77	376.25
अंतिम शेष	33836.64	39219.78	45147.73	48116.90
निवल जोड़	3418.32	5383.15	5927.95	2969.17
ब्याज प्राप्तियाँ	2101.41	3236.62	3869.84	174.14
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत	6.91	8.25	8.57	0.36
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.90	9.52	9.10	9.77
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (प्रतिशत)	2.99	1.27	0.53	9.41

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है । रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा 2011-12 के अंत में बहुत से राज्य उद्यमी संस्थान जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे तथा ₹ 14867 करोड़ के अन्य विविध बकाया भुगतानों को छोड़कर शेष बकाया जल आपूर्ति (₹ 8251.72 करोड़) सीवरेज और सफाई प्रबंध (₹ 4367.37 करोड़) शहरी विकास योजना (₹ 1592.72 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 12758.14 करोड़) और ऊर्जा क्षेत्र के लिए पॉवर प्रोजेक्ट्स (₹ 6278.39 करोड़) के थे ।

1.9 परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ और देयताओं की वृद्धि और संयोजन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि एवं भवनों का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है । तथापि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय में से सृजित परिसम्पत्तियों का लेखा रखा जाता है । **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2011 की सदृश स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार प्रदर्शित करता है । इस परिशिष्ट में देयताओं में केवल भारत सरकार (भा.स.) से ऋणों एवं अग्रिमों को शामिल किया जाता है परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेषों को सम्मिलित किया जाता है ।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की कुल वित्तीय देयताएँ 2007-08 में ₹ 25338.96 करोड़, से बढ़कर 2011-12 में ₹ 29608.29 करोड़ (16.85 *प्रतिशत*) हो गई हैं । वर्ष 2011-12 में ₹ 29608.29 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रहण के ₹ 29608.28 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता के ₹ 0.01 करोड़ सम्मिलित है । जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ₹ 30140.09 करोड़ की कुल देयताओं में लघु बचत संग्रहण तथा अन्य सहकारी सहायता के क्रमशः ₹ 30140.08 करोड़ तथा ₹ 0.01 करोड़ सम्मिलित थे । वर्ष 2011-12 के अंत में वित्तीय देयतायें, राजस्व प्राप्तियों का 1.32 गुना तथा राज्यों के अपने संसाधनों की 1.45 गुना थी ।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण के विस्तार के अतिरिक्त विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य सरकार की ऋण धारणीयता[1] को निश्चित करते हैं । यह अनुभाग

[1] ऋण की धारणीयता इस प्रकार परिभाषित की गई है कि समय अवधि के साथ स्थिर ऋण अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की योग्यता तथा इन ऋणों की आपूर्ति की योग्यता को मूर्त रूप देना भी है । ऋण की धारणीयता चालू अथवा दिए गए दायित्व को स्थिर सम्पत्तियों की पर्याप्तता में सम्मिलित उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागतों के

ऋण स्थिरता[2], गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[3], उधार निधियों की निवल उपलब्धता[4] ब्याज भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान और राज्य प्राप्तियों का अनुपात) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के वर्णन की शर्तों में राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण करता है । **तालिका 1.8** 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य की ऋण धारणीयता को इन सूचकों के अनुसार विश्लेषण करती है ।

तालिका 1.8 : ऋण धारणीयता : संकेतक तथा प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरता (वढ़ी हुई प्रमात्रा + प्राथमिक घाटा)	(+)2163.71	(+)2247.03	(+)1090.56	(+)5727.30	(+)3060.56
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	706.35	15.53	1479.97	4210.52	(-)6274.57
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-)2733.42	(-) 2469.16	1162.53	3595.88	(-)531.80
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	16.79	15.36	12.09	10.31	13.03
ऋण/जी.एस.डी.पी. अनुपात	16.04	13.39	11.86	11.40	9.43

(स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे तथा पी.ए.ओ. दिल्ली)

- प्राथमिक घाटे के साथ मात्रा विस्तार 2007-08 से 2011-12 तक सकारात्मक रहे जो कि ऋण के स्थिर रहने का सूचक है । उधार निधियों की निवल उपलब्धता की प्रवृत्ति भी उपरोक्त अवधि के दौरान मिली जुली थी ।
- गत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2630.93 करोड़ से घट गई जबकि गत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजस्व व्यय ₹ 3583.12 करोड़

बीच संतुलन बनाए रखने की सामर्थ्य के कारण भी संकेत करते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी के साथ ऋण आपूर्ति की क्षमता से बढ़ोत्तरी में समानता होनी चाहिए ।

[2] स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त स्पष्ट करती है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक ऋणों की लागत से अधिक बढ़ जाती है, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जैसे मुख्य संतुलन शेषों को स्थिर रखता है या शून्य अथवा सकारात्मक या नकारात्मक संतुलन है । दी गई दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर ब्याज दर) और परिणाम विस्तार (ऋण-दर विस्तार) ऋण धारणीयता शर्त स्पष्ट करती है कि यदि मुख्य घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है । अंततः ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण स्थायीकरण रहेगा । अन्य प्रकार से यदि मुख्य घाटा परिणाम विस्तार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा तथा सकारात्मक मामलों में ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततः घटता रहेगा ।

[3] वृद्धि ब्याज देयता तथा वृद्धि मुख्य व्यय को सम्मिलित करने के लिए राज्य की वृद्धि गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता है । ऋण धारणीयता अर्थपूर्णता से सरल बन सकती है यदि वृद्धि गैर-ऋण प्राप्ति में ऋण ब्याज भार तथा वृद्धि मुख्य व्यय को सम्मिलित किया गया है ।

[4] कुल ऋण प्राप्तियों को ऋणमोचन (मूल + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया और यह उधार निधियों की निवल उपलब्धता को सूचित करते हुए यह संकेत करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों को ऋण मोचन के लिए उपयोग किया गया है ।

से बढ़ा । इसने संसाधन अन्तराल को प्रभावित किया जो ऋणात्मक क्षेत्र की ओर प्रवृत्त हो गया और वर्ष 2010-11 में ₹ 4210.52 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 6274.57 करोड़ हो गया ।

- यद्यपि ब्याज भुगतान का भार वर्ष 2007-08 में 16.79 *प्रतिशत* से घटकर वर्ष 2010-11 में 10.31 *प्रतिशत* हो गया । राजस्व प्राप्ति में नकारात्मक वृद्धि के कारण 2011-12 में ब्याज भुगतान के भार में 13.03 प्रतिशत की वृद्धि हो गई ।
- स.रा.घ.उ. लगातार बढ़ रहा है लेकिन ऋण बहुत कम घटा । जिसके परिणामस्वरूप ऋण स.रा.घ.उ. का अनुपात 2010-11 के 11.40 *प्रतिशत* से घटकर 2011-12 में 9.43 *प्रतिशत* हो गया ।

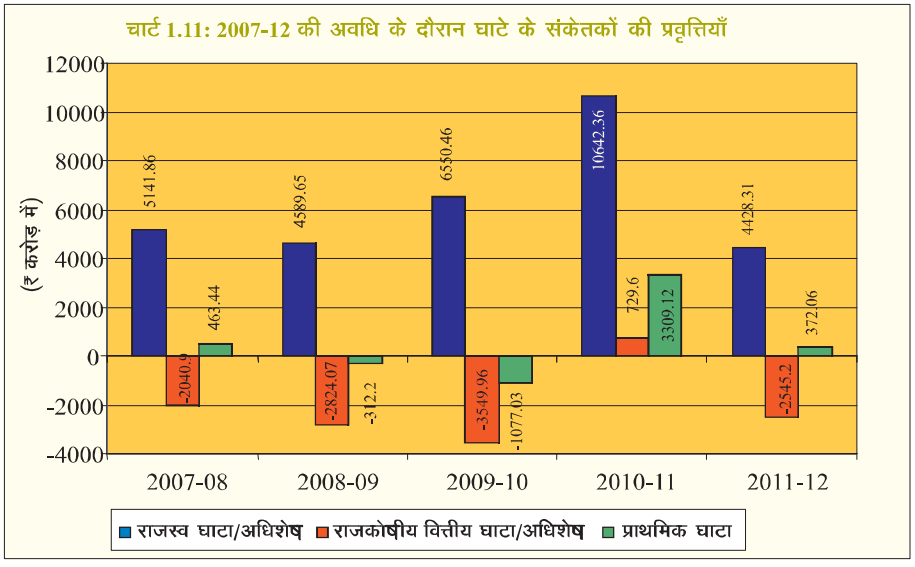
1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदण्ड - राजस्व, राजकोषीय तथा प्रारंभिक घाटा - एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में कुल राजकोषीय असंतुलन की सीमा सूचित करते हैं । सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतराल को प्रस्तुत करता है । घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का संकेतक है । इसके अतिरिक्त, संसाधनों का प्रबंध एवं उपयोग द्वारा घाटे का यह तरीका जिसमें घाटा पूरा किया जाता है तथा उत्थित संसाधनों को लगाया जाता है, वित्तयन इसकी राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक हैं । यह अनुभाग इस घाटे की प्रवृत्तियों, प्रकृति, विस्तार तथा पूरा करने का ढंग और राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है ।

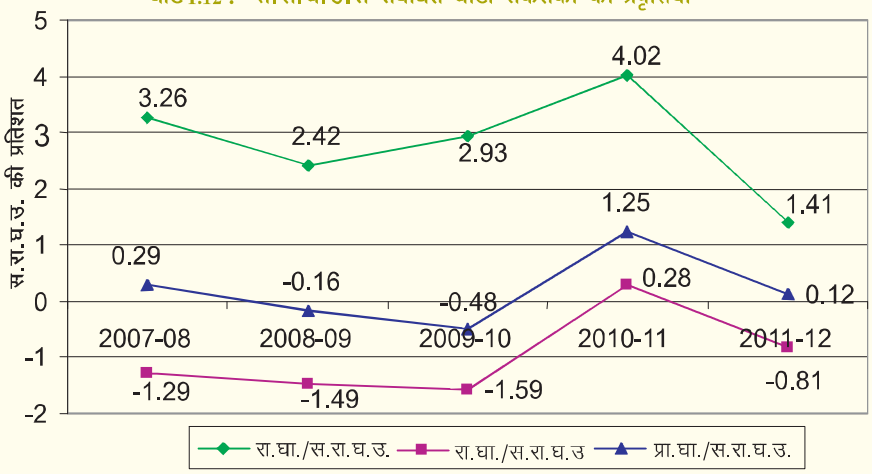
1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 और चार्ट 1.12 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान अधिशेष/घाटे को दर्शाता है :

चार्ट 1.11: 2007-12 की अवधि के दौरान घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.12 : स.रा.घ.उ.से संबंधित घाटा संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



- राज्य ने 2007-08 में राजस्व अधिशेष में ₹ 5141.86 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10642.36 करोड़ की लगातार वृद्धि दर्शाई । लेकिन, 2011-12 में तेजी से कमी देखी जा सकती है । यह 2011-12 में ₹ 4428.31 करोड़ हो गया ।
- वित्तीय घाटा वर्ष 2007-08 में ₹ 2040.90 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 3549.96 करोड़ की वृद्धि प्रवृत्ति को दर्शाता है । वर्ष 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के साथ यह सकारात्मक था, 2011-12 में यह फिर ₹ 2545.20 करोड़ के साथ नकारात्मक हो गया ।
- प्राथमिक घाटा 2010-11 में ₹ 3309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया जोकि वर्ष 2011-12 के दौरान तेजी के साथ गिरकर ₹ 372.06 करोड़ रह गया था ।
- 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में 10.51 *प्रतिशत* तक कमी आई लेकिन पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय 24.91 *प्रतिशत* से बढ़ गया, इस कारण राजस्व अधिशेष गत वर्ष अर्थात 2010-11 की तुलना में ₹ 6214.05 करोड़ से घट गया ।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसका वित्तीय ढाँचा

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढाँचें की रचना में बदलाव आया है जैसे कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है ।

तालिका 1.9: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	राजकोषीय घाटा/ अधिशेष* (-/+)	(-) 2040.90	(-) 2824.07	(-) 3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20
राजकोषीय घाटे का असंयोजन						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-/+)	5141.86	4589.65	6550.46	10642.36	4428.31
2	निवल पूँजीगत व्यय	3764.46	3995.40	4717.27	3984.80	4004.27
3	निवल ऋण एवं अग्रिम	3418.29	3418.32	5383.15	5927.96	2969.17
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढांचा**						
1	भारत सरकार से ऋण जीओआई	(-) 229.07	42.71	1162.54	3595.88	(-) 531.80

** घाटा आंकड़े (–) में तथा अधिशेष आंकड़े (+) में दर्शाये गए हैं ।*

*** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह को दर्शाते हैं ।*

(स्रोत: वित्त लेखे तथा पी.ए.ओ. दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

वित्तीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के संयोजन तथा पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति को इंगित करता है । राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात इस विस्तार को इंगित करता है जिसमें उधार निधियों को चालू उपयोग के लिए उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात इंगित करता है कि राज्य की मूल परिसम्पत्ति लगातार कम हो रही थी और कुछ उधारियों (राजकोषीय देयताएं) में कोई परिसम्पत्ति बैक-अप नहीं था । क्योंकि दिल्ली में वर्ष 2007-12 की समस्त अवधि में राजस्व अधिशेष थे इसलिए उधार निधियाँ केवल पूंजी व्यय तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयोग किए गए थे ।

तालिका 1.10: मुख्य घाटा/अधिशेष - घटकों का द्वि-विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) /अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2007-08	15143.64	7266.18	3764.46	3649.56	14680.20	(+) 7877.46	(+)463.44
2008-09	17151.21	9250.69	3995.40	4217.32	17463.41	(+) 7900.52	(-)312.20
2009-10	20769.49	11427.95	4717.27	5701.30	21846.52	(+) 9341.54	(-)1077.03
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	(+) 13658.65	(+) 3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.42	22397.29	(+) 7721.75	(+) 372.06

(स्रोत: वित्त लेखे तथा पी.ए.ओ. दिल्ली)

दिल्ली ने वर्ष 2007-08 में प्राथमिक अधिशेष का उपभोग किया परन्तु 2008-09 और 2009-10 में गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारंभिक व्यय को कवर नहीं कर सकीं जिसका नतीजा प्राथमिक घाटा हुआ । दिल्ली ने पुनः 2010-11 और 2011-12 में प्राथमिक अधिशेष का उपभोग किया । प्राथमिक व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष में 17.99 *प्रतिशत* के प्रति 2011-12 में 17.88 *प्रतिशत* तक घट गई । 2007-08 के 25.64 *प्रतिशत* की तुलना में यह महत्वपूर्ण था । हालाँकि, पूँजीगत व्यय पर वित्तीय लागत को भौतिक परिसंपत्तियों में समयानुसार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करना चाहिए ।

1.12 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति मुख्य राजकोषीय मापदण्डों जैसे राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटा और प्रारम्भिक घाटा के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 6214.05 करोड़ की कमी का राजस्व अधिशेष दिखाती है जबकि राजकोषीय अधिशेष राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया और प्राथमिक घाटा 2011-12 में ₹ 372.06 करोड़ का पिछले वर्ष की तुलना में अधिशेष रहा ।

इस तथ्य के प्रकाश में, यद्यपि इन प्रवृत्तियों को भी देखा गया कि पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में ₹ 19.47 करोड़ (0.49 *प्रतिशत*) से थोड़ा बढ़ गया । वर्ष 2011-12 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 91 *प्रतिशत* दिल्ली द्वारा अपने स्रोतों द्वारा योगदान किया गया था ।

यद्यपि, रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा वितरित किए गये बकाया ऋण और अग्रिम से प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियों की वसूली 2007-12 की अवधि के दौरान उधारियों की लागत को पूरा करने में काफी अपर्याप्त रही । इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में इस सरकारी निवेश पर औसत प्रतिफल काफी कम 0.33 *प्रतिशत* था जबकि 2009-2012 के दौरान सरकार ने अपनी उधारियों के लिए 9.46 *प्रतिशत* की औसत ब्याज दर का भुगतान किया । जबकि, ब्याज भार जैसे ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज तथा भुगतान किए गए ब्याज लगातार पिछले तीन वर्षों में 2010-11 के दौरान 0.53 *प्रतिशत* तक घट गया । यद्यपि यह प्रवृत्ति आगे नही चल सकी क्योंकि 2011-12 में यह पुनः बढ़कर 9.41 *प्रतिशत* हो गया ।

1.13 सिफारिशें

- राजस्व तथा पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक विकास व्यय अनुमानित अंतिम बजट प्रावधानों से कम था । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न विकास योजना स्कीमों को आवश्यकताओं के अनुसार ही बजट प्रावधान प्रदान किए जाएं ।
- गत तीन वर्षों में सांविधिक निगमों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारियों में दिल्ली सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल 0.23 से 0.38 *प्रतिशत* के मध्य रहा जबकि सरकार ने, सरकार की उधारियों पर 9.10 से 9.77 *प्रतिशत* का औसत ब्याज अदा किया । राज्य सरकार को अपने निवेश में धन के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए । परियोजनाएं जिन्हें अल्प वित्त लेकिन उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल के कारण उचित ठहराया जाता है, पूरे औचित्य के साथ पहचान कर प्राथमिकता दी जाए तथा उच्च लागत उधारियों को वहाँ लगाया जाए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो भारी हानियाँ वहन कर रहे हैं तथा पुनर्जीवन योजना पर कार्य कर रहे हैं के कार्यों की समीक्षा करना भी आवश्यक होगा ।

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोजन लेखे जैसा कि विनियोजन अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोजनों की राशियों से तुलना करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के दत्तमत्त तथा प्रभारित व्यय के लेखे हैं । इन लेखों में मूल बजट अनुमान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण तथा पुनः विनियोजन स्पष्ट रूप से शामिल हैं तथा यह विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की उन प्रभारित तथा दत्तमत्त मदों दोनों के सम्बन्ध में विभिन्न विशिष्ट सेवाओं पर किए गए पूँजीगत तथा राजस्व व्यय को दर्शाते हैं । इस प्रकार विनियोग लेखे वित्त के प्रबंधन तथा प्रावधानों की निगरानी को सुविधाजनक बनाते हैं तथा इसलिए वित्त लेखों के पूरक हैं ।

2.1.2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु की जाती है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार के भीतर है तथा संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभारित किया जाने वाला व्यय सही रूप से प्रभारित किया गया है । इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि इस प्रकार किया गया व्यय कानून, संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है । इस अध्याय में वर्ष 2011-12 के लिए लेखा नियंत्रक रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए विनियोग लेखों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं ।

2.2 विनियोजन लेखों का सारांश

वर्ष 2011-12 के दौरान 12 अनुदानों/विनियोजनों के प्रति वास्तविक व्यय की संक्षिप्त

स्थिति निम्न **तालिका 2.1** में दर्शाए अनुसार थीः

तालिका 2.1 : मूल/पूरक अनुदानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ अधिकता (+)
दत्तमत्त	I राजस्व	15776.70	379.20	16155.90	14985.27	(-)1170.63
	II पूँजीगत	4437.10	82.04	4519.14	4011.99	(-)507.15
	III ऋण व अग्रिम	2635.64	521.25	3156.89	3345.42	(+)188.53
कुल दत्तमत्त		**22849.44**	**982.49**	**23831.93**	**22342.68**	**(-)1489.25**
भारित	IV राजस्व	3117.50	1.19	3118.69	3027.82	(-)90.87
	V पूँजीगत	0.05	0	0.05	0.02	(-)0.03
	VI ऋण व अग्रिम	1100.00	0	1100.00	1087.88	(-)12.12
कुल भारित		**4217.55**	**1.19**	**4218.74**	**4115.72**	**(-)103.02**
आकस्मिक निधि से विनियोजन (यदि कोई हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल जोड़		**27066.99**	**983.68**	**28050.67**	**26458.40**	**(-)1592.27**

₹ 1592.27 करोड़ की कुल बचत राजस्व अनुभाग के अंतर्गत ग्यारह अनुदानों और एक विनियोग (सार्वजनिक ऋण) में ₹ 1261.50 करोड़, पूंजी अनुभाग के अंतर्गत आठ अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 519.30 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप था, जो पाँच अनुदानों के अंतर्गत ₹ 188.53 करोड़ की अधिकता के साथ ऑफसैट था ।

2.3 वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन

2.3.1 आवंटन प्राथमिकताओं की तुलना में विनियोग

अनुमानों को तैयार करते समय, विभाग को बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की गुंजाईश को न्यूनतम करने के उद्देश्य के साथ पिछले निष्पादन, विभिन्न स्कीमों के प्रतिपादन/कार्यान्वयन के स्तर, योजनाओं के कार्यान्वयन में कार्यान्वयन एजेंसियों की संस्थागत योग्यता, व्यय करने वाली एजेन्सियों की व्यय की बाध्यता आदि को ध्यान में रखना चाहिए । वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखों से यह प्रकट हुआ कि 243 मामलों में बचत ₹ 5.00 करोड़ (₹ एक करोड़ केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सी.एस.एस.)/अनुसूचित जाति उप-योजना (एस.सी.एस.पी.) के लिए) या कुल प्रावधान के 20 *प्रतिशत* से अधिक थी (**परिशिष्ट 2.1**) । ₹ 4321.60 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 2763.46 करोड़ (63.94 *प्रतिशत*) की बचत 4 अनुदानों और 1 विनियोग से संबंधित ऐसे 22 मामलों में थी जिसमें प्रत्येक मामलों में बचत ₹ 50.00 करोड़ से अधिक की थी जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया हैः

तालिका 2.2 : ₹ 50 करोड़ और अधिक की बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विनियोजन की सं. व नाम	वास्तविक अनुदान/ विनियोजन	पूरक अनुदान/ विनियोजन	कुल अनुदान/वि नियोजन	वास्तविक खर्च	बचत	प्रतिशत	कारण
	राजस्व – दत्तमत							
	अनुदान सं.6 शिक्षा							
1.	2202 ए.1(2)(8) (1)-अतिरिक्त विद्यालयी सुविधाएँ	1333.93	0.02	1333.95	1256.72	77.23	5.79	रिक्तियां, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, बचत हेतु कदम विभिन्न स्तरों पर एमएसीपी को अंतिम रूप न दिया जा पाना और बिलों का निपटान न किया जाना
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य							
2.	स्वास्थ्य सेवाएं निदेशालय 2210 ए (1)(2)-विद्यालय स्वास्थ्य योजना	114.08	0	114.08	13.35	100.73	88.30	रिक्त पदों का न भरा जाना, सीएनवाई के अंतर्गत प्रस्ताव व एमएसीपी को अंतिम रूप न दिया जा पाना
	अनुदान सं. 8: सामाजिक कल्याण							
3.	यातायात विभाग 3055 डी 3 (3)(2)-क्लस्टर बसों की कमी की पूर्ति करने हेतु प्रतिपूर्ति	150.00	0	150.00	30.00	120.00	80.00	योजना की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग							
4.	शहरी विकास विभाग 2215 ए 6(1)(1)(1)-अनधिकृत कालोनियों में जल आपूर्ति प्रदान करने हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान	136.00	0	136.00	65.78	70.22	51.63	कम अनुदान का निर्गत किया जाना
5.	2215 ए.6(1)(1)(5)-दि.ज.बो. को विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व जलापूर्ति विकास हेतु सहायता अनुदान	70.00	0	70.00	0	70.00	100.00	अनुदान निर्गत न किया जाना
6.	2215 ए.6(2)(1)(5)-दि.ज.बो. को जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत तीन प्रमुख नालों के साथ अवरोधक सीवर हेतु सहायता अनुदान	350.56	0	350.56	225.00	125.56	35.82	कम अनुदान निर्गत किया जाना
7.	2216 ए.7(1)(1)(2)-दि.न.नि. (स्लम) को कमजोर वर्गों हेतु आवासों के लिए निर्माण अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	250.00	0	250.00	100.00	150.00	60.00	कम अनुदान निर्गत किया जाना
8.	2217 ए.8(2)(1)(26)-नगरीय सुधारों हेतु सहायता अनुदान	300.93	0	300.93	0	300.93	100.00	अनुदानों का निर्गत न किया जाना
9.	2217 ए.8(3)(1)(6)-अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाएं प्रदान करना	450.50	0	450.50	350.19	100.31	22.27	योजना की धीमी प्रगति
10.	3054 ए.12(1)(1)(2) -	250.00	0	250.00	184.63	65.37	26.15	योजना की धीमी प्रगति

	शहरी सड़कें							
11.	3054 ए.12(1)(1)(2) (5)-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन	100.00	0	100.00	49.40	50.60	50.60	योजना की धीमी प्रगति
12.	बिजली विभाग 2801 ई 2(2)(1)(5)- सीपीएसयू के देयताओं के प्रति दि.बि.नि.लि. को सहायता अनुदान	430.00	0	430.00	362.35	67.65	15.73	कम अनुदान का निर्गत किया जाना
	पूँजी - दत्तमत							
	अनुदान सं. 8 : सामाजिक कल्याण							
13.	यातायात विभाग 5055 डीडी 1(1)(4) नए बस अड्डे हेतु भूमि का क्रय	80.00	0	80.00	18.75	61.25	76.56	कार्य की धीमी प्रगति
14.	5055डीडी1 (2)(4)-जेएनएनयूआरएम हेतु दिल्ली यातायात निगम को इक्विटी पूँजी	370.00	0	370.00	201.00	169.00	45.68	कार्य की धीमी प्रगति
15.	5055 डीडी.1(3)(1)-विद्युत ट्रॉली बसों यातायात का वैकल्पिक साधन का आरंभ	250.00	0	250.00	9.25	240.75	96.70	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 11 : शहरी विकास व लोक निमाण विभाग							
16.	शहरी विकास विभाग 7055 एए 9(1)(1)(1)-जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु दि.न.नि. को अनुदान	0	50.60	50.60	0	50.60	100.00	कार्यान्वित करने वाली एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त न होना
17.	लोक निर्माण विभाग 4210 बीबी 5(1)(1)(1) (1) अस्पतालों हेतु भवनों का निर्माण	150.25	0	150.25	39.67	110.58	73.60	कार्य की धीमी प्रगति
18.	5054 बीबी.11(1)(1)(4)-केन्द्रीय सड़क निधि योजनाएँ	50.00	0	50.00	0	50.00	100.00	योजना का क्रियान्वित न किया जाना
19.	5054 बीबी 11(1)(1)(8)-बीआरटी कारीडोर खेल	200.00	0	200.00	0.06	199.94	99.97	कार्य की धीमी प्रगति
20.	बिजली विभाग 6800 ईई 1(3)(3)(1)-प्रगति विद्युत परियोजना-III बवाना को ऋण	500.00	0	500.00	200.00	300.00	60.00	कम ऋण निर्गत किया जाना
21.	4801ईई.2(1)(1)(7)-बिजली स्थिरीकरण निधियों हेतु दि.बि.नि.लि. हेतु इक्विटी	200.00	0	200.00	0	200.00	100.00	रियायत का निर्गत न किया जाना
	सार्वजनिक ऋण भारित							
22.	सार्वजनिक ऋण (भारित) 2049 ए1(1)(1) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज	3000.00	0	3000.00	2917.26	82.74	2.76	भारत सरकार से कम ऋण की प्राप्ति
	कुल	**8736.25**	**50.62**	**8786.87**	**6023.41**	**2763.46**		

कई कारणों में से बचतों के कुछ कारण थेः

- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ एलोपैथी-विद्यालय स्वास्थ्य योजना हेतु ₹ 114.08 करोड़ का प्रावधान किया गया था । यद्यपि चाचा नेहरू सेहत योजना (सीएनवाई) के अंतर्गत रिक्त पद न भरे जाने, एमएसीपी और प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जा पाने के कारण केवल ₹ 13.35 करोड़ का ही व्यय हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 100.73 करोड़ की बचत हुई ।
- अनधिकृत कॉलोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु किए गए कुल ₹ 136 करोड़ के प्रावधान में से ₹ 70.22 करोड़ की बचत दि.ज.बो. को कम अनुदान निर्गत किए जाने के कारण हुई ।.
- विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व जलापूर्ति के विकास हेतु ₹ 70.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, यद्यपि दि.ज.बो. को अनुदान निर्गत न किए जाने के कारण कोई प्रगति नहीं की जा सकी और संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया ।
- वर्ष 2011-12 के दौरान दि.न.नि. को अनुदान निर्गत न किए जाने के कारण नगरीय सुधार हेतु ₹ 300.93 करोड़ की प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया । इसी योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 दि.न.नि. को कम अनुदान निर्गत किए जाने के कारण ₹ 143.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 64.45 करोड़ की बचत हुई ।
- वर्ष 2011-12 के दौरान अनधिकृत कॉलोनियों में आवश्यक सेवाओं हेतु कुल ₹ 450.50 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें से ₹ 100.31 करोड़ (22.27 *प्रतिशत*) योजना की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रह गया । वर्ष 2010-11 के दौरान इसी योजना के अंतर्गत योजना की धीमी प्रगति के कारण ₹502.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 372.66 करोड़ (74.24 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रह गए ।
- जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के लिए दि.न.नि. को शहरी सड़कों के लिए अनुदान हेतु ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान किया गया । ₹ 100.00 करोड़ का प्रावधान में से ₹ 50.60 करोड़ की राशि योजना की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रह गई ।
- नए बस अड्डे के लिए भूमि क्रय हेतु ₹ 80 करोड़ का प्रावधान किया गया । यद्यपि योजना की धीमी प्रगति के कारण यातायात विभाग द्वारा ₹ 18.75 करोड़ ही व्यय किए गए जिससे ₹ 61.25 करोड़ की बचत हुई ।
- जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु ₹ 50.60 करोड़ का प्रावधान क्रियान्वयन एजेंसी अर्थात् दि.न.नि. से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया ।

- अस्पतालों हेतु भवनों के निर्माण के लिए ₹ 150.25 करोड़ का प्रावधान किया गया। यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण ₹ 39.67 करोड़ ही खर्च हुए जिस कारण ₹ 110.58 करोड़ की बचत हुई ।
- सड़कों व पुलों के निर्माण - सीआरएफ योजना हेतु ₹ 50.00 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान योजना के क्रियान्वयन न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रह गया ।
- दि.बि.नि.लि. को बिजली स्थिरीकरण निधियों हेतु इक्विटी के रूप में किया गया ₹ 200 करोड़ का प्रावधान रियायत निर्गत न किए जाने के कारण पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया ।
- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज हेतु ₹ 3000.00 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 82.74 करोड़ की बचत योजना के अंतर्गत भारत सरकार से कम ऋण की प्राप्ति के कारण हुई ।

2.3.2 निरंतर बचतें

सामान्य वित्तीय नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों पर समय-समय पर जारी निर्देशों तथा पिछले वर्षों में किये गये व्यय आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान तालिका तैयार करनी होती है । वर्ष 2007-08 से 2011-12 के विनियोग लेखों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि नौ मामलों में ₹ 1.00 करोड़ से भी अधिक की निरंतर बचत हुई जो कुल बजट के 20 *प्रतिशत* से अधिक है, जो बजट बनाते समय अव्यावहारिक आँकड़ों त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं विभागों द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही दर्शाता है जिसका ब्यौरा **तालिका 2.3** में नीचे दिया गया है:

तालिका 2.3 : 2007-12 के दौरान निरंतर बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की शीर्ष सं. व नाम		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कारण
	राजस्व - दत्तमत							
	अनुदान सं. 3 : न्याय की व्यवस्था							
1.	2014 बी.1(2)(1)-न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय	कु.	17.23	22.45	29.46	25.69	31.67	बचत, प्रमुखतः क्रय प्रस्तावों को समय पर अंतिम रूप न दिए जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम भण्डार मदों के प्रापण, रिक्त पदों को न भरे जाने, वेतन व भत्तों के बकायों का भुगतान न किए जाने के कारण थी।
		ब.	5.09	7.25	8.49	6.50	8.69	
		%	29.54	32.29	28.81	25.30	27.43	
	अनुदान सं. 5 : गृह							
1.	2055 डी.1(1)(1)-अपराध विज्ञान प्रयोगशाला	कु.	12.36	11.92	12.36	12.11	16.52	बचत, प्रमुखतः रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दावों की

		ब.	5.86	6.24	2.56	2.85	6.49	प्राप्ति, कम स्टोर मदों के क्रय, कम यात्राएँ व मितव्ययी उपायों के कारण थी ।
		%	47.41	52.34	20.71	23.53	39.28	
	अनुदान सं. 6 : शिक्षा							
1.	2202 ए.1(2)(6) (2)-अन्य व्ययों हेतु सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों को सहायता	कु.	लागू नहीं *	2.46	26.50	12.00	2.50	बचत, प्रमुखतः कम दावों की प्राप्ति के कारण थी ।
		ब.	लागू नहीं*	2.09	26.28	11.97	2.14	
		%	लागू नहीं *	84.95	99.16	99.75	85.60	
	अनुदान सं. 7 : चिकित्सा व सार्वजनिक स्वास्थ्य							
1.	2211के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस)	कु.	11.00	13.16	15.00	10.00	10.00	बचत, प्रमुखतः भारत सरकार द्वारा और दि.न.नि. को अनुदान निर्गत न किए जाने के कारण थी ।
		ब.	3.03	10.83	12.22	2.04	7.45	
		%	27.55	82	81.47	20.40	74.50	
	अनुदान सं. 11 : शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग							
1.	2217 ए.8(2)(1) (19)-जेजे क्लस्टरों और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (वाईएपी -II)	कु.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	बचत, प्रमुखतः अनुदान निर्गत न किए जाने, क्रियान्वयक अभिकरण अर्थात् दि.न.नि. से प्रस्ताव/अनुरोध के प्राप्त न होने के कारण हुई ।
		ब.	1.00	1.00	1.00	1.00	10.00	
		%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
2.	2217 ए.8(2)(1)(26)-नागरिक सुधारों हेतु सहायता अनुदान	कु.	लागू नहीं *	198.71	201.93	207.45	300.93	बचत, प्रमुखतः योजना के अंर्तगत दि.न.नि. को अनुदान कम या नहीं निर्गत किए जाने के कारण हुई ।
		ब.	लागू नहीं *	198.71	198.93	64.45	300.93	
		%	लागू नहीं *	100.00	98.51	31.06	100.00	
पूँजी - दत्तमत								
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण							
1.	5055 डीडी.1(3)(1)-विद्युत ट्रॉली बसों-वैकल्पिक परिवहन का आरंभ	कु.	250.00	120.00	60.00	10.00	250.00	बचत, प्रमुखतः योजना के क्रियान्वित न किए जाने के कारण थी ।
		ब.	169.74	46.71	30.00	10.00	240.75	
		%	67.90	38.93	50.00	100.00	96.30	
	अनुदान सं. 9 : उद्योग							
1.	4851 एए 1(1)(1)-इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटैड फैक्ट्रीज़ काम्प्लेक्स की नागरिक सेवाओं का उन्नयन, सुधार और उनका संचालन	कु.	15.00	10.00	1.10	6.82	5.00	बचत, प्रमुखतः योजना के क्रियान्वयन न किए जाने व कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।
		ब.	15.00	9.00	1.10	5.55	4.75	
		%	100.00	90.00	100.00	81.38	95.00	
	अनुदान सं. 11 : शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग							
1.	4202बीवी.4(1)(4)(2)-दिल्ली सरकार द्वारा अनुदानिक कॉलेजों के भवनों का निर्माण	कु.	9.75	39.90	60.00	40.00	35.00	बचत, प्रमुखतः समय पर अनुमोदन प्राप्त न होने की वजह से हुई कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई ।
		ब.	6.90	29.00	14.59	8.16	23.32	
		%	70.76	72.68	24.31	20.40	66.62	

कु - कुल प्रावधान (मूल + पूरक + पुनर्विनियोजन), ब-बचतें, % -प्रतिशत

*योजना का आरंभ प्रभावी रूप से 2008-09 से हुआ और 2007-08 के दौरान यह संचालन में नहीं थी ।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि उप-शीर्षक 2217 ए 8(2)(1)(19)-दि.न.नि. को जेजे क्लस्टरों और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु सहायता अनुदान (वार्ड एपी-2) के अंतर्गत 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा । यह भी कि उप-शीर्षक 2217 ए 8(2)(1)(26)-वर्ष 2008-09 और 2011-12 के दौरान नागरिक सुधारों हेतु सहायता अनुदान और उपशीर्षक 4851 एए 1(1)(1)-इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्रीज़ कांप्लैक्स नागरिक सेवाओं पर उन्नयन, सुधार व नागरिक सेवाओं के प्रबंध के अंतर्गत वर्ष 2007-08 और 2009-10 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा । इस प्रकार इन शीर्षकों के सम्बन्ध में बजटीय अनुमानों का पुनरावलोकन किए जाने की आवश्यकता थी ।

न्याय की व्यवस्था, गृह और सामाजिक कल्याण-अनुदानों के अन्तर्गत निरंतर बचतें हुई । वर्ष 2011-12 बजट में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों, अपराधशास्त्र प्रयोगशालाओं और वैकल्पिक परिवहन-वैद्युत ट्रॉली बसों के आरंभ हेतु क्रमशः ₹ 31.67 करोड़, ₹ 16.22 करोड़ और ₹ 250.00 करोड़ प्रदान किए गए , यद्यपि क्रमशः ₹ 8.69 करोड़ (27.43 *प्रतिशत),* ₹ 6.49 करोड़ (39.28 *प्रतिशत*) और ₹ 240.75 करोड़ (96.30 *प्रतिशत*) का उपयोग निम्न कारणों से नहीं हुआ- (अ) समय पर क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान न दिए जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति कम स्टोर मदों का प्रापण, रिक्त पदों का न भरा जाना न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में वेतन व भत्तों के बकायों का भुगतान न होना, (ब) रिक्त पदों का न भरा जाना, कम दावों की प्राप्ति, कम स्टोर मदों का क्रय, कम यात्राएं अपराधशास्त्र प्रयोगशाला में मितव्ययी उपायों और (स) यातायात विभाग द्वारा योजना का क्रियान्वयन न किया जाना था ।

इसके अतिरिक्त 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान अनुदान सं.-6 शिक्षा के अंतर्गत उप शीर्षक 2202 ए 1(2)(6)(2)-सरकार द्वारा अनुदानित विद्यालयों को अन्य व्ययों हेतु सहायता के अंतर्गत किए गए ₹ 43.46 करोड़ के कुल विनियोजन/अनुदान में से बचत ₹ 42.48 करोड़ अर्थात् पाँच वर्षों के दौरान कुल बजटीय आवण्टनों के 97.75 *प्रतिशत* के लगभग थी । इसके अतिरिक्त इन पाँच वर्षों की अवधि के दौरान उपशीर्षक 4851एए 1(1)(1) के अंतर्गत उद्योगों हेतु किए गए ₹ 37.92 करोड़ के कुल विनियोजन/आवण्टन में व्यय न की गई जमा/बचत ₹ 35.40 करोड़ अर्थात् कुल बजट के 93.35 *प्रतिशत* के लगभग थी । ये दो उदाहरण निधि की आवश्यकता का अधिक अनुमान और व्यय न किए गए प्रावधानों की निरंतरता से चलने, साथ ही साथ, योजना के क्रियान्वयन न होने को रोकने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कदम उठाने में असमर्थता की ओर संकेत करते हैं ।

2.3.3 सम्पूर्ण प्रावधान की बचत

नौ अनुदानों के 42 उपशीर्षकों में विधायिका द्वारा प्राधिकृत सम्पूर्ण प्रावधान वित्त वर्ष 2011-12 की समाप्ति के पूर्व विभागों द्वारा अप्रयुक्त रह गया अथवा सरकारी खातों में वापिस जमा करा दिया गया । सम्पूर्ण प्रावधान की बचत यह संकेत करती है कि आकलन परियोजनाओं/योजनाओं की पर्याप्त जाँच किए बिना ही तैयार किए गए थे । जो प्रमुख योजनाएँ सम्पूर्ण प्रावधानों की बचत के कारण आरंभ नहीं हो सकी अथवा प्रभावित हुई, वे नागरिक सुधारों हेतु सहायता अनुदान (₹ 300.93 करोड़), बिजली विद्युत स्थिरीकरण निधियाँ, दि.वि.क.लि. (₹ 200 करोड़), संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व जलापूर्ति के विकास हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान हेतु विशेष योजना (₹ 70 करोड़), जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु दि.न.नि. को ऋण (₹ 50.60 करोड़) और जिले में व अन्य सड़कें अन्य व्यय-सीआरएफ योजनाएँ (₹ 50 करोड़) थीं। इन उपशीर्षकों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.2** में दिया गया है ।

2.3.4 पिछले वर्षों के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण अपेक्षित है

भारत के संविधान का उपबंध 205 प्रावधान करता है कि यदि किन्ही सेवाओं हेतु एक वित्तीय वर्ष में उस वर्ष के लिए उस सेवा हेतु प्रावधान की गई राशि से अधिकता में व्यय किया गया है, तो अधिकता में किए गए व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा नियमित किया जाए । यद्यपि उपबंध में व्यय के नियमितीकरण हेतु कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है परंतु परंपरानुसार लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा विनियोजन लेखों पर चर्चा की समाप्ति के बाद अधिकता में व्यय को नियमित किया जाना होता है । हालांकि 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए लगभग ₹ 47.60 करोड़ के अधिक व्यय को नियमित किया जाना शेष था **(परिशिष्ट 2.3)** । अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष था की वर्षवार धनराशि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 2.4 पिछले वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष था ।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या	प्रावधानों से अधिकता में व्यय की राशि	नियमितीकरण की स्थिति
2006-07	7 (38 उप शीर्षक)	9.12	अभी नियमित नहीं
2007-08	5 (30 उप शीर्षक)	11.55	-वही -
2008-09	5 (29 उप शीर्षक)	17.35	-वही -
2009-10	3 (3 उप शीर्षक)	5.60	-वही -
2010-11	2 (5 उप शीर्षक)	3.98	-वही -
कुल		47.60	

2.3.5 2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय जिनका नियमितीकरण शेष है:

वर्ष 2011-12 के लिए शीर्षवार विनियोजन लेखों में यह पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान प्रावधानों से अधिकता में व्यय का कोई मामला नहीं था, जिसका नियमितीकरण शेष हो ।

2.3.6 अनावश्यक पूरक प्रावधान

पूरक अनुदान को प्राप्त करते समय विभाग को वर्ष के दौरान उपलब्ध अथवा उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता का पूर्वानुमान करते समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए । पूरक माँग का चुनाव असामान्य और अत्यावश्यक मामलों में ही करना चाहिए ।

वर्ष 2011-12 के दौरान विनियोजन लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उच्चतर/अतिरिक्त व्यय की आशंका से 31 उप शीर्षों के अन्तर्गत लगभग ₹ 118.48 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया यद्यपि अन्तिम व्यय आरंभिक अनुदान/ विनियोग से भी कम था **(परिशिष्ट 2.4)** । पूरक अनुदान के अप्रयुक्त रह जाने हेतु मुख्य कारण मशीनरी व उपकरण के क्रय हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिया जाना, प्रस्ताव प्राप्त न होना अथवा क्रियान्वयन एजेन्सी से कम माँग होना, कम अनुदान निर्गत किया जाना और रिक्त पदों को न भरा जाना थे बताए गए निम्न मामलों में अनावश्यक पूरक अनुदानों में विभागों के विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता है:

(i) अनुदान सं. 6-अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु शिक्षा के लिए ₹ 9.50 करोड़ का मूल प्रावधान किया गया था, जिसमें से संस्थान द्वारा ₹ 7.22 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 2.28 करोड़ की बचत हुई । यद्यपि योजना व्यय हेतु पूरक अनुदान के रूप में ₹ 2.50 करोड़ की धनराशि प्राप्त की गई । परन्तु सम्पूर्ण पूरक अनुदान समय से क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जा पाने के कारण अप्रयुक्त रह गया ।

(ii) अनुदान सं. 7-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत ₹ 32.00 करोड़ का मूल प्रावधान था, जिसमें से भगवान महावीर अस्पताल द्वारा ₹ 29.24 करोड़ का व्यय किया गया जिससे ₹ 2.76 करोड़ की बचत हुई । हालांकि आपूर्ति सामग्री व वेतन की अदायगी और गैर योजना सम्बन्धित व्यय हेतु पूरक अनुदान के रूप में ₹ 5.74 करोड़ प्राप्त किए गए । परन्तु यह सम्पूर्ण पूरक अनुदान रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति और कम मशीनरी और उपकरण के प्रापण के कारण अप्रयुक्त रह गया ।

(iii) इसी अनुदान के अंतर्गत लोक नायक चिकित्सालय द्वारा आपूर्तियों व सामग्री वेतन अदायगी के योजना व्यय और योजना संबन्धित कार्यालय व्यय हेतु पूरक अनुदान के रूप में ₹ 6.45 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई । हालांकि सम्पूर्ण

पूरक अनुदान रिक्त पद न भरे जाने, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, कम स्टोर मदों के क्रय और कम लाभार्थी संख्या के कारण अप्रयुक्त रह गया । इसके अतिरिक्त ₹ 237.22 करोड़ के कुल प्रावधान में ₹ 7.67 करोड़ की बचत हुई थी ।

(iv) अनुदान संख्या 8-समाज कल्याण के अंतर्गत अ.जा./अ.जा.जा./अ.पि.व. और अन्य अल्पसंख्यक छात्रों हेतु योग्यता छात्रवृत्ति-कक्षा I से XII हेतु ₹ 40.23 करोड़ के मूल प्रावधान में से केवल ₹ 36.02 करोड़ का व्यय हुआ जिससे 4.21 करोड़ की बचत हुई । हालांकि विभाग ने अनुमानित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ₹ 6.77 करोड़ का पूरक अनुदान प्राप्त किया, परन्तु सम्पूर्ण पूरक अनुदान योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों से कम माँग के कारण अप्रयुक्त रह गया ।

(v) अनुदान संख्या 11-शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जेएनएनयूआरएम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु मूल रूप से कोई प्रावधान नहीं था परंतु दि.न.नि. के लिए पूरक अनुदान के रूप में ₹ 50.60 करोड़ का प्रावधान किया गया हालांकि कार्यान्वयन ऐजन्सी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण पूरक अनुदान अप्रयुक्त रह गया ।

इस प्रकार उपरोक्त मामलों में सम्पूर्ण पूरक अनुदान अप्रयुक्त रह गया जो नियोजन व बजटीकरण में कमियों की ओर संकेत करता है ।

2.3.7 निधियों का अत्यधिक अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई जहाँ बचत संभावित हो, से एक अन्य इकाई, जहाँ अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, अनुदान के भीतर ही निधियों का स्थानान्तरण है । निम्न कुछ मामलों में पुनर्विनियोजन को अनावश्यक पाया गया । विभाग अपने विद्यमान अनुदानों का भी पूर्ण उपयोग नहीं कर पाए थे । 40 उपशीर्षों के अंतर्गत ₹ 211.95 करोड़ का संचयी अनुपयोग हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 2.5** में बताया गया है । इन बचतों के लिए प्रमुख कारण थेः

(i) अनुदान सं. 2-सामान्य प्रशासन के अंतर्गत उपशीर्ष लोकायुक्त (भारित) के अंतर्गत अधिक बिलों का अनुमान कर ₹ 0.22 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोग किया गया, हालांकि कम दावों की प्राप्ति के कारण ₹ 1.41 करोड़ की बचत हुई ।

(ii) अनुदान सं. 3-न्याय का प्रबंध के अंतर्गत ₹ 5.97 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन बकायों की अदायगी और उपशीर्ष सत्र न्यायालय (भारित) के अंतर्गत अतिरिक्त दावों की पूर्ति का अनुमान करते हुए किया गया, परन्तु संशोधित सुनिश्चित रोजगार प्रगति (एमएसीपी) योजना को अंतिम रूप न दिए जा पाने और कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण ₹ 27.67 करोड़ की बचत हुई ।

(iii) अनुदान सं. 4-वित्त के अंतर्गत वैट के पंजीकृत डीलरों की संख्या में वृद्धि और एनईजीपी(एमएमपीसीटी-राज्य अंश) के अंतर्गत व्यवसायिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण हेतु उप शीर्ष मिशन मोड परियोजना हेतु व्यापार एवं कर के अंतर्गत अतिरिक्त दावों की पूर्ति का अनुमान कर ₹ 3.34 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोजित की गयी परन्तु ₹ 3.34 करोड़ अप्रयुक्त रही क्योंकि यह स्वीकृति वित्त वर्ष के अंत में प्राप्त हुई थी ।

(iv) अनुदान सं. 6-शिक्षा के अंतर्गत उपशीर्ष पॉलिटेक्निक निर्देशन और प्रशा. के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए ₹ 2.37 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन किया गया परन्तु एम ए सी पी योजना को अंतिम रूप न दिए जाने, कर्मचारी वर्ग के स्थानान्तरण और कम दावों/बिलों की प्राप्ति के कारण ₹ 3.44 करोड़ का अनुपयोग हुआ ।

(v) अनुदान सं. 7-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उपशीर्ष गो.ब.पंत चिकित्सालय के अधिक बिलों और अधिक भण्डार मदों के प्रापण का अनुमान कर ₹ 3.69 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया परन्तु रिक्त पदों, क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जा पाने के कारण ₹ 10.85 करोड़ का गैर-उपयोग हुआ ।

(vi) अनुदान सं. 8-सामाजिक कल्याण के अंतर्गत केन्द्र-प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) में अल्पसंख्यक बहुल जिलों हेतु बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम उप शीर्ष के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त ₹ 1.25 करोड़ की निधि का विनियोजन हुआ परंतु ₹ 4.69 करोड़ अप्रयुक्त रह गए क्योकि निधियों के निर्गम हेतु स्वीकृति नहीं मिली ।

(vii) अनुदान सं. 8-सामाजिक कल्याण के अंतर्गत ₹ 0.99 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन हुआ परंतु वित्त विभाग से तैरने वाली जेटियों के क्रय हेतु अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ₹ 1.05 करोड़ अप्रयुक्त रह गए ।

(viii) अनुदान सं. 9-उद्योग के अंतर्गत ₹ 1.18 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन गरीबी रेखा से नीचे पर केन्द्रित होने के साथ नागरिक आपूर्ति योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाने हेतु किया गया परंतु ₹ 3.08 करोड़ अप्रयुक्त रह गए क्योंकि स्वीकृति समय से प्राप्त नहीं हुई ।

(ix) अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग की यमुना एक्शन प्लान-II के अंतर्गत जे जे कलस्टर्स और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को ₹ 8.99 करोड़ की धनराशि का पुनर्विनियोजन किया गया, परंतु कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण ₹ 10 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ ।

(x) अनुदान सं. 11-शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत उप शीर्ष स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत अतिरिक्त बिलों/दावों और अधिक भण्डार मदों के क्रय का अनुमान करके ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि पुनर्विनियोजित की गई, परंतु पिछले वर्षों के व्यय न किए गए अधिशेषों के समायोजन के कारण ₹ 3.21 करोड़ की धनराशि उपयोग नहीं हुई ।

(xi) अनुदान सं. 8-सामाजिक कल्याण पूँजीगत (दत्तमत) के अंतर्गत उप शीर्ष शिक्षा के मिडिल/माध्यमिक महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण के अन्तर्गत ₹ 0.47 करोड़ का पुनर्विनियोजन किया गया परंतु योजना के क्रियान्वित न किए जाने के कारण ₹ 2.47 करोड़ का गैर उपयोग हुआ ।

इस प्रकार अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन अपर्याप्त बजटीय व्यवस्था की ओर संकेत करता है ।

2.3.8 पर्याप्त अभ्यर्पण

दस उप-शीर्षों (**परिशिष्ट 2.6**) के सम्बन्ध में ₹ 61.29 करोड़ के (कुल प्रावधान के 40 *प्रतिशत*) पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए, जिनमें से चार उप-शीर्षों में योजना के कार्यान्वित न होने और राजस्व सचिव को योजना के स्थानांतरण के कारण कुल ₹ 32.63 करोड़ के 100 प्रतिशत अनुदान का अभ्यर्पण किया गया ।

अनुदान सं. 7-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुदान सं. 9-उद्योग के अन्तर्गत उपशीर्षों 4210 एनएन.1(1)(1)(1)(1)-डॉ.बाबा साहेब अम्बेड़कर चिकित्सालय में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना और 4851एए1(1)(1) -इंडस्ट्रियल एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्रीज काम्प्लैक्स की नागरिक सेवाओं के संचालन, उन्नयन, सुधार के अंतर्गत क्रमशः कुल ₹ 16.32 करोड़ और ₹ 4.75 करोड़ के पर्याप्त अभ्यर्पण किए गए । इन अभ्यर्पणों का कारण प्रमुखतः योजना/कार्य की धीमी प्रगति बताया गया ।

2.3.9 प्रत्याशित बचतों का अभ्यर्पण न किया जाना

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(2) यह अनुबंध करता है कि जिन बचतों व प्रावधानों को लाभपूर्ण ढंग से उपयोग में न लाया जा सके, उन्हें जैसे ही इनका पूर्वानुमान कर लिया जाए, वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बगैर सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए । इसका उद्देश्य बाद के स्तर पर अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनतम करना है । 2011-12 के अंत में तीन अनुदान और एक विनियोजन थे जिनमें बचतें हुईं परन्तु संबंधित विभाग ने अभ्यर्पण नहीं किया । इन मामलों में ₹ 258.89 करोड़ (कुल बचतों अर्थात् ₹ 1592.27 करोड़ का 16.26 *प्रतिशत*) की राशि सम्मिलित थी (**परिशिष्ट-2.7**) ।

इसी प्रकार 9 अनुदानों और 1 विनियोजन (प्रत्येक अनुदान/विनियोजन में ₹ एक करोड़ व अधिक की बचतें दर्शाईं गई हैं) में ₹ 1331.60 करोड़ की बचतों में से ₹ 1051.02 करोड़ (कुल बचतों का 78.93 *प्रतिशत*) को अभ्यर्पित नहीं किया गया था, जिनका विवरण (**परिशिष्ट 2.8**) में दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त 22 मामलों में (₹ 1 करोड़ से अधिक का अभ्यर्पण) मार्च 2012 के अंतिम कार्यदिवस में ₹ 272.23 करोड़ (**परिशिष्ट 2.9**) का अभ्यर्पण किया गया जिससे अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के अतिरिक्त यह इंगित होता है कि इन निधियों का अन्य विकास प्रयोजन में भी प्रयोग नहीं किया जा सका था ।

2.3.10 अव्यवहारिक बजट व्यवस्था

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 48(2) यह अनुबंध करता है कि मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्तियों और अन्य प्रमुख घटकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपना अनुमान तैयार करना चाहिए । 2011-12 के लिए अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि सी.एस.एस. और एस सी एस पी योजना के विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया परन्तु 10 अनुदानों/विनियोजनों के 27 उपशीर्षों में ₹ 10.10 करोड़ (**परिशिष्ट 2.10**) के सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गए जिससे विधान सभा द्वारा बजट प्रावधानों को पारित किए जाने का मूल उद्देश्य ही निष्फल सिद्ध हो जाता है, जो यह संकेत करता है कि बजट अनुमान परियोजनाओं व योजनाओं की पर्याप्त पूर्व बजटीय जाँच करने के पश्चात नहीं बनाए जाते । निधियों के गैर-उपयोग हेतु प्रमुख कारण भारत सरकार से निधियों का प्राप्त न होना और योजनाओं का क्रियान्वयन न होना बताया गया ।

2011-12 के दौरान बजट में सी एस एस हेतु ₹ 190.00 करोड़ का प्रावधान किया गया, हालांकि वर्ष 2011-12 के दौरान हुई प्राप्ति ₹ 145.09 करोड़ और योजना के क्रियान्वयन में हुआ व्यय ₹ 159.42 करोड़ था । क्रियान्वयन एजेन्सियों के पास 31 मार्च 2012 को बचे ₹ 69.07 करोड़ का संचित अधिशेष सरकार को अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

2.3.11 व्यय का द्रुतप्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(3) विशेषतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, व्यय के द्रुतप्रवाह की मनाही करता है और यह निर्धारित करता है कि इसे वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाएगा । इसके विपरीत विभाग द्वारा निम्न 19 उपशीर्षों के अंतर्गत मार्च 2012 के महीने में किया गया व्यय कुल व्यय के 24.30 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* के बीच था, जो कि **तालिका 2.5** में दिखाया गया है:

तालिका 2.5 वर्ष 2011-12 की समाप्ति में व्यय का द्रुतप्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या व नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	2012 की अंतिम तिमाही में किया गया व्यय		मार्च 2012 में किया गया व्यय	
					राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1.	**02. सामान्य प्रशासन**	2052 सी.1(1)(1)(9)- प्रमुख सचिवालय-प्रकाशन	0.30	0.29	0.29	100.00	0.29	100.00
2.	**03. न्याय की व्यवस्था**	2014 ई.1(2)(5)- दिल्ली विवाद निस्तारण समिति को सहायता अनुदान	1.00	1.00	1.00	100.00	1.00	100.00
3.	**04. वित्त**	4059 एफएफ.1(1)(1)(1)- व्यापार व कर एनेक्स भवन	1.00	0.41	0.41	100.00	0.41	100.00
4.	**05. गृह**	2056 एA.1(1)(1)(8)- कारागार-निर्देशन व प्रशासन-कारागार स्था.- मोटर वाहन	0.10	0.10	0.10	100.00	0.10	100.00
5.	**06. शिक्षा**	2204 ए.2(3)(3)- खेल परिसर, खेल-कूद कम्पलेक्स, तरणतालों इत्यादि का विकास	0.02	0.02	0.02	100.00	0.02	100.00
6.		2203 बी 1(5) (18)- दिल्ली फार्मास्यूटिकल साईंस व शोध संस्थान को सहायता अनुदान	1.25	1.25	1.25	100.00	1.25	100.00
7.		2202 जे.1(1)(1)(3)- महाविद्यालय जाने वाली छात्रांओं हेतु छात्रावास के निर्माण के लिए महाविद्यालयों को सहायता अनुदान	0.23	0.23	0.23	100.00	0.23	100.00
8.	**07. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	2210 ए.1(1)(4)(6)- दिल्ली राजकीय कैंसर संस्थान को सहायता अनुदान	65.00	65.00	21.75	33.46	16.25	25.00

9.		2210 ए.1(1)(5)(6)- स्वास्थ्य प्रयोजन हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान	107.30	107.30	48.38	45.09	48.38	45.09
10.		2210 बी.1(1)(1)(1)(8)- लोक नायक चिकित्सालय - आपूर्तियाँ व सामग्री	43.00	42.83	17.44	40.72	10.41	24.30
11.		2210 एफ.1(1)(1)(1)(5)- गुरू तेग बहादुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय-मशीनरी व उपकरण	38.50	38.47	15.12	39.29	10.27	26.70
12.	**08. समाज कल्याण**	2235 ए.2(1)(3)(10)- वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना (वद्धावस्था सहायता का विस्तारण)	490.00	470.99	122.96	26.10	115.99	24.62
13.		5055 डीडी.1(2)(4)- जेएनएनयूआरएम हेतु दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूँजी	241.00	201.00	112.23	55.83	112.23	55.83
14.		7055 डीडी.4(2)(3)- आई एसबीटी हेतु डीटीटीडीसी को ऋण	20.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
15.	**11. शहरी विकास एवं जन निर्माण विभाग**	2202 ए4(1)(1)(2)(1)- सहायता अनुदान-नई दिल्ली नगर परिषद	26.02	26.02	19.52	75.00	19.52	75.00
16.		2202 ए4(2)(1)(1)(1) माध्यमिक शिक्षा हेतु एन.डी.एम.सी. को सहायता अनुदान	32.09	32.09	24.07	75.00	24.07	75.00
17.		2202 ए.6(2)(1)(5)- जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के अंतर्गत प्रमुख नालियों के ऊपर अंतर्राधी सीवर हेतु दि.ज.बो. को स.अनु.	225.00	207.50	163.85	78.96	154.35	74.38

18.		2216 ए.1(1)(1)(2)-दि.न.नि.(गंदी बस्तियाँ) को कमजोर वर्गों हेतु मकान बनाने के लिए अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
19.		2216 ए.7(1)(1)(3)-कमजोर वर्गों हेतु आवास निर्माण हेतु डीएसआई डीसी को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	450.00	450.00	349.69	77.70	302.46	67.21
		कुल	**1841.81**	**1764.50**	**1018.31**		**937.23**	

अंतिम तिमाही में हुए आवश्यकता से अधिक उच्चतर व्यय का कारण सरकार द्वारा दिए जाने की प्रतीक्षा है ।

2.4 आकस्मिक निधि से अग्रिम

आकस्मिक निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आवश्यक प्रकृति के ऐसे व्यय हेतु दिया जाना जिनका विधायिका से प्राधिकृत किए जाने तक स्थगन अवांछनीय होगा । वर्ष 2011-12 के दौरान दिल्ली के रा.रा.क्षे.की सरकार के विनियोग लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान ऐसे कोई मामले नहीं पाए गए ।

2.5 वसूलियों के समायोजन से व्यय में कमी

विधायिका को प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की माँगे सकल व्यय के लिए होती हैं,जिनमें क्रेडिट और वसूलियाँ सम्मिलित होती है, जो व्यय में कमी के रूप में लेखों में समायोजित कर ली जाती हैं । प्रत्याशित वसूलियाँ और क्रेडिटों को बजट आकलनों में पृथक दिखाया गया है । 2011-12 के दौरान ऐसी वसूलियों को ₹ शून्य पूर्वानुमानित किया गया । यद्यपि वर्ष के दौरान वास्तविक वसूलियाँ ₹ 55.98 करोड़ थीं । पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुमानित व वास्तविक वसूलियों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 2.6: व्यय में कमी से वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमानित वसूलियाँ	वास्तविक वसूलियाँ	अधिकता (+) कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत अधिकता (+) कमी (-)
2011-12	-	55.98	(+) 55.98	(+) 100.00
2010-11	-	38.85	(+) 38.85	(+) 100.00
2009-10	-	35.89	(+) 35.89	(+) 100.00
2008-09	16.67	27.92	(+) 11.25	(+) 67.49
2007-08	17.49	58.86	(+) 41.37	(+) 236.54

2.6 रिक्त पदों हेतु अनावश्यक प्रावधान

वित्त विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली द्वारा जारी अनुदेशों के तहत एक वर्ष या उससे अधिक रिक्त पदों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए और इसी प्रकार उन पदों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं रखा जाना चाहिए जो कि अस्थगित है । जबकि अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा बजट पूर्वानुमान में निधियों का प्रावधान उपरोक्त नियम के विरूद्ध किया गया जिससे कि निम्नलिखित विभागों में रिक्त पदों के प्रावधान के कारण निम्न प्रकार बचतें हुईः

तालिका 2.7: खाली पदों के लिए अनावश्यक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान सं.एवं नाम	विभाग	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	विवरण	कुल अनुदान	बचतें/ पुनर्विनियोजन
	राजस्व-भारित					
1	**अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन**	उच्च न्यायालय	2014 ए.1(1)(1)(1)	निर्देशन और प्रशासन-वेतन	103.86	3.63
	राजस्व-दत्तमत					
2	**अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन**	सिविल एवं सत्र न्यायालय	2014 बी.1(2)(1)(1)	आपराधिक न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय-वेतन	31.67	1.50
3	**अनुदान सं. 4: वित्त**	प्रधान लेखा कार्यालय	2054 ए.1(1)(1)(1)	कोष एवं लेखा प्रशासन-लेखा निदेशालय-वेतन	31.31	3.20
4		आंतरिक लेखापरीक्षा निदेशालय	2016 बी.1(1)(1)(1)	लेखापरीक्षा-सिविल ऑडिट और लेखा कार्यालय-वेतन	8.12	1.20
5	**अनुदान सं.5: गृह**	केन्द्रीय कारागार	2056 ए.1(1)(1)(1)	कारागार-निर्देशन और प्रशासन-वेतन	114.79	4.00
6		दिल्ली अग्निशमन सेवा	2070 सी.1(1)(2)(1)	अन्य प्रशासनिक सेवाएं सुरक्षा व नियंत्रण	109.17	6.45
7	**अनुदान सं. 6: शिक्षा**	शिक्षा निदेशालय	2202 ए.1(2)(6)(1)	गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता - सरकारी विद्यालय को कर्मचारियों के वेतन हेतु सहायता अनुदान	340.00	28.00
8			2202 ए.1(2)(8)(1)(1)	अन्य व्यय -अतिरिक्त विद्यालय सेवाएं वेतन	1333.95	91.00
9			2202 ए.1(3)(2)(3)(1)	अन्य व्यय- विद्यमान सरकारी विद्यालय में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं की व्यवस्था- वेतन	103.50	13.09

10			2202 ए.1(4)(4) (2)(1)	अन्य व्यय-विद्यालयों में योग कक्षाओं हेतु योजना-वेतन	30.16	1.85
11		तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण निदेशालय	2203 बी.1(4)(1)(1)	पॉलीटेक्निक-निर्देशन व प्रशासन-वेतन	51.84	1.23
12		एन.सी.सी. निदेशालय	2204 डी.1(1)(1)(1)	खेलकूद और युवा सेवाएं-एन.सी.सी.,ए.सी.सी.-वेतन	12.13	1.56
13		शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय जाफरपुर	2203 के.1(1)(1)(1)	तकनीकी शिक्षा-शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जाफरपुर-वेतन	4.00	1.35
14		जी.बी.पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	2203 एल.1(1)(1)(1)	तकनीकी शिक्षा-जी.बी.पंत प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, ओखला	8.97	2.11
15	**अनुदान सं.7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय	2210 ए.1(1)(4)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेन्सरियाँ-सरकारी डिस्पेंसरी-वेतन	120.19	7.96
16		अरूणा आसफ अली शासकीय चिकित्सालय, (सिविल हॉस्पिटल)	2210 डी.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-अरूणा आसफ अली शासकीय चिकित्सालय (सिविल चिकित्सालय)-वेतन	33.47	4.75
17		दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय	2210 ई.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-दीन दयाल उपाध्याय चिकित्सालय - चिकित्सालय प्रशा-वेतन	160.48	4.94
18		गुरू तेग बहादुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय	2210 एफ.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-गुरू तेग बहादुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय-वेतन	224.20	3.75
19		मौलाना आज़ाद चिकित्सा महाविद्यालय	2210 एच.1(1)(1)(1)(5)(1)	शिक्षा-चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, गीता कॉलोनी-वेतन	40.00	3.00
20		संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय	2210 एल.1(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ -संजय गांधी स्मारक चिकित्सालय-वेतन	67.54	4.87
21		डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय	2210 एन.1(1)(1)(1) (1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय-वेतन	83.06	1.30
22		भगवान महावीर चिकित्सालय	2210 वी.1(1)(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-भगवान महावीर चिकित्सालय-वेतन	37.74	11.01

23		मालवीय नगर चिकित्सालय	2210 डब्ल्यु.1(1)(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ मालवीय नगर चिकित्सालय-वेतन	22.89	2.30
24		आचार्य भिक्षु चिकित्सालय	2210 एक्स.1(1)(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-आचार्य भिक्षु चिकित्सालय-वेतन	26.74	1.22
25		शास्त्री पार्क चिकित्सालय	2210 वाई.1(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-शास्त्री पार्क चिकित्सालय-वेतन	31.00	1.25
26		लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय	2210 एबी.1(1)(1)(1)(1)	अनुसूचित जाति हेतु विशेष घटक योजना लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय (एससीएसपी)	42.33	1.20
27		राव तुला राम चिकित्सालय	2210 एसी.1(1)(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ—राव तुला राम चिकित्सालय, जाफरपुर-वेतन	36.33.	2.17
28		सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र चिकित्सालय	2210 एजी.1(1)(1)(1)(1)	चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ -सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र चिकित्सालय -वेतन	25.10	1.76
29	**अनुवाद सं.8: समाज कल्याण**	परिवहन विभाग	2401 डी.1(1)(1)	वाहनों पर कर-संग्रहण शुल्क-वेतन	26.02	1.90
30	**अनुदान सं. 9: उद्योग**	उद्योग विभाग	2851 ए.2(1)(1)(1)	ग्रामीण एवं लघु उद्योग-निर्देशन और प्रशासन-मुख्यालय स्था.-वेतन	10.37	2.50
31		रोजगार विभाग	2230 बी.1(1)(2)(1)(1)	रोजगार सेवाएं -सामान्य रोजगार कार्यालय-वेतन	5.37	1.09
32	**अनुदान सं.10: विकास**	विकास विभाग	2403 बी.3(2)(1)(1)	पशुचिकित्सा सेवाएं और पशु स्वास्थ्य-चिकित्सालय और डिस्पेंसरियाँ-वेतन	8.08	2.00
33		सहकारिता विभाग	2425 सी.1(1)(1)(1)	सहकारिता-निर्देशन और प्रशासन-मुख्यालय स्था.-वेतन	8.79	1.50
				कुल	**3293.17**	**220.64**

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि अनुदान सं. 10 - विकास में पिछले तीन वर्षों

अर्थात् 2009-10 से 2011-12 के लिए एक करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें हुई, जैसा कि नीचे दिखाया जा रहा है:

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	अनुदान सं.एवं नाम	विभाग	मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष	विवरण	मूल अनुदान/कुल अनुदान	बचत/पुन विंनियोजन
1.	10. विकास	सहकारिता विभाग	2425 सी. 1(1)(1)(1)	सहकारिता-निर्देशन और प्रशासन - मुख्यालय स्था.- वेतन	2009-10 – 8.91	2009-10 – 1.19
					2010-11 – 8.67	2010-11 – 1.08
					2011-12 – 8.79	2011-12 – 1.50

2.7 अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

(अ) मार्च 2012 में ₹ 983.68 करोड़ की अनुदानों के लिए पूरक माँग हेतु स्वीकृति माँगने के समय कुल पुनरीक्षित बजट (पु.ब.) ₹ 27770 करोड़ हुआ जिसमें ₹ 19065.89 करोड़ का राजस्व व्यय और ₹ 8704.11 करोड़ का पूँजीगत व्यय सम्मिलित है । हालांकि, 2011-12 के लिए अंतिम कुल व्यय ₹ 26458.40 करोड़ (₹ 18013.09 करोड़ और ₹ 8445.31 करोड़ का पूंजीगत व्यय) था । यह दर्शाता है कि पूरक अनुदान की माँग हेतु व्यय का अधिक प्राक्कलन किया गया था ।

यह भी पाया गया कि वर्ष 2011-12 में दिल्ली के रा.रा.क्षे. की सरकार ने अनुदानों हेतु पूरक माँग की प्रथम व अंतिम खेप को वित्त वर्ष की समाप्ति पर मार्च 2012 में पारित किया था, जिससे सामान्य वित्तीय नियम के नियम 48 और 56(3) का उल्लंघन हुआ जिससे विभिन्न विभाग या तो सम्पूर्ण पूरक अनुदान का उपयोग नहीं कर सके, अथवा इससे वित्त वर्ष 2011-12 की अंतिम तिमाही/माह में भारी व्यय हुआ ।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों की जाँच से पता चला कि सभी पुनर्विनियोजन आदेश वित्त विभाग द्वारा वित्त वर्ष के अंतिम कार्यदिवस अर्थात् 31 मार्च 2012 को निर्गत किए गए थे । पुनर्विनियोजन आदेश प्रत्यक्ष तौर पर बजट प्रावधान के ऊपर अधिक व्यय की पूर्ति हेतु निर्गत किए गए थे । बजट आवंटन के बिना व्यय किया जाना गंभीर अनियमितता थी जिससे बचा जाना चाहिए था ।

यह मामला लेखा नियंत्रक को भेजा गया जिसने इसे वित्त विभाग, जीएनसीटीडी को उसकी टिप्पणी हेतु भेजा (जनवरी 2013) ।

(ब) वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन नियम 1978 के नियम 8 के अनुसार वस्तु शीर्ष जैसे 51-मोटर वाहन, 52-मशीनरी व उपकरण और 53-प्रमुख कार्य वस्तु श्रेणी-6 (पूंजीगत परिसंपत्तियाँ व अन्य पूँजीगत व्यय का अधिग्रहण) के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं ।

यद्यपि वर्ष 2011-12 के लिए लेखा नियंत्रक द्वारा जीएनसीटीडी द्वारा उपलब्ध कराए गए कान्टैक्ट सॉफ्टवेयर में वर्ष 2011-12 के लिए जीएनसीटीडी के वास्तविक व्यय के

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 83 मामलों (**परिशिष्ट 2.11**) में ₹ 134.71 करोड़ का कुल व्यय उचित ढंग से पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण किए जाने के बजाय त्रुटिपूर्ण ढंग से राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2.8: राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत उल्लिखित पूँजीगत प्रकृति के व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वस्तु शीर्ष	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	51-मोटर वाहन	25	3.56
2.	52-मशीनरी और उपकरण	56	125.70
3.	53-प्रमुख कार्य	02	5.45
	कुल	**83**	**134.71**

स्रोत: कान्टैक्ट सॉफ्टवेयर में वर्ष 2011-12 हेतु व्यय के आंकड़े

इस प्रकार, वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 134.71 करोड़ की धनराशि का बढ़ाकर और राजस्व अधिशेष की इतनी ही राशि का घटाकर उल्लेख किया गया था ।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 के लिए अनुदान हेतु माँगों के विवरण की समीक्षा से पता चला कि 83 मामलों में ₹ 170.47 करोड़ की धनराशि का त्रुटिपूर्ण ढंग से राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रावधान किया गया जो त्रुटिपूर्ण व भ्रान्तिपूर्ण बजटीकरण की ओर संकेत करता है ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर लेखा नियंत्रक ने पुष्टि की कि दिए गए आंकड़े खातों के अनुसार सही हैं और आगे की टिप्पणी हेतु जीएनसीटीडी, ने मामले को वित्त मंत्रालय को भेजा । इसके आगे उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (जनवरी 2013) ।

(स) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत किए गए निर्देशों (मई 2006) के अनुपालन में सभी मामलों में भारतीय समेकित निधि से किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकरण को वस्तु शीर्ष सहायता अनुदान में पुनर्विनियोजन से प्रावधान में वृद्धि संसद/विधायिका के पूर्व अनुमोदन के बाद ही की जा सकती है ।

वर्ष 2011-12 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों की जाँच में पता चला कि 34 मामलों (**परिशिष्ट-2.12**) में वस्तु शीर्ष '31 सहायता अनुदान' में पुनर्विनियोजन से प्रावधानों में वृद्धि की गई ।

लेखा नियंत्रक से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया (दिसम्बर 2012) कि उपरोक्त पुनर्विनियोजनों हेतु विधायिका से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी । उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (जनवरी 2013) ।

(द) इसी प्रकार, पुनर्विनियोजन द्वारा वस्तु शीर्ष 'आर्थिक सहायता' के अन्तर्गत वर्तमान विनियोजन में प्रावधान की वृद्धि हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों (मई 2006) के अनुपालन में यदि वृद्धि संसद/विधायिका द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए जा चुके विनियोजन के 10 *प्रतिशत* या ₹ 10 करोड़ जो भी कम हो, से अधिक है, तो संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति आवश्यक है ।

वर्ष 2011-12 हेतु पुनर्विनियोजन आदेशों की जाँच में पता चला कि 4 मामलों में **(परिशिष्ट 2.13)** वस्तु शीर्ष '33 आर्थिक सहायता' में पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में मूल प्रावधान के 10 *प्रतिशत* अथवा ₹ 10 करोड़ से अधिक वृद्धि की गई थी ।

लेखा नियंत्रक से यह पुष्टि करने का अनुरोध किया गया (दिसम्बर 2012) कि उपरोक्त पुनर्विनियोजनों हेतु विधायिका से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया था या नहीं । उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है (जनवरी 2013) ।

2.8 अनुदान सं. 5-गृह के पुनरीक्षण का निष्कर्ष

2.8.1 भूमिका

अनुदान सं. 5-'गृह' रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार', केन्द्रीय कारागार, नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड्स निदेशालय, दिल्ली अग्निशमन सेवा और अपराधशास्त्र प्रयोगशाला हेतु अनुदान को सम्मिलित करता है । इन संगठनों का सार नीचे प्रस्तुत है:

अ. केन्द्रीय कारागार

केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ नई दिल्ली को उन कैदियों हेतु स्थापित किया गया है जिन्हें सजा का प्रावधान किया गया है अथवा जिन पर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं । कारागार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है: (i) कारागार अभिरक्षा में भेजे गए बंदियों को सुरक्षा व हिरासत प्रदान करना (ii) कैदियों को सुधारना और पुनर्वासित करना और (iii) कैदियों को मानवीय गरिमा बनाए रखने हेतु मौलिक न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान करना ।

ब. नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड्स निदेशालय

होम गार्ड्स का गठन 6 दिसम्बर, 1946 में मुम्बई में नागरिक उपद्रव और साम्प्रदायिक दंगों का नियंत्रण करने में पुलिस की सहायता हेतु किया गया था । तत्पश्चात न्याय व्यवस्था बनाए रखने और बाढ़, अग्नि, दुर्भिक्ष इत्यादि जैसे संकटों से निपटने के लिए पुलिस के सहायक के रूप में स्वैच्छिक नागरिक बल का यह विचार कई अन्य राज्यों

जैसे प्रांतीय रक्षा दल, पश्चिम बंगाल ग्राम ब्लॉक और सिविक गार्ड द्वारा अपनाया गया । 1962 में चीन आक्रमण के परिणामस्वरूप केन्द्र ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने विद्यमान स्वैच्छिक संगठनों को होम गार्ड्स नामक एक अखिल भारतीय बल के रूप में मिलाने की सलाह दी जो अपनी प्रकृति में स्वैच्छिक होगी ।

स. दिल्ली अग्निशमन सेवा

दिल्ली अग्निशमन सेवाएँ दिल्ली में रहने वाले लोगों को अग्नि आपदाओं से बचाने और उनकी जानमाल की रक्षा करने, ऊँची इमारतों (15 मीटर से ऊपर), सिनेमा हॉलों, व्यावसायिक काम्प्लेक्सों और सार्वजनिक सम्मेलन के स्थानों इत्यादि को अग्नि सुरक्षा क्लिअरेन्स जारी करना है । दिल्ली अग्निशमन सेवा का प्रशासकीय नियंत्रण (पूर्व में दि.न.नि. के पास) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के पास है । दिल्ली अग्निशमन सेवा संचालन के प्रयोजन हेतु पाँच विभागों और नौ उप विभागों में बँटा है । प्रत्येक विभाग एक उप प्रमुख अग्निशमन अधिकारी के अधीन है जिसकी सहायता विभाग अधिकारी और सहायक विभाग अधिकारी करते हैं ।

द. अपराधशास्त्र प्रयोगशाला

अपराधशास्त्र प्रयोगशाला (एफएसएल) जाँच एजेंसियों को घटना स्थल पर साक्ष्य अथवा जिन घटनाओं की जाँच आवश्यक हो उनके परीक्षण द्वारा सहायता प्रदान करने में लगी हुई है । एफएसएल के अपनी प्रयोगशाला में रसायनशास्त्र, भौतिकी, जीवनशास्त्र, प्रलेख, बैलिस्टक्स, फोटो, डीएनए इकाई जैसे विभाग हैं । प्रयोगशाला की रिपोर्टों का उद्देश्य न्याय की व्यवस्था करने में सहायता प्रदान करना है ।

2.8.2 बजट व व्यय

अनुदान के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण व अप्रयुक्त प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 2.9 : बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अप्रयुक्त प्रावधान	
		राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1.	2009-10	225.09	0.50	204.31	0.42	20.78	0.08
2.	2010-11	246.32	0.50	223.77	0.35	22.55	0.15
3.	2011-12	291.54	0.50	245.39	Nil	46.15	0.50

नोट:-उपरोक्त आंकड़ें में 'भारित' विनियोजन व संवितरण सम्मिलित हैं ।

2.8.3 विभिन्न उपशीर्षों के अंतर्गत भारी बचतें

बाद के चरण में अभ्यर्पण की संभावना को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से अनुमान तैयार करते समय विभाग को पूर्व निष्पादन, योजनाओं के सूत्रीकरण/क्रियान्वयन के चरणों, क्रियान्वयन एजेंसियों की योजना को क्रियान्वित करने की सांस्थानिक क्षमता, व्यय करने वाली एजेंसियों द्वारा व्यय करने में बाध्यताएँ, इत्यादि को ध्यान में रखना चाहिए ।

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के विनियोजन लेखों की वर्षवार लेखापरीक्षा में पता चला कि विभाग ने विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत अत्यधिक प्रावधान किए जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बचतें हुई । बड़ी बचतें खाली पद न भरे जाने, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, नागरिक सुरक्षा स्टॉफ के सचिव राजस्व को स्थानांतरित किए जाने, भण्डारों व मशीनरी के कम क्रय, कम अग्निशमन उपकरणों इत्यादि के क्रय के कारण हुई । बड़ी बचतें यह दर्शाती हैं कि व्यय अनुमान के अनुसार नहीं हो पाया और ये सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के तन्त्र में कमियों को दर्शाता हैं । 13 मामलों, जिनमें ₹ एक करोड़ से अधिक की बचतें हुईं, की सूची **परिशिष्ट 2.14** में दी गई है ।

2.8.4 निरंतर बचतें

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालय/विभाग द्वारा पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियाँ और प्रमुख तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा मितव्ययिता हेतु समय-समय पर निर्गत किए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए अनुमान तैयार करना चाहिए । वर्ष 2009-10 से 2011-12 हेतु विनियोजन लेखों की संवीक्षा में पता चला कि विभिन्न उपशीर्षों **(परिशिष्ट 2.15)** के अंतर्गत निरंतर बचतें हुईं, जो अव्यावहारिक बजटीकरण, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन और विभाग द्वारा नियम व प्रावधानों के अनुपालन में लापरवाही दर्शाती है । निरंतर बचतों के मुख्य कारण यह थेः

- रिक्त पदों का न भरा जाना और कम दावों/बिलों की प्राप्ति ।
- क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना ।
- परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिया जाना ।
- भण्डारों अर्थात् मशीनरी और उपकरण की कम खरीद ।
- मोटर वाहन का न खरीदा जाना ।

2.8.5 विनियोजन लेखा और व्यय के समन्वित मासिक प्रगति प्रतिवेदन में दर्शाये गए आंकड़ों में अन्तर

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 52(5) के अनुसार, विभाग का अध्यक्ष व लेखा अधिकारी विभागाध्यक्ष द्वारा तैयार की जाने वाले लेखों में दिए गए आंकड़ों को लेखा कार्यालय पुस्तकों में दर्शाए गए आंकड़ों को समन्वित करने हेतु संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।

मार्च 2010, मार्च 2011 और मार्च 2012 के महीनों के लिए व्यय के मासिक प्रगति प्रतिवेदन से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 के लिए प्रधान वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा तैयार अनुदान सं. 5 के विनियोजन लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों और विभाग अध्यक्ष द्वारा तैयार व्यय की मासिक प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों में विसंगतियाँ थीं, जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है ।

2.8.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

सामान्य वित्तीय नियमों का नियम 56(2) यह प्रावधान करता है कि अनुदान अथवा विनियोजन को, जैसे ही इनका पूर्वानुमान कर लिया जाए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाए । अव्ययित प्रावधान भविष्य की किसी संभावित अधिकता हेतु भी बचा कर नहीं रखना चाहिए । नमूना जाँच में पाया गया कि इसके विपरीत, केन्द्रीय कारागार ने वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमशः कुल ₹ 3.71 करोड़ और ₹ 3.00 करोड़ के अव्ययित प्रावधान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अभ्यर्पित किया । विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.17** में दिए गए हैं । ये अभ्यर्पण वित्त मंत्रालय, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निर्गत अभ्यर्पण आदेशों में सम्मिलित नहीं हैं । यदि उपरोक्त अव्ययित प्रावधान समय पर अभ्यर्पित किया जाता, तो इन्हें समाप्त होने देने के बजाए इनका सरकार की अन्य योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों में सफल रूप से उपयोग किया जा सकता था ।

2.8.7 व्यय का द्रुत प्रवाह

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 56(3) के अनुसार व्यय का द्रुत प्रवाह, विशेषतः यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के महीनों में, वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए । इसके विपरीत पिछले तीन वर्षों के दौरान मार्च के महीने के दौरान विभाग द्वारा लेखे के तीन शीर्षों के विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत किया गया शीर्षवार व्यय कुल व्यय का 52 *प्रतिशत* से 100 *प्रतिशत* के मध्य था और वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय के 64 *प्रतिशत* और 100 *प्रतिशत* के मध्य था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.18** में दर्शाया गया है ।

2.8.8 अव्यावहारिक बजटीकरण

सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 48(2) के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को अन्य बातों के साथ पिछले वर्षों के दौरान संवितरण की प्रवृत्तियों और महत्वपूर्ण कारकों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए मितव्ययिता हेतु निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने चाहिए । वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि लेखों के तीन शीर्षों के नौ उपशीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह गया (**परिशिष्ट 2.19**) ।

विनियोजन लेखों में दर्शाए गए कारणों से पता चला कि मामला अभी बी.आई.एस. के अन्तर्गत प्रक्रिया में है, ओवरटाईम भत्ता की अदायगी नहीं की गई और विदेश यात्राओं का आयोजन नहीं किया गया । यह दर्शाता है कि बजट अनुमान को पर्याप्त पूर्व बजटीय समीक्षा के बाद नहीं बनाया गया ।

2.8.9 अनावश्यक पूरक अनुदान

पूरक अनुदान प्राप्त करते समय विभाग को उपलब्ध संसाधन या वर्ष के दौरान उपलब्ध रहने की संभावना वाले संसाधनों को ध्यान में रखना चाहिए और निधियों की अतिरिक्त बजटीय आवश्यकता के अनुमान के समय आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए । पूरक माँगों का सहारा केवल असाधारण व अत्यावश्यक मामलों में ही लेना चाहिए ।

लेखापरीक्षा से पता चला कि निम्न मामलों में विभाग ने उच्चतर व्यय का पूर्वाभास कर पूरक प्रावधानों की माँग की परंतु अंतिम व्यय मौलिक अनुदानों/विनियोजनों से कम था, जो यह दर्शाता है कि पूरक प्रावधान अनावश्यक थे और बजटीकरण दोषपूर्ण था । पूरक अनुदानों के अनुपयोग के कारण, रिक्त पदों का न भरा जाना, कम बिलों/दावों की प्राप्ति और मितव्ययिता के उपाय बताए गए ।

तालिका 2.10 : अनावश्यक पूरक अनुदान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	व्यय न किया गया प्रावधान
1.	2010-11	2070-बी1(1) (1) (4) नागरिक सुरक्षा का पुनरीक्षण करना (राज्य का हिस्सा)	पू.-8.00	शून्य	8.00
2.	2010-11	2070-सी1(1)(2) सुरक्षा व नियंत्रण भारित	मू-9147 पू.-1134 पू.-(-) 923	7927.29	3276.71
3.	2011-12	2070-सी1(1)(4)(1)- प्रशिक्षण हेतु उपकरण की खरीद (सीएसएस)	पू.-1.00 पू.-37.27	शून्य	38.27

2.8.10 उप-शीर्षों में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

निम्नलिखित उप-शीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि उप-शीर्षों के अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक पाया गया ।

उप-शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचतें उप-शीर्षों के अन्तर्गत पुनर्विनियोजित धनराशि से अधिक थीं, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका 2.11 : उप-शीर्षों में निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

(₹ लाख में)

क्रं. सं.	वर्ष	उप-शीर्ष	मूल (मू)	पुनर्विनियोजन	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
1.	2010-11	2056-ए 1-कारागार ए 1(1) निर्देशन और प्रशा. ए 1(1) (1) कारागार स्था. (भारित)	15.00	7.00	22.00	12.11	9.89
2.	2010-11	2055-डी1पुलिस डी1(1) अपराधशास्त्र डी1(1)(1) अपराधशास्त्र प्रयोगशाला	1169.00	42.20	1211.20	925.94	285.26
3.	2011-12	ए 1- कारागार ए 1(1) निर्देशन और प्रशा. ए1(1)(1) कारागार स्था. (भारित)	23.00	2.00	25.00	17.70	7.30

2.8.11 विनियोजन से अधिक व्यय

यह लेखा कार्यालय का एक महत्वपूर्ण प्रकार्य है कि बजटीय आवंटन से अधिक भुगतान न किया जाए । वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा अदायगी अनुदान का नियंत्रण करने वाले विभागाध्यक्ष से यह लिखित आश्वासन कि संवितरण को समायोजित करने हेतु आवश्यक निधियाँ पुनर्विनियोजन आदेश के निर्गत द्वारा प्रदान की जाएँगी, प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी ।

नागरिक सुरक्षा व होम गार्ड्स निदेशालय के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उपशीर्ष 2070 व 1(1)(1)(9)-अन्य शुल्क के अन्तर्गत अनुदानों की माँग में मूल प्रावधान ₹ 4.99 करोड़ था जो वर्ष 2009-10 हेतु संशोधित अनुमानों में बढ़कर ₹ 5.52 करोड़ कर दिया गया । हालांकि विभाग ने बजट प्रावधान में दिए गए ₹ 5.52 करोड़ के प्रति ₹ 5.64 करोड़ का व्यय किया । इस प्रकार, विभाग ने ₹ 0.12 करोड़ का अधिक भुगतान किया । परंतु अधिक व्यय को समायोजित करने हेतु कोई पुनर्विनियोजन आदेश निर्गत नहीं किए जो दोषपूर्ण बजटीय नियंत्रण की ओर संकेत करता है ।

2.9 आन्तरिक लेखापरीक्षा

जीएनसीटीडी दिल्ली का लेखापरीक्षा निदेशालय, गृह विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा के आयोजन हेतु उत्तरदायी है । यह पाया गया कि गृह विभाग के अन्तर्गत इकाईयों की लेखापरीक्षा का कार्य नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है । 2010-11 से 2011-12 की अवधि हेतु गृह विभाग की आन्तरिक लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है ।

2.10 निष्कर्ष

2011-12 के दौरान ₹ 28050.67 करोड़ के कुल प्रावधान के प्रति ₹ 26458.40 करोड़ का व्यय हुआ । इसके परिणामस्वरूप ₹ 1592.27 करोड़ (5.67 *प्रतिशत*) का प्रावधान अव्ययित रहा गया । बचतें मुख्यतः कम दावों/बिलों की प्राप्ति, भण्डार मदों/मशीनरी व उपकरण का कम क्रय, विभिन्न संगठनों को कम अनुदान निर्गत करने, कार्य की धीमी प्रगति और समय पर क्रय प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण हुई थीं । 2006-07 से 2010-11 की अवधि से संबंधित ₹ 47.60 करोड़ के अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमितीकरण किया जाना अपेक्षित था । जबकि 31 मामलों में ₹ 118.48 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक था, 40 मामलों में जिनमें अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं, निधियों का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 211.95 करोड़ का प्रावधान अप्रयुक्त रह गया/अधिक हो गया । आठ अनुदानों व एक विनियोजन में, वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में ₹ 272.23 करोड़ का अभ्यर्पण किया गया । आठ अनुदानों/विनियोजनों में रिक्त पदों हेतु ₹ 220.64 करोड़ का प्रावधान जीएनसीटीडी के वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लंघन करते हुए किया गया ।

2.11 सिफारिशें

बजटीकरण प्रक्रिया में परिणाम उत्पन्न करने में सम्बद्ध निष्पादन और व्यय के बीच सम्बन्ध पर सूचना को सम्मिलित किया जाना चाहिए । बजटीय नियंत्रण को उन सभी सरकारी विभागों में सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जहाँ पिछले पाँच वर्षों से निरंतर बचतें हो रही हैं । पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण आदेश वर्ष के अंत में निर्गत नहीं करने चाहिए, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी बताया गया है । ऐसे शीर्षों में जहाँ वास्तविक अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है, पुनर्विनियोजन/पूरक अनुदानों को समुचित आकलन करने के बाद दिया जाना अपेक्षित है । रिक्त पदों के प्रावधान रखने की प्रथा से भी बचना चाहिए ।

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक तथा विश्वसनीय सूचना के साथ ठोस आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष तथा प्रभावी प्रशासन के लिये महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालना के साथ-साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता तथा सामयिकता अच्छे प्रशासन का द्योतक है । अनुपालना तथा नियंत्रणों पर रिपोर्ट, यदि प्रभावी तथा क्रियात्मक हो, राज्य सरकार को उनके बुनियादी उत्तरदायित्व जैसे विशेष उद्देश्य के लिये योजना तैयार करने तथा निर्णय लेने में सहायता करती है । यह अध्याय वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निदेशों का विहंगावलोकन तथा अनुपालना के स्तर को प्रस्तुत करता है ।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदान लेने वाले सांविधिक निकायों, गैरसरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों का उपयोगिता प्रमाणपत्र (उ.प्र.) यह सूचित करते हुये प्राप्त करना आवश्यक है कि अनुदान जिस उद्देश्य के लिये स्वीकृत किये गये थे उसी के लिये उसका उपयोग किया गया है तथा जहां अनुदान शर्तों पर आधारित थे, निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गयी हैं । मुख्य वेतन एवं लेखा अधिकारी, दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार उ.प्र. को जमा करने में अवधि-वार विलम्ब का संक्षिप्त विवरण नीचे **तालिका 3.1** में दिया गया है ।

तालिका 3.1 : उपयोगिता प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति में आयु-वार बकाया

(राशि : ₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विलम्बित वर्षों की सीमा	कुल दिया गया अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0-2	427	6490.57	352	2922.13
2.	2-4	360	3044.83	322	3030.61
3.	4-6	1303	2027.37	1303	2027.37
4.	6-8	200	960.34	200	960.34
5.	8-10	200	1874.68	200	1874.68
6.	10 तथा उससे अधिक	2067	3776.49	2067	3776.49
	कुल	**4587**	**18174.28**	**4444**	**14591.62**

उपरोक्त तालिका में यह देखा गया कि ₹ 18174.28 करोड़ के 4587 अनुदान 31 मार्च 2011 तक दिये गये थे । 4587 अनुदानों में से ₹ 14591.62 करोड़ के 4444 उपयोगिता प्रमाणपत्र विभिन्न स्वायत्त इकाईयों से मार्च 2012 के अन्त तक प्रतीक्षित थे । बकाया 4444 उ.प्र. में से ₹ 3776.49 करोड़ के 2067 उ.प्र. (46.51 *प्रतिशत*) 10 वर्षों से अधिक समय तक लम्बित पड़े थे ।

मुख्य चूककर्ता शहरी विकास विभाग था जिसका ₹ 13651.31 करोड़ (93.56 *प्रतिशत*) का बकाया था । इसी के साथ शहरी विकास विभाग से अनुदान प्राप्त करने वाले दिल्ली नगर निगम पूर्व स्थापित दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड और नई दिल्ली नगर पालिका मुख्य चूककर्ता थे, जिन्होंने उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा नही करवाए थे । बकाया उ.प्र. की वर्ष वार के साथ-साथ विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है ।

3.2 लेखों की गैर-प्रस्तुति/प्रस्तुति में विलम्ब

नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 14 तथा 15 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिये संस्थानों की पहचान करने के लिये सरकार/विभागाध्यक्ष से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा को विभिन्न संस्थानों को दी गयी वित्तीय सहायता, सहायता का उद्देश्य और संस्थानों पर कुल खर्च के विषय में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करे । इस कार्यालय के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले नौ[1] स्वायत्त निकायों में से चार[2] स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2010-11 तक के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए है तथा 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित किये गये ।

बाकी पांच स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के 2010-11 तक के बकाया वार्षिक लेखे

[1] (i) दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर्स कल्याण बोर्ड, (ii) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (iii)दिल्ली जल बोर्ड (iv) दिल्ली कल्याण समिति (v) दिल्ली विधि सेवा आयोग (vi) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (vii) नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (viii)इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान और (ix) दिल्ली शहरीकरण शेल्टर विकास बोर्ड

[2] (i) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ii) दिल्ली कल्याण समिति (iii) दिल्ली विधिक सेवा आयोग और (iv) गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ।

प्रधान महालेखाकार (ले.प.) दिल्ली कार्यालय में मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं हुये थे । इन बकाया लेखाओं का विवरण नीचे **तालिका 3.2** में दिया गया है:

तालिका 3.2 : इकाईयों तथा प्राधिकरणों के नाम को दिखाती विवरणी, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे

	इकाई/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लिए लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	वर्षों की सं. जिसके लिए लेखे बकाया थे	प्राप्त सहायता (₹ लाख में)
1	दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण वर्कर्स कल्याण बोर्ड ,	2002-03 से 2010-11	9	-
2	नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान (ने.स.त.सं.)	2008-09 से 2010-11	3	गैर योजना गत 292.00 योजनागत 650.00
3	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	2006-07 से 2010-11	5	योजनागत 104444.50
4	इन्द्रप्रस्थ सूचना तकनीकी संस्थान	2008-09 से 2010-11	3	योजनागत 1000
5	दिल्ली शहरीकरण शेल्टर विकास बोर्ड	2010-11	1	-
	कुल		21	

इस तालिका से देखा जा सकता है कि पाँच स्वायत्त इकाईयों/प्राधिकरणों के वर्ष 2010-11 तक 21 वार्षिक लेखे प्रस्तुति के लिए बकाया थे । दिल्ली बिल्डिंग तथा अन्य कन्सट्रक्शन वर्कर्स कल्याण बोर्ड के प्रारंभ से (2002-03) नौ वार्षिक लेखे बकाया थे । नेताजी सुभाष तकनीकी संस्थान ने 2008-09 से तीन वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किए । जबकि दिल्ली जल बोर्ड को 2006-07 से पाँच लेखे प्रस्तुत करने थे । इसी प्रकार इंद्रप्रस्थ तकनीकी संस्थान तथा दिल्ली शहरी शेल्टर विकास बोर्ड ने अपने प्रारंभ (2008-09 और 2010-11) से क्रमशः तीन और एक लेखे जमा नहीं किए थे ।

3.3 लेखापरीक्षा को लेखों के प्रस्तुत करने में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में स्थापित की गई स्वायत इकाईयों की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उनके लेन-देनों का सत्यापन, परिचालन कार्यकलापों तथा लेखों, सभी लेन-देनों की नियमित अनुपालना लेखापरीक्षा का संचालन, आन्तरिक प्रबन्धन तथा वित्तीय नियंत्रण का पुनरीक्षण, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण आदि के संबंध में लेखापरीक्षा की जाती है । लेखापरीक्षा कार्य सौंपने, लेखापरीक्षा को लेखे प्रदान करने की स्थिति **परिशिष्ट 3.2** में दर्शाई गयी है । नि.म.ले.प. को लेखापरीक्षा कार्य सौंपने के बाद लेखापरीक्षा के लिए लेखों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

के अनुसार स्वायत्त निकायों के आवृति वितरण **तालिका 3.3** में नीचे संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं:

तालिका 3.3 : लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब (माह में)	स्वायत्त निकायों की संख्या	विलम्ब का कारण
0-1	-	-
1-6	-	-
6-12	-	-
12-18	-	-
18-24	-	-
24 एवं अधिक	5	उ.न.
कुल	**5**	

उ.न=उपलब्ध नहीं

3.4 दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि

31 मार्च 2012 तक लेखापरीक्षा द्वारा ₹ 17.63 लाख मूल्य की चोरी, सामग्री का दुरूपयोग/हानि के उनत्तीस मामलों का पता चला । लम्बित मामलों का विभाग-वार ब्यौरा तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट 3.3** में तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट 3.4** में दर्शायी गई है । लम्बित मामलों की आवधिक रूपरेखा तथा वर्ग-वार चोरी और दुरूपयोग/सामग्री की हानि में लम्बित मामलों की संख्या जिन्हें इन **परिशिष्टों** से लिया गया है **तालिका 3.4** में दर्शायी गई है ।

तालिका 3.4: दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि की रूपरेखा

लम्बित मामलों की अवधि की रूपरेखा			लम्बित मामलों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति	मामलों की संख्या	सम्मिलित राशि (₹ लाख में)
0-5	20	17.15	चोरी	12	1.37
5-10	7	0.05			
10-15	1	0.03	दुरूपयोग/सामग्री की हानि	17	16.26
15-20	1	0.40			
कुल	**29**	**17.63**	**कुल बकाया मामले**	**29**	**17.63**

इन उनतीस मामलों में से, नौ मामले अस्पतालों से, छः मामले शिक्षा विभाग से और समाज कल्याण विभाग तथा रा.के.को. में से प्रत्येक के दो मामले हैं ।

3.5 असमायोजित सार आकस्मिक बिल

प्राप्ति तथा भुगतान नियमों के नियम 118 में निर्धारित है कि सार आकस्मिक (ए.सी.) बिलों से आहरित धन को स्टोर के आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के भुगतान के लिए, उसके लेने की तिथि के एक माह के अन्दर विस्तृत बिलों को प्रस्तुत कर समायोजित किया जाना चाहिए । 31 मार्च 2012 तक कुल ₹ 644.55 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों के प्रति केवल ₹ 185.07 करोड़ के प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल (डी.सी.सी.) प्राप्त हुए थे इस प्रकार ₹ 459.48 करोड़ के डी.सी.सी. बिल शेष बकाया थे । चालू वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त डी.सी.सी. बिलों की कुल राशि ₹ 241.59 करोड़ थी जिसके विरूद्ध ₹ 57.53 करोड़ के प्रति हस्ताक्षरित (डी.सी.सी.) बिल ही प्राप्त हुए थे । वर्ष-वार विवरण **तालिका 3.5** में नीचे दिया गया है:

तालिका 3.5: सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतिकरण में बकाया

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.सी.बिलों की राशि	डीसीसी बिलों की राशि	ए.सी. बिलों की प्रतिशतता के रूप में डी.सी.सी. बिल	बकाया ए.सी.बिल
2007-08 तक	137.80	10.38	7.53	127.42
2008-09	33.20	5.00	15.06	28.20
2009-10	67.16	17.82	26.53	49.34
2010-11	164.80	94.34	57.25	70.46
2011-12	241.59	57.53	23.81	184.06
कुल	**644.55**	**185.07**		**459.48**

विभिन्न विभागों द्वारा डी.सी.सी. बिलों के गैर-प्रस्तुतिकरण के कारण, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निधियों को उन्ही उद्देश्यों हेतु उपयोग किया गया था जिनके लिए उन्हें आहरित किया गया था । इस प्रकार, विस्तृत आकस्मिक बिलों की अनुपस्थिति में निधियों के अस्थायी दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था । विभाग ने प्रत्युत्तर में बताया कि कुल सार आकस्मिक बिलों में से 25 प्रतिशत बिल विभिन्न अस्पतालों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में खोले गए साख पत्र (सा.प.) खातों से संबंधित थे तथा अस्पताल प्राधिकारियों ने इन खातों को बंद करने तथा इनके समायोजन बिलों को दिसम्बर 2012 तक लेखा कार्यालय में जमा करने की सलाह दी थी । सार आकस्मिक बिलों के शेष 75 प्रतिशत बिलों के असमायोजन के कारणों को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया (दिसम्बर 2012)।

3.6 व्यक्तिगत जमा खाते

प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राज्य की समेकित निधि में डेबिट द्वारा निधि रखने के उद्देश्य के लिए कोई व्यक्तिगत जमा खाता संचालित नहीं किया जा रहा है । यद्यपि महानियंत्रक लेखा (सी.जी.ए.) तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ग्यारह व्यक्तिगत जमा खाते खोले गए थे, जिनका विवरण नीचे है:

(i) **आवास कमिश्नर,भूमि एवं भवन:** भूमि अधिग्रहण एजेंसी जैसे डी.डी.ए. आदि से प्रतिपूर्ति/बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति की लागत प्राप्तियों के रूप में डिपोजिट प्राप्त किया जाता है तथा उन्हें बाद में भूमि अधिग्रहण कलैक्टरों के पक्ष में,भूमि मालिकों को भुगतान हेतु जिनकी भूमि का अधिग्रहण 'भूमि का बड़े स्तर पर अधिग्रहण' स्कीम में किया गया था, जारी कर दिया जाता है ।

(ii) **दिल्ली उच्च न्यायालय:** व्यक्तिगत खाता बही को निधियाँ पेपर बुक मामलों में प्राप्त जांच प्रभार, सुरक्षा प्रभार तथा चुनाव आवेदनों के शुल्कों से प्राप्त डिपॉजिट से प्रदान की जाती हैं ।

(iii) **जिला एवं सत्र न्यायालय:** न्यायालय के आदेशानुसार यह खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(iv) **जिला न्यायाधीश-II तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला प्रभारी** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराया आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(v) **जिला न्यायाधीश-III तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पश्चिम जिला प्रभारी** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(vi) **जिला न्यायाधीश-IV तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश नई दिल्ली जिला प्रभारी:** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(vii) **जिला न्यायाधीश-V तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दक्षिणी जिला प्रभारी:** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(viii) **जिला न्यायाधीश-VI तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पूर्वी जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(ix) **जिला न्यायाधीश-VII तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश उत्तर पूर्वी जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(x) **जिला न्यायाधीश-VIII तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश उत्तर पश्चिम जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

(xi) **जिला न्यायाधीश-IX तथा अतिरिक्त सत्र न्यायधीश दक्षिण पश्चिम जिला प्रभारीः** न्यायालय के आदेशानुसार प्रत्येक प्रकार के डिपोजिट जैसे सिविल डिपोजिट, अपराधी डिपोजिट तथा खाता वादकारियों के किराये आदि के डिपोजिट/आहरण के उद्देश्य के लिए संचालित किया जाता है ।

31 मार्च 2012 तक के बकायों के विवरणों को माँगा गया था (नवम्बर 2012) जो कि प्रतीक्षित है ।

3.7 उचंत शेष

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार का कोई पृथक लोक खाता नहीं है तथा लेन-देन संघीय सरकार के लोक खाते के अन्तर्गत किए जाते हैं । ऐसे सभी लेन-देनों को अन्त में नकद रूप में वसूली के भुगतान अथवा बुक समायोजन द्वारा समाशोधित किया जाता है । प्रारम्भ में इन्हें उचंत शीर्षों में दर्ज किया जाता है जिनका कम अन्तरालों में पुनरीक्षण किया जाता हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित रूप से आवश्यकता से अधिक समय तक कोई मद असमायोजित न रहे तथा प्रत्येक मामले में लागू नियमों के अनुसार इसका समाशोधन सामान्य प्रकार से हो । यहाँ, इस प्रकार, इन शेषों को तेजी से समाशोधित करने की तथा उन्हें उचित लेखा शीर्षों में वर्गीकरण करने की आवश्यकता है ।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तैयार किए गए लोक लेखा (केन्द्रीय) में ऐसे लेन-देनों की

जांच से पता चला कि पिछले पांच वर्षों के दौरान 'उचंत शीर्षों' के अन्तर्गत बड़े शेष बकाया थे ।

जिन्हें **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.6: उचंत शीर्षों के अन्तर्गत राशि

(₹ करोड़ में)

मार्च के अन्त में	निवल राशि
2012	*डेबिट 215.62
2011	डेबिट 158.81
2010	डेबिट 101.02
2009	डेबिट 631.52
2008	डेबिट 19.68

***31मार्च 2012 को विभिन्न उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेषों का विवरण नीचे दिया गया है ।**

(₹ करोड़ में)

वेतन एवं लेखा कार्यालय उचंत खाता	डेबिट 66.71
नकद परिशोधन उचंत लेखा (न.प.उ.ले.)	डेबिट 160.27
भविष्य निधि उचंत लेखा	डेबिट 0.09
सार्वजनिक क्षेत्र बैंक उचंत लेखा	डेबिट 18.07
सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ले.)	क्रेडिट 29.42
उचंत लेखा (नागरिक)	क्रेडिट 0.10
कुल	**डेबिट 215.62**

प्रधान लेखा कार्यालय ने कहा कि 'नकद परिशोधन उचंत लेखों' (न.प.उ.ले.) शीर्ष के अन्तर्गत बकाया राशि का मुख्य भाग पी.ए.ओ. (एनएस) सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मन्त्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत दिल्ली पुलिस से संबंधित है तथा सामग्री क्रय उचंत लेखा (सा.क्र.उ.ले.) एवं न.प.उ.ले. के अन्तर्गत बकाया शेषों के परिशोधन के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के.लो.नि.वि. के मुख्य अभियन्ता के साथ मामला उठाया गया । इससे आगे कहा कि सभी पी.ए.ओ. को बकाया बाह्य दावों की प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही के अनुदेश दिए गए थे और सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के उचंत लेखों में डेविट शेष इसलिए विधमान है क्योंकि जनवरी 2009 में स्टेट बैंक ने कोर बैंकिग प्रणाली का आरंभ किया था । इसके अतिरिक्त, शेषों के परिसमापन के मामलों को संबंधित प्राधिकारी के समक्ष उठाया गया था ।

3.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

₹ 14591.62 करोड़ की सहायता अनुदान के लिए विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भेजना बकाया था । 4444 बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹ 3776.49 करोड़ राशि के 2067 उपयोगिता प्रमाण पत्र (46.51 *प्रतिशत*) 10 वर्षों से अधिक से बकाया थे । सात स्वायत्त निकायों में से 2010-11 तक बकाया तीन स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे मार्च 2012 तक प्राप्त नहीं हुए थे ।

राज्य सरकार के विभागों ने दुरूपयोग, हानि, चोरी, गबन इत्यादि के 29 मामलों की सूचना दी थी जिसमें मार्च 2012 तक ₹ 17.64 लाख की सार्वजनिक राशि सम्मिलित थी । इन मामलों में अन्तिम कार्रवाई शेष थी ।

विभागाध्यक्षों को उपयोगिता प्रमाणपत्रों तथा स्वायत्त निकायों द्वारा वार्षिक लेखों की तीव्र प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना चाहिए । सरकार/विभागाध्यक्षों को दुरूपयोग चोरी, हानि आदि के बकाया मामलों में वसूली, कुल हानि आदि के संबंध में आदेशों को शीघ्र सम्पादित करना चाहिए तथा बकाया मामलों में तीव्र जांच-पड़ताल के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करनी चाहिए ।

नई दिल्ली
दिनांक :

(डौली चक्रबर्ती)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक :

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट - 1.1

राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)

ए.	सामान्य आँकड़े		
क्र.सं.	विवरण		संख्या
1	क्षेत्रफल		1483 वर्ग किमी.
2	जनसंख्या		
	ए	2001 की जनगणना के अनुसार	1.39 करोड़
	बी	2011 की जनगणना के अनुसार	1.68 करोड़
3.	ए	जनसंख्या घनत्व (2001 के अनुसार). (सम्पूर्ण भारत का घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	बी	**जनसंख्या घनत्व (2011) संपूर्ण भारत का घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)**	11297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	* गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बी पी एल) **(अखिल भारतीय औसत** = 27.5 %)		**14.7 प्रतिशत**
5.	ए	**साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.8प्रतिशत)**	**81.67प्रतिशत**
	बी	**साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=74.0प्रतिशत)**	**86.34 प्रतिशत**
6.	बाल मृत्यु दर *** (प्रति 1000 जीवित जन्म पर). (अखिल भारतीय औसत =47 प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वालों पर)		
7.	**जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)**		
8.	गिनी गुणांक****		
	ए	ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.30)	0.26
	बी	शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.33
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2011-12 वर्तमान मूल्य पर		₹ 313933.51 करोड़
10.	स.रा.घ.उ.मि.वा.वृ.द (2002-03 से 2011-12) दिल्ली	**दिल्ली**	
		अन्य 16 + सामान्य वर्ग के राज्य	**13.09 प्रतिशत**
11.	स.रा.घ.उ. मि.वा.वृ.द. (2002-03 से 2011-2012)	**दिल्ली**	**16.84 प्रतिशत**
		अन्य 16 + सामान्य वर्ग के राज्य	**14.46 प्रतिशत**
12.	जनसंख्या वृद्धि (2002- 2003 से 2011-2012)	**दिल्ली**	
		अन्य 16 + सामान्य वर्ग के राज्य	**13.90प्रतिशत**

	बी	वित्तीय आंकड़े			
क्र.सं.	विवरण	संख्या (प्रतिशत में)			
1	**सी ए जी आर** **	**2002-03 से 2010-11**		**2002-03 से 2011-12**	
		16+ सामान्य वर्ग के राज्य	दिल्ली	दिल्ली	
	ए	राजस्व प्राप्ति का	**16.86**	**17.98**	**14.41**
	बी	कर राजस्व का	**16.74**	**15.17**	**15.82**
	सी	गैर कर राजस्व का	**12.84**	**22.43**	**6.32**
	डी	कुल व्यय का	**14.58**	**13.05**	**11.81**
	ई	पूंजीगत व्यय का	**21.25**	**20.21**	**17.84**
	एफ	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	**15.41**	**16.3 1**	**16.11**
	जी	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	**14.00**	**19.65**	**18.76**

साधारण आंकड़े के स्रोतः बी.पी.एल (योजना आयोग और एन एस एस ओ आकड़े, 61 वाँ चरण) **** गिनी गुणांक (योजना आयोग का गैर-सरकार अनुमान और एन एस.एस.ओ आंकड़े 61 वाँ चरण 2004-05 एम.आर.पी.)** संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर*** नव-जात शिशु मृत्यु दर (एस.आर.एस.बुलेटिन जनवरी, 2011), वित्तीय आकड़े राज्य सरकारों के वित्तीय लेखों पर आधारित हैं । + गोवा, दिल्ली और पुद्दुचेरी को छोड़कर ।

गिनी गुणांक जनसंख्या में आय विवरण असमानता का एक मानक है । जहाँ मूल्य दर शून्य से एक है, शून्य के पास असमानता कम है, एक के समापन पर असमानता उच्चतर है ।

परिशिष्ट 1.2
(पैराग्राफ 1.1 को देखें)
भाग क: सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट

सरकारी लेखों की संरचनाः राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते है-

(i)समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि (iii) लोक लेखे

भाग I समेकित निधिः राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार बिलों के सभी ऋण , आंतरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों के पुनः भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाते हैं । राज्य की समेकित निधि की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत की गई ।

भाग II आकस्मिक निधिः राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत की गई है जो राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि विधान मंडल द्वारा लम्बित प्राधिकार प्राप्त होने तक तत्कालीन अप्रत्याशित व्यय को पूरा किया जा सके । तदन्तर ऐसे व्यय के लिये तथा समेकित निधि से समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधान मंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है ।

भाग III लोक लेखाः कुल लेन-देनों जैसे लघु बचतों भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचंत, प्रेषण, इत्यादि के संबध में प्राप्ति तथा संवितरण जिन्हें समेकित निधि में सम्मिलित नहीं किया जाता है, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते है तथा राज्य विधान मंडल द्वारा वोट से संबधित नहीं है ।

भाग ख : वित्त लेखों की स्थिति

विवरणी	स्थिति
विवरणी सं.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के समेकित निधि में प्राप्तियाँ तथा व्यय, राजस्व तथा पूँजी, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि राज्य सरकार के लेन देनों का सारांश
विवरणी सं.2	वर्ष की समाप्ति तक प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूँजीगत परिव्यय का संक्षिप्त विवरण
विवरणी सं.3	राज्य की ऋण स्थिति का सारांश जिसमें आंतरिक ऋणों से उधार, भारत सरकार के उधार, अन्य देयताएं एवं ऋणों की सेवाएं सम्मिलित है ।
विवरणी सं.4	वर्ष के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम किए गये पुनः भुगतानों और बकाया में वसूलियों इत्यादि का सारांश ।
विवरणी सं.5	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की ओर से भारत सरकार द्वारा दी गयी गारंटी का सारांश
विवरणी सं.6	वर्ष की समाप्ति पर शेषों का सारांश
विवरणी सं.7	वर्ष के लिये विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व और व्यय
विवरणी सं. 8	वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य संवितरण
विवरणी सं.9	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व का विस्तृत लेखा
विवरणी सं. 10	वर्ष के लिये पृथक रूप से गैर योजनागत एवं योजनागत के अन्तर्गत लघु शीर्ष के राजस्व व्यय और मुख्य शीर्ष वार पूंजीगत व्यय के लेखे
विवरणी सं. 11	वर्ष के दौरान तथा वर्ष की समाप्ति तक किये गये विस्तृत पूंजीगत व्यय
विवरणी सं. 12	वर्ष की समाप्ति तक सरकारी कंपनियों तथा सहकारी संस्थानों में सरकार के निवेश का विवरण
विवरणी सं.13	वर्ष की समाप्ति तक (राजस्व लेखों के अलावा) अन्य व्यय तथा पूंजीगत व्यय और प्रमुख स्त्रोत जिसमें निधियाँ उस व्यय के लिये प्रदान की गयी थीं ।
विवरणी सं.14	ऋण, कर्जों तथा अग्रिमों इत्यादि से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियों, संवितरणों और शेंषों का विस्तृत लेखा ।
विवरणी सं. 15	सरकार के ऋण का विस्तृत लेखा
विवरणी सं. 16	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान अदा की गयी ऋणों की राशि, तथा वर्ष की समाप्ति पर शेषों का विस्तृत लेखा

राजकोषीय की समस्त रूपरेखा और प्रवृत्तियों के निर्धारण में प्रयुक्त कुछ चुनी गई शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है :

शर्तें	गणना का आधार
पैरामीटर की बायंसि	पैरामीटर की वृद्धि की दर / स.रा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरामीटर (वाई) के संदर्भ में पैरामीटर (एक्स) की बायंसि	पैरामीटर(एक्स) की वृद्धि की दर / पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (वृ.द.)	[(वर्तमान वर्ष की राशि / पिछले वर्ष की राशि)-1] *100
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+ आर्थिक सेवायें
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष के राजकोषीय देयताओं की राशि+वर्तमान वर्ष के राजकोषीय देयताओं)2]*100
ब्याज का फैलाव	स.रा.घ.उ.वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा का फैलाव	ऋण स्टॉक *ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में प्राप्त ब्याज	ब्याज प्राप्ति [(प्रारम्भिक शेष +ऋणों और अग्रिमों का अन्तः शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्ति -विविध पूंजीगत प्राप्ति
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज का भुगतान
वर्तमान राजस्व का शेष (व.रा.शे.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटा सभी योजनागत अनुदान तथा गैर-योजनागत राजस्व व्यय प्रमुख शीर्ष 2048 के अंतर्गत खर्चों को सम्मिलित न करते हुए - ऋण से बचाव को कम करने के लिए विनियोजन

परिशिष्ट 1.3
राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आंकड़े
(पैराग्राफ 1.2 और 1.5 को देखें)

(₹ करोड़ में)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भाग एः राजस्व					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	14912.38	16352.21	20451.34	25024.10	22393.17
(i) कर राजस्व	11782.80	12180.70	13447.86	16477.75	19971.67
कृषि आय पर कर					
बिक्री, व्यापार, इत्यादि पर कर	8310.48	9152.09	10126.01	12068.62	13750.95
राज्य उत्पाद शुल्क	1301.25	1420.91	1643.56	2027.09	2533.72
वाहनों पर शुल्क	420.20	419.12	462.65	707.55	1049.19
स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क	1318.39	787.99	929.97	1355.75	2240.25
भूमि राजस्व	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01
माल और यात्रियों पर कर	-	-	-	-	
अन्य कर	432.46	400.57	285.64	318.71	397.54
(ii) गैर-कर राजस्व	1816.70	2300.73	3467.40	4188.95	460.87
(iii) केन्द्र कर व शुल्क में राज्य अंश	-	-	-	-	
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	1312.88	1870.79	3536.08	4357.40	1960.64
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ					
3. ऋणों व अग्रिमों की वसूली	231.26	798.99	318.15	436.77	376.25
4. कुल राजस्व व गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	15143.64	17151.21	20769.49	25460.87	22769.35
5. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ	746.02	428.74	1769.00	4388.94	556.08
आन्तरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	
पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत लेन-देन	-	-	-	-	
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	746.02	428.74	1769.00	4388.94	556.08
6. समेकित निधि से ऋण व अग्रिम (4+5)	15889.66	17579.95	22538.49	29849.81	23325.50
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	
8. सार्वजनिक खाता प्राप्तियाँ	-	-	-	-	
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	15889.66	17579.95	22538.49	29849.81	23325.50
भाग बी. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	9770.52	11762.56	13900.88	14381.74	17964.86
योजनागत	3329.01	3944.14	4742.76	4891.59	6440.86
गैर-योजनागत	6441.51	7818.42	9158.12	9490.15	11524.00
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)	3249.26	3434.55	3629.67	3728.95	4347.23
सामाजिक सेवाएँ	5222.10	6599.37	8103.58	8718.80	10717.11
आर्थिक सेवाएँ	631.85	1272.69	1650.28	1392.46	2172.22
सहायता अनुदान और योगदान	667.32	455.95	517.35	541.53	728.29
11. पूंजीगत व्यय	3764.46	3995.40	4717.27	3984.80	4004.27
योजनागत	3761.36	3992.21	4713.62	3981.32	3999.96
गैर-योजनागत	3.10	3.19	3.65	3.48	4.31
सामान्य सेवाएँ	282.05	333.48	356.13	264.55	188.82
सामाजिक सेवाएँ	626.13	681.32	636.94	536.74	578.23
आर्थिक सेवाएँ	2856.27	2980.60	3724.20	3183.51	3237.22
12. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	3649.56	4217.32	5701.30	6364.73	3345.42
13. कुल (10+11+12)	17184.54	19975.28	24319.45	24731.27	25314.55
14. सार्वजनिक ऋण का पुनर्भुगतान	975.09	386.03	606.47	793.06	1087.88

आंतरिक ऋण (पूर्वोपाय अग्रिमों और ओवरड्राफ्टों के अतिरिक्त)	-	-	-	-	-
पूर्वोपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्टों के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	975.09	386.03	606.47	793.06	1087.88
15. आकस्मिक निधि में विनियोजन	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	18159.63	20361.31	24925.92	25524.32	26402.42
17. आकस्मिक निधि से संवितरण	-	-	-	-	-
18. सार्वजनिक खाता से संवितरण	-	-	-	-	-
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	18159.63	20361.31	24925.92	25524.32	26402.42
भाग सी. घाटा					
20. राजस्व में घाटा(-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(+)5141.86	(+)4589.65	(+)6550.46	(+) 10642.36	(+)4428.31
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-13)	(-)2040.90	(-)2824.07	(-)3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(+)463.44	(-)312.20	(-)1077.03	(+) 3309.12	(+)372.06
भाग डी. अन्य आँकडे					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2504.34	2511.87	2472.93	2579.52	2917.26
24. स्थानीय निकायों, इत्यादि को वित्तीय सहायता	7273.46	7627.57	9988.68	-	-
25. पूर्वोपाय उपयोग किए गए अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पूर्वोपाय (दिन)					
उपयोग किए गए ओवरड्राफ्ट (दिन)	-	-	-	-	-
26. पूर्वोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज					
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी)	157947.18	189533.12	223759.38	264495.61	313933.51
28. बकाया वित्तीय देयताएँ	25338.96	25381.66	26544.20	30140.09	29608.29
29. बकाया गारण्टियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	-	-	-	-	-
30. अधिकतम गारंटी की गई राशि (वर्ष के अंत में	-	-	-	-	-
भाग ई: वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक					
I संसाधन गतिशीलता					
निजी कर राजस्व/जी एस डी पी	7.46	6.43	6.01	6.23	6.36
निजी कर गैर-कर राजस्व/जी एस डी पी	1.15	1.21	1.55	1.58	0.15
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी एस डी पी	10.88	10.54	10.87	9.35	8.06
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	115.24	122.16	118.92	98.83	88.46
राजस्व व्यय/कुल व्यय	56.86	58.89	57.16	58.15	70.97
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	41.81	43.58	42.54	43.41	51.88
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	28.72	30.46	30.52	27.88	27.48
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	21.90	20.00	19.40	16.11	15.82
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	20.26	18.33	17.93	15.04	15.07
III वित्तीय असंतुलनो का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष)/जीएसडीपी	(+)3.26	(+)2.42	(+) 2.93	(+) 4.02	(+)1.41

वित्तीय घाटा / जीएसडीपी	(-)1.29	(-)1.49	(-) 1.59	(+) 0.28	(-) 0.81
प्राथमिक घाटा (अधिशेष)/ जीएसडीपी	(+)0.29	(-)0.16	(-) 0.48	(+) 1.25	(+) 0.12
राजस्व घाटा (अधिशेष)/ जीएसडीपी	(+)3.26	(+)2.42	(+) 2.93	(+) 4.02	(+) 1.41
IV वित्तीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/ जीएसडीपी	16.04	13.39	11.86	11.40	9.43
राजकोषीय देयताएँ/आर आर	169.92	155.22	129.79	120.44	132.22
क्वांटम प्रसार की तुलना में प्राथमिक घाटा	(+) 27.26	(-) 12.21	(-) 49.75	(+) 136.99	(+)13.84
ऋण पुनर्लाभ (मूल+ब्याज) कुल ऋण प्राप्तियाँ	466.40				
V अन्य वित्तीय स्वास्थ्य संकेतक					
निवेश पर वापसी	0.38	0.31	0.38	0.37	0.23
चालू राजस्व से प्राप्त शेष (₹ करोड़ में)	7671.30	7611.09	9670.26	13515.26	9887.38
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	85.39	90.86	95.22	90.94	94.79

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक उपशीर्ष के कुल से प्रतिशत (निकटतम शून्य संख्या में) प्रदर्शित करते हैं

@ सरकार द्वारा प्रदत्त जी एस डी पी आंकड़े अपनाए गए हैं ।

परिशिष्ट 1.4

(पैराग्राफ 1.5 को देखें)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.ध.उ.) की प्रवृत्तियॉ

	2007-08	2008-09 (आर)	2009-10(पी)	2010-11 (क्यू)	2011-12(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	157947.18	189533.12	223759.38	264495.61	313933.51
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.49	20.00	18.06	18.21	18.69
स्त्रोत:	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय का कार्यालय, रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार				

(आर)- संशोधित, (पी)- वैकल्पिक, (क्यू)- तत्काल आकलन, (ए)- अग्रिम आकलन

परिशिष्ट 1.5

भाग क : वर्ष 2011-12 के लिए प्राप्ति एवं संवितरण का सार

(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

खण्ड- क: राजस्व							
प्राप्ति			संवितरण				
2010-11		2011-12	2010-11		2011-12		
					गैर-योजना	योजना	कुल
25024.10	**I. राजस्व प्राप्ति**	**22393.17**		**I. राजस्व व्यय**	**11524.00**	**6440.86**	**17964.86**
16477.75	कर राजस्व	19971.67	**3728.95**	**सामान्य सेवाएं**	**4254.63**	**92.61**	**4347.24**
			8718.80	**सामाजिक सेवाएं**	**4902.82**	**5814.30**	**10717.12**
4188.95	- गैर कर राजस्व	460.87	3862.20	- शिक्षा, खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	3503.88	918.37	4422.25
			2197.44	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	979.42	1479.40	2458.80
	-संघीय करों में राज्यों का अंश		1518.98	-जल आपूर्ति, स्वच्छता गृह एवं शहरी विकास	210.43	2141.48	2351.91
			20.31	- सूचना एवं प्रसारण	20.64	-	20.64
2338.71	- गैर-योजना अनुदान	978.85	67.46	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	5.87	179.41	185.28
1888.29	- राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	814.75	70.12	- श्रम एवं श्रमिक कल्याण	68.41	8.22	76.63
			976.33	- समाज कल्याण एवं पोषण	107.95	1087.42	1195.37
130.40	-केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	167.03	5.96	- अन्य	6.22	-	6.22
			1392.46	**आर्थिक सेवाएं-**	**1638.27**	**533.95**	**2172.22**
			65.76	- कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियॉ	61.80	17.84	79.64
			6.94	- ग्रामीण विकास	5.76	1.68	7.44
				- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम			
			93.67	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	105.28	0.57	105.85
			316.57	- ऊर्जा	584.27	1.37	585.64
			102.79	- उद्योग एवं खनिज	6.87	20.06	26.93
			646.58	- परिवहन	809.47	400.93	1210.40
			17.34	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.54	45.17	45.71
			142.81	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	64.27	46.33	110.60

			541.53	**सहायता अनुदान एवं योगदान**	728.29	-	728.29
			14381.74	**कुल**	**11524.00**	**6440.86**	**17964.86**
	II.राजस्व घाटा को आगे खण्ड ब तक ले जाना			**II. राजस्व अधिशेष को आगे खंड ब तक ले जाना**			**4428.31**
25024.10	कुल	**22393.17**		कुल			**22393.17**
	खण्ड-ब: पूँजीगत एवं अन्य						
3387.70	**III. स्थायी अग्रिम एवं शेष नकद निवेश सहित अथशेष**	**7713.20**		**III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरंभिक ओवरड्राफ्ट**			
	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			**IV. पूँजीगत रूपरेखा**			
			264.55	**सामान्य सेवाएं-**	**-**	**188.82**	**188.82**
					-		
			536.74	**सामाजिक सेवाएं-**	**-**	**578.23**	**578.23**
			307.80	-शिक्षा खेल-कूद, कला एवं संस्कृति	-	326.51	326.51
			164.48	- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	167.45	167.45
			27.29	-जल आपूर्ति, स्वच्छता, गृह एवं शहरी विकास	-	34.25	34.25
			-	- सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
			14.95	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	-	27.10	27.10
	खण्ड-ब: अन्य (निष्कर्ष)						
			16.97	- समाज कल्याण एवं पोषण	-	17.18	17.18
			5.55	- अन्य	-	5.73	5.73
			3183.51	**आर्थिक सेवाएं-**	**4.31**	**3232.91**	**3237.22**
			9.13	-कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	-	20.04	20.04
			69.13	- ग्रामीण विकास	-	149.38	149.38
			-	- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-
			51.90	- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.31	48.84	53.16
			100.63	- ऊर्जा	-	865.96	865.96
			-0.18	- उद्योग एवं खनिज	-	(-)1.43	(-)1.43
			2951.78	- परिवहन	-	2140.93	2140.93
			-	-विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	-	0.50	0.50
			1.12	- सामान्य आर्थिक सेवाएं	-	8.69	8.69
			3984.80	कुल	**4.31**	**3999.96**	**4004.27**
436.77	**V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली-**	**376.25**	**6364.73**	**V. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण-**	**-**	**-**	**3345.42**
184.22	- शक्ति परियोजनाओं से	299.47	150.00	- शक्ति परियोजना के लिए	-	-	966.36
2.72	- सरकारी सेवकों से	2.26	0.79	- सरकारी सेवकों को	-	-	0.93
249.83	- अन्यों से	74.52	6213.94	- अन्यों को			2378.13
	VI. राजस्व अधिशेष कम किया गया			**VI.** राजस्व घाटा कम किया गया			
			793.06	**VII. लोक ऋण की पुनअर्दायगी -**			**1087.88**

4388.94	**VII. लोक ऋण प्राप्ति -**	**556.08**		- बाह्य ऋण			
	- बाह्य ऋण	-		-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण			
	-पूर्वोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	-		- पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत कुल लेन-देन			
	-पूर्वोपाय अग्रिम के अंतर्गत कुल लेन-देन	-	793.06	-केन्द्र सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुतान			1087.88
	-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत कुल लेन-देन	-		**VIII. आकस्मिक निधि से विनियोजन**			-
4388.94	-केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	556.08		**IX. आकस्मिक निधि से व्यय**			-
	आकस्मिक निधि में विनियोजन	-		**X. लोक खाता संवितरण**			-
	आकस्मिक निधि में स्थानांतरित निधि	-		- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ			-
	लोक लेखा प्राप्तियाँ	-		- आरक्षित निधियाँ			-
	- लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	-		- उचंत एवं विविध			-
	- आरक्षित निधियाँ	-		- प्रेषण			-
	- उचंत एवं विविध	-		- जमा एवं अग्रिम			-
	- प्रेषण	**-**	**7713.19**	**XI अंत में नकद शेष-**			**4636.28**
	- जमा एवं अग्रिम	-		- खजाने में नकद एवं स्थानीय प्रेषण			-
	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-		- रिजर्व बैंक में जमा			-
		-		- स्थायी अग्रिम को शामिल करते हुए विभागीय नकद शेष			-
		-		- नकद शेष निवेश			
33237.51	कुल	**31038.70**	**33237.51**	कुल			**31038.70**

परिशिष्ट 1.5 (जारी)
(पैराग्राफ 1.9.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

भाग बी			
31 मार्च 2012 को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति			
31-03-2011 को	देयताएँ		31-03-2012 को
30140.09	**केन्द्र सरकार से ऋण व अग्रिम**		**29608.28**
	1984-85 से पूर्व के ऋण	-	-
30140.08	गैर-योजनागत ऋण		29608.27
-	राज्य योजना स्कीमों हेतु ऋण	-	-
-	केन्द्रीय योजना स्कीमों हेतु ऋण	-	0.01
0.01	केन्द्र प्रायोजित योजना स्कीमों हेतु ऋण	-	-
50071.61	***राजस्व अधिशेष***		**54499.92**
1587.95	**सी जी ए से 1994-95 के दौरान स्वीकृत पूंजीगत परिव्यय का शेंष**		**1587.95**
3356.46	**1994-95 के दौरान सी जी ए से स्वीकृत ऋण व अग्रिमों का शेष**		**3356.46**
85156.11	कुल		**89052.61**
	परिसम्पत्तियाँ		
32295.18	**अचल परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**		**36299.44**
12616.58	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश		14655.90
19678.60	अन्य पूंजीगत **परिव्यय**		21643.54
45147.73	***ऋण और अग्रिम***		**48116.90**
5611.50	पॉवर परियोजनाओं हेतु ऋण		6278.39
25470.38	अन्य विकास ऋण		27728.99
14065.85	सरकारी कर्मचारियों को ऋण व विविध ऋण		14109.51
7713.20	**संघ सरकार के नकद शेष में विलयित नकद शेष**		**4636.28**
85156.11	कुल		**89052.61**

उपरोक्त विवरणों के दिए गए संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दी गई अभ्युक्तियों और स्पष्टीकरणों के संदर्भ में समझा जाना चाहिए । चूंकि सरकारी लेखे प्रमुखतः नकद आधार पर होते हैं, सरकारी खाते में कमियाँ, जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में दर्शाया गया है, व्यावसायिक लेखा में संपत्ति आधार के विपरीत नकद आधार में स्थिति को दर्शाते हैं । परिणास्वरूप भुगतान योग्य या प्राप्ति योग्य मदों अथवा स्टॉक आँकड़ों इत्यादि में अवमूल्यन या भिन्नता जैसी मदें खातों में नहीं दी गई हैं । सकल आवंटन के अंतर्गत 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012 तक के लिए दी गई क्रमशः ₹ 32295.18 करोड़ और ₹ 36299.44 करोड़ धनराशि की परिसंपत्तियों में ₹ 1587.95 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो 1994-95 के दौरान महानियंत्रक (लेखा) से प्राप्त किए गए थे । इसी प्रकार परिसम्पत्तियों में दर्शाए गए ₹ 45147.73 धनराशि के 31 मार्च 2011 और 31 मार्च 2012 के लिए क्रमशः ₹ 45147.73 करोड़ और ₹ 48116.90 करोड़ की धनराशि के ऋण व अग्रिम दर्शाए गए थे परन्तु इन वर्षों के लिए देयताओं में दर्शाए जाने वाले आँकड़े वित्त लेखों में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाए गए हैं ।

परिशिष्ट 2.1

(क) विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ बचतें प्रत्येक ₹ 5 करोड़ से अधिक (सी.एस. एस./एस.सी.एस.पी. के लिए ₹ एक करोड़) थी अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी

(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशतता	कारण
	राजस्व-भारित								
	अनुदान सं.2- सामान्य प्रशासन								
1.	सामान्य प्रशासनिक विभाग 2070 सी. 2(1)(2)- लोकायुक्त-भारित	2.77	0.01	0.22	3.00	1.59	1.41	47.00	कम दावो की प्राप्ति
	अनुदान सं.3 न्यायिक प्रशासन								
2.	उच्च न्यायालय 2014 ए. 1(1)(1)- निर्देशन एवं प्रशा.-भारित	103.86	0	0	103.86	98.40	5.46	5.25	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा कम विदेशी दौरे
3.	उच्च न्यायालय 2014 ए. 1(1)(4)- दिल्ली उच्च न्यायालय -मध्यस्थ केन्द्र-भारित	1.51	0	0.43	1.94	0.84	1.10	56.70	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा कार्यशाला व सेमीनारों का संचालन न करना ।
	राजस्व-दत्तमत								
	अनुदान सं.2-सामान्य प्रशासन								
4.	सामान्य प्रशा.विभाग 2052 सी.1(1)(6)- सरकार नागरिक इंटरफेस	2.98	0	0	2.98	0.50	2.48	83.22	कम बिलों की प्राप्तियाँ तथा खाली पदों को न भरा जाना
5.	सामान्य प्रशासन विभाग 2250 सी. 7(1)(1)(1)- अल्पमत आयोग को सहायता अनुदान	4.00	0	0	4.00	3.00	1.00	25.00	कम अनुदान जारी करना
6.	सूचना एवं प्रचार, 2220 एफ.1(1)(1)(1)- सार्वजनिक संबंध निदेशालय	27.70	0	0	27.70	20.64	7.06	25.48	विज्ञापनों की कम संख्या, बिलों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों का न भरा जाना, ठेकों को अंतिम रूप न देना
7.	दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड 2051जी.1(1)(1) -दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन आयोग	13.58	0	0	13.58	9.20	4.38	32.25	कम परीक्षाओं का आयोजन, तथा कम दावों की प्राप्ति व रिक्त पद
8.	प्रशासनिक सुधार विभाग 2052एच.1(1) (3)-	6.00	0	0	6.00	1.75	4.25	70.83	कम अनुदान जारी करना

	सामाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान								
9.	प्रशासनिक सुधार विभाग 2052 एच.1(1)(5)- सामाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान (स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए)	30.00	0	0	30.00	0	30.00	100.00	स्कीम का कार्यान्वयन न होना
	अनुदान सं.3: न्यायिक प्रशासन								
10.	उच्च न्यायालय 2014 ए. 1(1)(5)(1)- दिल्ली न्यायिक अकादमी-निदेंशन एवं प्रशा.	0	0	2.94	2.94	1.86	1.08	36.73	रिक्त पद तथा दिल्ली न्यायिक अकादमी का द्वारिका में स्थानांतरण करना ।
11.	सिविल एवं सत्र न्यायालय 2014 बी. 1(1)(1)-सत्र न्यायालय	237.68	102.09	5.97	345.74	318.07	27.67	8.00	एम.ए.सी.पी. को अंतिम रूप न देना तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
12.	सिविल तथा सत्र न्यायालय 2014 बी. 1(1)(2)-जिला एवं सत्र न्यायालय का कम्प्यूटरीकरण	1.75	0.01	1.65	3.41	0.55	2.86	83.87	वर्ष के दौरान कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न देना ।
13.	सिविल एवं सत्र न्यायालय 2014 बी. 1(2)(1)- अपराधिक न्यायालय-न्यायिक न्यायाधीशों के न्यायालय	31.67	0	0	31.67	22.98	8.69	27.43	रिक्त पदों को न भरना तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति ।
14.	विधि विभाग 2014 ई. 1(2)(4)- राज्य विधि सहायता निधि को सहायता अनुदन	2.80	0.40	0	3.20	1.39	1.81	56.56	अव्यथित शेष के समायोजन के कारण कम सहायता अनुदान जारी करना ।
15.	विधि विभाग 2014 ई. 1(2)(5)- दिल्ली विवाद निस्तारण सोसायटी को सहायता अनुदान	4.00	0	0	4.00	1.00	3.00	75.00	कम अनुदान जारी करना
16.	चुनाव कार्यालय 2015 एफ.1(1)(1)-निर्वाचन पर व्यय	2.20	0	0	2.20	0.24	1.96	89.00	दि.न.नि. के लम्बित बिल
17.	दिल्ली न्यायिक अकादमी 2014जी.1(1)(1)-दिल्ली न्यायिक अकादमा	2.32	0	0	2.32	0	2.32	100.00	दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्तर्गत विभाग में परिवर्तन
	अनुदान सं. 4: वित्								
18.	प्रधान लेखा कार्यालय 2054 ए 1(1)(1)-लेखा निदेशालय	31.30	0	0	31.30	25.97	5.33	17.02	साकेत कोर्ट में पी.ए.ओ. की स्थापना न

									होना,एस.ए.एस. परीक्षा का संचालन न होना, आर्थिक उपायों तथा स्टॉफ के स्थानांतरण के कारण रिक्त पद होना ।
19.	2054 ए 1(1)(2)(1)-प्रधान लेखा कार्यालय-ई.डी.पी.सैल	2.50	0	0	2.50	0.86	1.64	65.60	एकीकृत प्रणाली का चयन न होना तथा आइ टी कार्मिकों को नियुक्त करने के लिए एन.आइ.सी.एस.आई को अग्रिम भुगतान करने में अंतिम रूप न देने
20.	व्यापार एवं कर विभाग 2040 एफ. 1(2)-संग्रहण प्रभार	42.80	0	0	42.80	37.91	4.89	11.43	रिक्त पद, कम दावों की प्राप्ति तथा स्वच्छता बिलों का भुगतान न करना
21.	2040 एफ. 1(3)(2)-आधुनिक कार्यालय वातावरण का निर्माण	3.50	0	0	3.50	1.98	1.52	43.43	रिकॉर्डों के अंकीकरण के प्रस्ताव को अंतिम रूप न देने के कारण स्कीम की धीमी प्रगति
22.	2040 एफ. 1(3)(3)-प्रिंट तथा इलेक्ट्रनिक मिडिया के द्वारा प्रचार एवं जागरूकता अभियान	1.50	0	0	1.50	0.27	1.23	82.00	कम दावों प्राप्ति
23.	2040 एफ. 1(3)(5)-कम्प्यूटरीकरण पद्धति	8.37	0	0	8.37	6.34	2.03	24.25	रिक्त पद, कम खरीद तथा कम बिलों की प्राप्ति
24.	2040 एफ. 1(3)(9)-एन.जी.पी. के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.-सैन्ट्रल शेयर)	0	0.01	6.11	6.12	0.69	5.43	88.72	वित्तिय वर्ष की समाप्ति में संस्वीकृतियों की प्राप्ति
25.	2040 एफ. 1(3)(10)-एन.जी.पी.के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना	0	0.01	3.34	3.35	0	3.35	100.00	वित्तिय वर्ष की समाप्ति में संस्वीकृतियों की प्राप्ति

	(एम.एम.पी.सी.टी.-राज्य शेयर)								
26.	सूचना तकनीकी विभाग 3454 आइ.1(1)(2)(6)-इ-गवर्नेंस परियोजना	0.95	0	2.30	3.25	1.72	1.53	47.07	आइ.सी.एस.आइ. एल. के भुगतान के लिए वित्त विभाग से संस्वीकृति देरी से प्राप्त होना
27.	3454 आइ.1(1)(2)(9)-डिजिटल दिल्ली-राष्ट्रमण्डल खेलों की तैयारी	8.00	0	0	8.00	2.48	5.52	69.00	स्कीम की धीमी गति
28.	3454 आइ.1(1)(2)(11)-दिल्ली के लिए जियो स्पेसियल डाटा की तैयारी	34.00	0	0	34.00	19.00	15.00	44.11	स्कीम की धीमी गति
29.	3454 आइ.1(1)(2)(12)-सामाजिक सुविधा संगम के लिए आइ.टी. तत्व	0	0.01	2.19	2.20	0.15	2.05	93.18	स्कीम की धीमी गति
	अनुदान सं. 5: गृह								
30.	सैन्ट्रल जेल 2056 ए. 1(2)-जेल निर्माण	15.00	0	0	15.00	10.00	5.00	33.33	ठेकों को अंतिम रूप न देना
31.	सिविल डिफेंस तथा होम गार्ड निदेशालय 2070 बी. 1(1)(1)- सिविल डिफेंस तथा होम गार्डस	15.11	0	0	15.11	9.96	5.15	34.08	सिविल डिफेंस से सचिव राजस्व में स्टॉफ का स्थानातंरण, मशीनरी तथा भण्डार की कम खरीद,तथा कम दावों की प्राप्ति
32.	दिल्ली अग्नि सेवा 2070 सी. 1(1)(2)- नियंत्रण एवं सुरक्षा	109.17	0	0	109.17	80.86	28.31	25.93	डी.एस.एस.एस.बी. द्वारा रिक्त पदों को न भरना, भण्डार तथा मशीनरी की कम खरीद, अनुरक्षण एवं मरम्मत पर कम व्यय तथा कम दावों की प्राप्ति
33.	2055 डी.1(1)(1)-फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री- फोरेंसिक साइसं लेबोरेट्री	16.52	0	0	16.52	10.03	6.49	39.28	रिक्तियों, कम दावे,कम विदेशी दौरे,आर्थिक उपाय तथा भण्डार की कम खरीद
	अनुदान सं. 6: शिक्षा								
34.	शिक्षा निदेशालय 2202 ए.1(1)(5)(5)- सर्वशिक्षा अभियान (स.शि.अ.)	24.60	0	0	24.60	13.65	10.95	44.51	स्कीम की धीमी प्रगति
35.	2202 ए.1(2)(3)(2)-एस.सी.इ.आर.टी. को	9.00	0	0	9.00	4.50	4.50	50.00	एस.सी.ई.आर.टी. को कम

	सहायता अनुदान								अनुदान जारी करना
36.	2202 ए.1(2)(4)(3)- पाठयक्रम की पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति	56.10	0.01	15.13	71.24	65.10	6.14	8.61	डी.बी.टी. द्वारा बिलों की प्रस्तुति में विलम्ब
37.	2202 ए.1(2)(5)- सरकारी उच्चतर विद्यालय	840.20	0.02	34.49	874.71	854.59	20.12	2.30	रिक्त पद, एम.ए.सी.पी. को अंतिम रूप न देना तथा विभिन्न बिलों का निपटान न होना
38.	2202 ए.1(2)(6)(1)- कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकारी अनुदानित स्कूलों को सहायता	340.00	0	0	340.00	292.15	47.85	14.07	रिक्त पद, एम.ए.सी.पी. को अंतिम रूप न देना तथा विभिन्न स्तरों पर बिलों का निपटान न होना
39.	2202 ए.1(2)(6) (2)-अन्य व्ययों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता	2.50	0	0	2.50	0.36	2.14	85.60	कम दावों की प्राप्ति
40.	2202 ए.1(2)(8) (1)- अतिरिक्त विद्यालय सुविधायें	1333.93	0.02	0	1333.95	1256.72	77.23	5.79	रिक्तियाँ, कम दावों/ बिलों की प्राप्ति, आर्थिक उपाय,एम.ए.सी. पी.को अंतिम रूप न देना तथा विभिन्न स्तरों पर बिलों का निपटान न होना
41.	2202 ए.1(3)(2) (2)- गुणवत्ता सुधार हेतु परीक्षा सुधार शाखा	7.00	0	0.30	7.30	4.93	2.37	32.47	बिलों के भुगतान को अंतिम रूप न देना
42.	2202 ए.1(3)(2) (3)- पूर्व विद्यमान सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षाओं का प्रावधान	103.50	0	0	103.50	86.66	16.84	16.27	रिक्तियाँ, स्टोर की कम खरीद, एम.ए.सी.पी. को अंतिम रूप न देना तथा विभिन्न स्तरों पर बिलों का निपटान न होना
43.	2202 ए.1(4)(4) (20)- शिक्षा अधिनियम का अधिकार	15.00	0	0	15.00	1.61	13.39	89.27	कार्य की धीमी प्रगति तथा निधियों को जारी करने में बिलम्ब
44.	2202 ए.1(4)(4) (23)- किशोरियों में मासिकधर्म् के समय स्वच्छता	7.00	0	0	7.00	2.08	4.92	70.29	वर्ष के अंतिम त्रैमास में स्कीम को आरंभ करना

									तथा कार्य में धीमी प्रगति
45.	2202 ए. (1)(3)- भौतिक शिक्षा के सुधार के लिए दि.न.नि.को सहायता अनुदान	5.00	0	0	5.00	3.77	1.23	24.60	अव्ययित शेष का समायोजन
46.	2236 पोष्ण ए.4(1)(1)(1)- बच्चों के लिए मिड-डे-मिल	44.70	7.16	0	51.86	43.73	8.13	15.68	मुल्यांकन निधियों की उगाही तथा प्रबंधन का कम उपयोग तथा शीत अवकाश में एक सप्ताह से अधिक की वृद्धि
47.	2236 पोष्ण ए.4(1)(1)(6)- मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान	5.15	1.26	0	6.41	3.22	3.19	49.77	मुल्यांकन निधियों की उगाही तथा प्रबंधन का कम उपयोग तथा शीत अवकाश में एक सप्ताह से अधिक वृद्धि
48.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय 2203 बी.1(5)(3)-नेताजी सुभाा तकनीकी संस्थान को सहायता अनुदान	37.00	1.51	2.69	41.20	31.81	9.39	22.79	कम अनुदान जारी करना
49.	2203 बी.1(5)(5)-अम्बेडकर तकनीकी संस्थान	9.50	2.50	0	12.00	7.22	4.78	39.83	क्रय प्रस्तावों को समय पर अंतिम रूप न देना
50.	2203 बी.1(5)(19)-महिलाओं के लिए तकनीकी युनिवर्सिटी को सहायता अनुदान	10.00	0	0	10.00	0	10.00	100.00	अनुदान जारी न करना
51.	सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जफरपुर,2203 के.1(1)(1)- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, जफरपुर,	4.00	0	0	4.00	2.26	1.74	43.50	रिक्तियाँ कम दावों/बिलों की प्राप्ति तथा भण्डार की कम खरीद
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य								
52.	2210 ए.1(1)(3)(1)- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अंशदान	12.60	7.16	0	19.76	0	19.76	100.00	स्कीम का कार्यन्वयन न करना
53.	स्वास्थ्य सेवा निदेशालय 2210 ए.1(1)(2)- विद्यालय स्वास्थ्य स्कीम	114.08	0	0	114.08	13.35	100.73	88.30	रिक्त पदों को न भरना, एम.ए.सी.पी. तथा सी.एन.वाई. के अन्तर्गत प्रस्ताव को अंतिम रूप न देना

54.	2210 ए.1(1)(4)(1)- सरकारी डिसपेंसरी	120.19	0	0	120.19	106.67	13.52	11.25	रिक्त पदों को न भरना, कम बलों/दावों की प्राप्ति एम.ए.सी.पी. को अंतिम रूप न देना तथा प्रयोगशाला मदों का खरीद न होना
55.	2210 ए.1(3)(2)(6)- कैंसर नियंत्रण सैल बनाना	3.00	0	0	3.00	0.29	2.71	90.33	कार्य की धीमी प्रगति
56.	2210 ए.1(4)(1)(1)- केन्द्रीय क्रय एजेंसी तथा राज्य ड्रग प्राधिकरण	1.58	0	0	1.58	0.58	1.00	63.29	रिक्त पदों को न भरना तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
57.	2210 ए.1(4)(1)(3)-राज्य रूग्णता सहायता निधि (दिल्ली आरोग्य निधि)को दिल्ली सरकार का अंशदान	1.50	0	0	1.50	0	1.50	100.00	लाभार्थियों की कम संख्या
58.	2210 ए.1(4)(1)(8)- राष्ट्र मण्डल खेल	0	1.06	0	1.06	0.01	1.05	99.06	संस्वीकृति का समय पर प्राप्त न होना
59.	2211 ए.3(1)(2)-परिवार कल्याण-आपका स्वस्थ्य बीमा	10.00	0	0	10.00	0	10.00	100.00	स्कीम का कार्यान्वयन न होना
60.	लोक नायक अस्पताल 2210 बी.1(1)(1)(1)- लोक नायक अस्पताल	237.21	6.45	0	243.66	229.54	14.12	5.79	रिक्त पदों का न भरना, कम दावों/बिलों की प्राप्ति भण्डार मदों की खरीद तथा लाभार्थियो की कम संख्या
61.	जी.बी.पंत अस्पताल 2210 सी.1(1)(1)(1)- जी.बी.पंत अस्पताल	183.28	3.00	3.68	189.96	179.11	10.85	5.71	रिक्त पद तथा खरीद प्रस्ताव को अंतिम रूप न देना
62.	अरूणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल) 2210 डी.1(1)(1)(1)- अरूणा आसफ अली सरकारी अस्पताल (सिविल अस्पताल)-	33.47	0	0	33.47	27.10	6.37	19.03	रिक्त पद को न भरना, कम दावों की कम प्राप्तितथा भण्डार की प्राप्ति
63.	मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज- 2210 एच.1(1)(1)(1)(1)- मौलाना आजाद मैडिकल कॉलेज-	101.23	9.36	0	110.59	103.31	7.28	6.58	कम विलों की प्राप्ति तथा भण्डार की कम खरीद
64.	खाद्य अपमिश्रण रोगथाम विभाग 2210आई.1(1)(1)(2)- खाद्य एवं औषाधी प्रयोगशाला	1.21	0	0	1.21	0.09	1.12	92.56	कार्य की धीमी प्रगति

65.	परिवार कल्याण निदेशालय 2211के.1(3)(4)- अस्पताल में पोस्टमार्टम यूनिट पर व्यय	3.25	0	0	3.25	1.73	1.52	46.76	स्कीम की धीमी प्रगति
66.	आइ.एस.एम. तथा होम्योपेथी निदेशालय-2210 एम.1(1)(1)(12)- खेड़ा डाबर के दिल्ली आयुर्वेदिक चरक संस्थान को सहायता अनुदान	14.66	0	0	14.66	11.07	3.59	24.48	कम अनुदान जारी करना
67.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल- 2210 एन.1(1)(1)(1)- डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल-	82.06	1.00	0	83.06	73.39	9.67	11.64	रिक्त पदों को न भरना तथा कम दावों/बिलों की प्राप्ति
68.	डा.हेडगेवार आरोग्य संस्थान 2210 ब्यू.1(1)(1)(1)- डा.हेडगैवार आरोग्य संस्थान	36.00	0.90	1.10	38.00	32.68	5.32	14.00	रिक्त पदों को न भरना, तथा एम एण्ड ई. की खरीद प्रस्ताव को अंतिम रूप न देना
69.	शुश्रत ट्रामा सैन्टर 2210 आर.1(1)(1)(1)- शुश्रत ट्रामा सैन्टर	18.73	0	0	18.73	13.34	5.39	28.77	रिक्तियाँ, कम दावों की कम प्राप्ति, मशीनरी को न खरीदना तथा भण्डार की खरीद
70.	भगवान महावीर अस्पताल 2210 वी.1(1)(1)(1)- भगवान महावीर अस्पताल	32.00	5.74	0	37.74	29.24	8.50	26.56	रिक्त पदों को न भरना, कम दावों/बिलों की प्राप्ति, मशीनरी तथा सयंत्रों की कम खरीद
71.	शास्त्री पार्क कॉलोनी अस्पताल 2210 वाई.1(1)(1)(1)- शास्त्री पार्क कॉलोनी अस्पताल	31.00	0	0	31.00	22.91	8.09	26.09	रिक्त स्थानों को न भरना, कम दावों की प्राप्ति,भण्डार की कम खरीद
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण								
72.	समाज कल्याण विभाग 2235 ए.2(1)(3)(10)- वरिष्ठ नागरिक पेंशन स्कीम (वृद्धों की सहायता में वृद्धि)	460.00	30.00	0	490.00	470.99	19.01	3.87	मामलों का पोस्ट ऑफिस से बैकों में स्थानातरण न होना
73.	महिला एवं बाल विकास निदेशालय 2235 बी.2(1)(2)(17)- आँगन वाड़ी कार्यकत्ताओं तथा सहायकों को मानदेय	32.84	0	0	32.84	22.77	10.07	30.66	स्कीम की धीमी प्रगति तथा प्रशासनिक कारणों से आई.सी.डी.एस. परियोजना का कम प्रचालन ।
74.	2235 बी.2(1)(3)(21)- लाडली योजना	110.00	0	0	110.00	91.15	18.85	17.13	स्कीम की धीमी प्रगति तथा

									विद्यालयों द्वारा वित्तिय यहायता का कम नवीनीकरण
75.	2236 पोष्ण बी.3(1)(1)(3)-पूरक पोषण कार्यक्रम	78.20	0	0	78.20	64.12	14.08	18.00	स्कीम की धीमी प्रगति तथा प्रशासनिक कारण से आई.सी.डी.एस परियोजना का कम प्रचालन
76.	2236 पोष्ण बी.3(1)(1)(9)-किशोरियों के पूरक पोषण (केन्द्रीय अंश) कार्यक्रम (एस एन पी) के लिए किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गाँधी योजना (आइ.जी.एस.इ.ए.जी.)	0	6.59	0	6.59	5.08	1.51	22.91	प्रशासनिक कारणों के कारण आई.सी.डी.एस. परियोजना का कम प्रचालन
77.	अनुसूचित जाति/जन.जाति तथा पिछडें वर्गे के कल्याण के लिए विभाग 2225सी.1(1)(3)(5)-स्कूलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को किताबों तथा स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति	20.05	0.01	34.94	55.00	43.98	11.02	20.03	स्कीम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की कम माँग
78.	2225 सी.1(1)(3)(9)-अ.जाति/जन.जा./पि.व.तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों-कक्षा I से XII के लिए योग्यता छात्रवृत्रि	40.23	6.77	0	47.00	36.02	10.98	23.36	स्कीम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों की कम माँग
79.	2225 सी.1(3)(1)(8)-अल्पसंख्यक केंद्रित जिलों हेतु बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम-राज्य सरकार अंश	5.00	0	0	5.00	1.80	3.20	64.00	किन्हीं प्रशासकीय कारणों से निधियों के निर्गम हेतु स्वीकृति प्राप्त न होना
80.	परिवहन विभाग 2041डी.1(1)- वाहनों पर कर-संग्रहण शुल्क	26.02	0	0	26.02	20.35	5.67	21.79	रिक्तयाँ और कम बिलों की प्राप्ति
81.	2041 डी.1(4)(2)- परिवहन निदेशालय के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	3.94	0.06	0	4.00	1.88	2.12	53	योजना की धीमी प्रगति
82.	2041 डी.1(4)(8)- दिल्ली में सराय काले खां और आनंद विहार में अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनलों की भीड़-भाड़ कम करना व उनका तार्किकी करण	2.00	0	0	2.00	0.96	1.04	52.00	योजना की धीमी प्रगति

83.	परिवहन विभाग 3055 डी.3(3)(2)- क्लस्टर बसों के घाटे की प्रतिपूर्ति	150.00	0	0	150.00	30.00	120.00	80.00	योजना की धीमी प्रगति
84.	3075 डी.4(1)(1)(3)- अन्य योजनाओं के लिए अध्ययन/परामर्श सेवाएं	3.00	0	0	3.00	0.83	2.17	72.33	₹ 1 करोड़ योजना की धीमी प्रगति ₹ 1.17 करोड़ः कारण बताए जाने की प्रतीक्षा
85.	3435 डी.5(1)(1)(3)- डी.एम.आर.सी. फीडर बस सेवाएँ (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)	5.25	0	0	5.25	0	5.25	100.00	योजना का क्रियान्वित न होना
86.	पर्यटन विभाग 3452 ई.1(2)(2)(3)- पर्यटन केन्द्र के रूप में दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा	4.75	0.01	1.09	5.85	4.22	1.63	27.86	वित्त विभाग से अनुमोदन की प्राप्ति न होना
87.	3452 ई.1(2)(3)(9)- संजय ताल पर एक सॉफ्ट एडवेंचर पार्क के विकास हेतु डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान	3.62	0	0	3.62	0	3.62	100.00	डीटीटीडीसी. को अनुदान निर्गत न किया जाना
	अनुदान सं. 9: उद्योग								
88.	उद्योग विभाग 2851 ए.2(1)(1)- मुख्यालय स्था.	10.37	0	0	10.37	7.15	3.22	31.05	रिक्तियाँ, कम दावों/बिलों की प्राप्ति और कम विदेश यात्राएँ
89.	2851 ए.2(3)(6)- औद्योगिक प्रदूषण,नियंत्रण हेतु सहायता अनुदान	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	योजना का क्रियान्वित न होना
90.	2851 ए.2(4)(2)- खादी के विक्रय पर छूट	2.50	0	0	2.50	1.00	1.50	60.00	योजना की धीमी प्रगति
91.	रोजगार विभाग 2230 बी.1(1)(2)(1)- सामान्य रोजगार एक्सचेंज	5.37	0	0	5.37	3.58	1.79	33.33	रिक्तियों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति,भंडार की कम खरीद
92.	श्रम विभाग 2230 सी.2(1)(5)(1)- बाल श्रमिकों का पुनर्वास	1.50	0	0	1.50	0	1.50	100.00	रिक्तियों, कम दावों/बिलों की प्राप्ति,भंडार की कम खरीद
93.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले 3456 डी.1(3)(1)- गरीबी रेखा के नीचे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाने पर ध्यान	2.50	0	1.18	3.68	0.60	3.08	83.70	अनुमोदन का समय पर प्राप्ति न होना
94.	3456 डी.1(4)(5)- अत्यावश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को रोकने हेतु बाजार द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान	2.50	0	0	2.50	0	2.50	100.00	योजना की धीमी प्रगति

95.	3475 ई.1(1)(1)-मानक भार व माप लागू करना	4.07	0.06	0.56	4.69	3.61	1.08	23.03	रिक्तियाँ, ओ टी ए से कम बिलों व दावों की प्राप्ति और कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना
	अनुदान सं. 10: विकास								
96.	कृषि विपणन विभाग 2435 ए.1(1)(1)(1)- कृषि विपणन योजना	3.69	0	0	3.69	1.71	1.98	53.66	रिक्तियाँ और कम बिल की प्राप्ति और कम क्रय
97.	विकास विभाग 2403 बी.3(2)(1)- पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य- चिकित्सालय एवं डिस्पेंसरियाँ	8.08	0	0	8.08	6.11	1.97	24.38	रिक्त पदों का न भरा जाना
98.	सहकारिता विभाग 2425 सी.1(1)(1)- मुख्यालय स्था.	8.78	0	0	8.78	6.50	2.28	25.97	रिक्त पदों का न भरा जाना,कम दावे,कम विदेश यात्राएँ और कर्मचारियों का स्थानांतरण
99.	2711 डी.3(2)(2)(1)- जलवैज्ञानिक ऑकड़ा संग्रह का सर्वेक्षण और नई योजना की जाँच हेतु मॉडल अध्ययन (नालियों व नालों को शामिल करते हुए)	10.89	0	0	10.89	0.50	10.39	95.41	कार्य की धीमी प्रगति
100.	उपायुक्त कार्यालय (सचिव राजस्व) 2245 ई.8(2)(1)(1)- आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ	6.00	0.22	2.78	9.00	6.24	2.76	30.67	आपदा प्रबंधन हेतु 38 वाहनों के प्रापण हेतु प्रस्ताव को अंतिम रूप प्रदान न किया जाना
101.	उपायुक्त कार्यालय (उत्तरी क्षेत्र) 2053 ओ.3(3)(1)(1)- परस्पर-क्रिया सत्रों व कार्यशालाओं का आयोजन	0.27	0.01	1.97	2.25	0.76	1.49	66.22	भागीदारी मेला, 2011 सजावट और परिवेश के निर्माण के कार्य के बिलों को वित्त वर्ष की समाप्ति तक अंतिम रूप न दिया जाना
	अनुदान सं. 11 : शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग								
102.	शहरी विकास विभाग 2215 ए.6(1)(1)(2)- दि.ज.बो. को ज.जे.कलस्टरों में जलापूर्ति हेतु सहायता अनुदान	9.00	0	0	9.00	2.25	6.75	75.00	कम अनुदान निर्गत किया जाना
103.	शहरी विकास विभाग 2215 ए.6(1)(1)(1)- दि.ज.बो.को अनधिकृत	136.00	0	0	136.00	65.78	70.22	51.63	कम अनुदान निर्गत किया जाना

	कॉलोनियों में पीने के पानी की आपूर्ति हेतु सहायता अनुदान								
104.	2215 ए.6(1)(1)(5)- संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में सीवर व्यवस्था व जलापूर्ति के विकास हेतु दि.ज.बो. को सहायता अनुदान देने के लिए विशेष योजना	70.00	0	0	70.00	0	70.00	100.00	अनुदान को निर्गत न किया जाना
105.	2215 ए.6(2)(1)(5)- जे एन एन यू आर एम परियोजनाओं के अन्तर्गत तीन प्रमुख नालियों पर सीवर हेतु दि.ज.बो.को सहायता अनुदान	350.56	0	0	350.56	225.00	125.56	35.82	कम अनुदान निर्गत किया जाना
106.	2216 ए.7(1)(1)(2)- कमजोर वर्गों हेतु आवास के निर्माण के लिए दि.न.नि.(मलिन वस्ती) को अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	250.00	0	0	250.00	100.00	150.00	60.00	कम अनुदान निर्गत किया जाना
107.	2216 ए.7(1)(1)(4)- कमजोर वर्गों हेतु आवासों के निर्माण हेतु दि.वि.प्रा. को अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	5.00	0	0	5.00	0	5.00	100.00	अनुदान निर्गत न किया जाना
108.	2216 ए.7(1)(1)(6)- राजीव आवास योजना (डी यू एस आई बी)	20.00	0	0	20.00	7.18	12.82	64.10	योजना की धीमी प्रगति
109.	2217 ए.8(1)(1)(1)- पुनर्वास कॉलोनियों के रखरखाव हेतु दि.न.नि. को अनुदान	166.72	0	0	166.72	125.04	41.68	25.00	व्यय न की गई राशि का समायोजन
110.	2217 ए.8(1)(1)(2)- जे.जे.आर कॉलोनियों में अतिरिक्त सुविधाओं के प्रावधान हेतु दि.न.नि.को अनुदान	41.00	0	0	41.00	26.71	14.29	34.85	व्यय न की गई राशि का समायोजन
111.	2217 ए.8(2)(1)(17)- अनधिकृत कॉलोनियों में अत्यावश्यक सेवाओं हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान	50.00	0	0	50.00	12.50	37.50	75.00	दि.न.नि. को कम अनुदान निर्गत करना
112.	2217 ए.8(2)(1)(19)- जे जे कलस्टरों और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (वाई ए पी द्व II)	1.00	0.01	8.99	10.00	0	10.00	100.00	कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होना
113.	2217 ए.8(2)(1)(25)(1)- पूंजीगत परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु सहायता अनुदान-द.न.नि.	38.69	0	0	38.69	31.46	7.23	18.69	व्यय न की गई राशि का समायोजन

114.	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरीय सुधार हेतु सहायता अनुदान	300.93	0	0	300.93	0	300.93	100.00	अनुदान निर्गत न किया जाना
115.	2217 ए.8(2)(1)(28)- कनॉट प्लेस के पुनर्विकास हेतु एन.डी.एम.सी. को सहायता अनुदान (जे एन एन यू आर एम)	22.20	0	0	22.20	0	22.20	100.00	एन डी एम सी से माँग की प्राप्ति न होना
116.	2217 ए.8(2)(1)(32)- दूंस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड (डी यू एस आई बी)	5.00	0	0	5.00	2.50	2.50	50.00	कम अनुदान निर्गत किया जाना
117.	2217 ए.8(3)(1)(6)- अनधिकृत कॉलोनियों में अत्यावश्यक सुविधाएँ प्रदान करना	450.50	0	0	450.50	350.19	100.31	22.27	योजना की धीमी प्रगति
118.	2217 ए.8(3)(1)(1)- प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अवसंरचना, अर्थात् सड़के, गलियों, मोहल्ले, स्ट्रीट लाईटों, इत्यादि की वृद्धि एवं सशक्तिकरण	140.00	0.01	139.99	280.00	260.15	19.85	7.09	वि.स.सदस्यों से कम माँग की प्राप्ति
119.	2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉल्ड सिटी के पुनर्निर्माण हेतु एस पी वी	30.00	0	0	30.00	0	30.00	100.00	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स.अ. के निर्गत करने हेतु प्रस्ताव का स्वीकृत न किया जाना
120.	2217 ए.8(3)(1)(8)- अनुमोदित कॉलोनियों में रखरखाव कार्य	0	0.01	9.99	10.00	7.69	2.31	23.10	कार्यान्वयन करने वाले एजेंसियों से कम माँग की प्राप्ति
121.	3054 ए.12(1)(1)(2)(1)- शहरी सड़कें	250.00	0	0	250.00	184.63	65.37	26.15	योजना की धीमी प्रगति
122.	3054 ए.12(1)(1)(2)(5)- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन	100.00	0	0	100.00	49.40	50.60	50.60	योजना की धीमी प्रगति
123.	3475 ए.14(1)(1)- स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	3.13	0	1.45	4.58	1.37	3.21	70.09	व्यय न की गई शेष राशि का समायोजन
124.	3604 ए.15(3)(2)- दि.न.नि. को बेसिक व आवंटन	700.22	0	0	700.22	690.61	9.61	1.37	कम कर आवंटन का निर्गत किया जाना और शेष राशि के निर्गत किए जाने हेतु माँग प्राप्त न होना
125.	लोक निर्माण विभाग 2059 बी.1(1)(1)(1)- स्था. प्रभार	163.86	0	1.26	165.12	133.55	31.57	19.12	रिक्त पदों का न भरा जाना
126.	2216 बी.2(1)(1)(3)- किराया, दरें व कर	4.00	0	0	4.00	2.73	1.27	31.75	कम बिलों की प्राप्ति

127.	3054 बी.3(1)(1)(1)(1)- रखरखाव	191.61	0	18.39	210.00	190.47	19.53	9.30	अनुमति देर से प्राप्त होने के कारण रखरखाव पर व्यय में कमी
128.	बिजली विभाग 2052 ई.1(1)(1)- बिजली विभाग	2.49	0	0.31	2.80	1.76	1.04	37.14	किन्हीं प्रशासकीय कारणों से विज्ञापन बिलों के भुगतान को अंतिम रूप न दिया जाना
129.	2801 ई.2(2)(1)(3)- डी ई आर सी को सहायता अनुदान	9.00	0.01	0.54	9.55	6.92	2.63	27.54	व्यय न किए गए शेष का समायोजन
130.	2801 ई.2(2)(1)(4)- वी आर एस के लाभ हेतु आई पी जी सी एल को सहायता अनुदान	10.00	0	0	10.00	5.00	5.00	50.00	आई पी जी सी एल को कम अनुदान निर्गत किया जाना
131.	बिजली विभाग 2801 ई.2(2)(1)(5)- सी पी एस यू देयताओं के प्रति डी पी सी एल को सहायता अनुदान	430.00	0	0	430.00	362.35	67.65	15.73	कम अनुदान का निर्गत किया जाना
	पूँजी-दत्तमत								
	अनुदान सं. 4: वित्त								
132.	व्यापार व कर विभाग 4059 एफ एफ. 1(1)(1)(2)- भवन का नवीनीकरण/रखरखाव	0	4.00	0	4.00	1.10	2.90	72.50	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 6 : शिक्षा								
133.	शिक्षा निदेशालय 4202 एए.1(1)(1)(1)- वी के एस के द्वारा विद्यालय भवनों का निर्माण	26.00	0	0	26.00	13.10	12.90	49.62	कार्य की धीमी प्रगति
134.	4202 एए.1(1)(1)(2)- विद्यालय भवनों के कार्य की आउटसोर्सिंग	169.00	14.83	16.17	200.00	173.02	26.98	13.49	कार्य की धीमी प्रगति
135.	4202 एए.1(2)(1)(1)- खेल परिसर, तरणताल व स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सों का निर्माण	3.75	0	0	3.75	0.85	2.90	77.33	कार्य की धीमी प्रगति
136.	पुरातत्व विभाग 202 जीजी.1(1)(1)(1)- स्मारकों का संरक्षण	4.00	0	0	4.00	0.97	3.03	75.75	कार्य की धीमी प्रगति और इनटैक से एम ओ यू को न बढ़ाया जाना
137.	उच्चतर शिक्षा विभाग- 4202 जे जे. 1 (1)(1)(1)- इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भूमि का आवंटन और भवन का निर्माण	19.00	0	0	19.00	8.08	10.92	57.47	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य								

138.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय 4210 एन एन.1 (1)(1)(1)- डा. बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	20.00	0	0	20.00	0	20.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
	अनुदान सं. 8: सामाजिक कल्याण								
139.	सामाजिक कल्याण विभाग 4235 एए.1(1)(1)(1)- वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करना (एसडब्ल्यू डी)	2.00	0	0	2.00	0.41	1.59	79.50	कार्य की धीमी प्रगति
140.	4235 एए.1(1)(2)(1)- वृद्धावस्था गृह	2.00	0	0	2.00	0.31	1.69	84.50	विभिन्न गृहों द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुमानों को अनुमति प्राप्त न होना
141.	4235 एए.1(1)(2)(2)- हाफ-व होम/लाँग रटे होम	0	0.01	4.99	5.00	0	5.00	100.00	प्रस्तावों में प्रशासकीय आवश्यकताओं की पूर्ति न किया जाना
142.	अ.जा./अ.ज.जा. तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभाग 4225सीसी.1(1)(2)(1)-शिक्षा के मिडिल/माध्यमिक महाविद्यालय/ विश्वविद्यालयी स्तरों पर पढ़ने वाले अ.जा./अ.ज.जा. के छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण	2.00	0	0.47	2.47	0	2.47	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
143.	परिवहन विभाग 5055 डीडी.1(1)(2)-परिवहन विभाग	9.00	0	0	9.00	4.57	4.43	49.22	कार्य की धीमी प्रगति
144.	5055 डीडी.1(1)(3)-एक नए निरीक्षण पिट हेतु भूमि का क्रय	3.00	0	0	3.00	0.44	2.56	85.33	कार्य की धीमी प्रगति
145.	परिवहन विभाग 5055 डीडी.1(1)(4)-नए बस टर्मिनल हेतु भूमि का क्रय	80.00	0	0	80.00	18.75	61.25	76.56	कार्य की धीमी प्रगति
146.	5055 डीडी.1(2)(4)- जे एन एन यू आर एम हेतु दिल्ली परिवहन निगम को इक्विटी पूंजी	370.00	0	0	370.00	201.00	169.00	45.68	कार्य की धीमी प्रगति
147.	5055 डीडी.1(3)(1)- इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली बसों-परिवहन की वैकल्पिक प्रणाली का आरंभ	250.00	0	0	250.00	9.25	240.75	96.30	कार्य की धीमी प्रगति
148.	5075 डीडी.2(1)(1)(5)- रिंग रेलवे का उपयोग	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न किया जाना

149.	5425 डीडी.3(1)(1)- मोटर वाहनों के वायु प्रदूषण निकास का नियंत्रण	2.00	0	0	2.00	0	2.00	100.00	कार्य की धीमी प्रगति
150.	7055 डीडी.4(1)(2)- एम आर टी एस हेतु भूमि अधिग्रहण हेतु उपऋण	245.00	0	0	245.00	216.00	29.00	11.84	कार्य की धीमी प्रगति
151.	7055 डीडी.4(2)(3)- डी टी डी सी को आई. एस.बी.टी. हेतु ऋण	65.00	0	0	65.00	20.00	45.00	69.23	कम ऋणों का निर्गत किया जाना
	अनुदान सं. 9: उद्योग								
152.	उद्योग विभाग 4851 एए.1(1)(1)- औद्योगिक एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्री काम्प्लेक्स की नागरिक सेवाओं का उन्नयन,सुधार, व हस्तांतरित करना	5.00	0	0	5.00	0.25	4.75	95.00	कार्य की धीमी प्रगति
153.	खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले 5475 डीडी.1(1)(1)-जिला फोरम व राज्य कमीशन को आवास प्रदान करना	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	योजना का कार्यान्वयन न किया जाना
154.	5475 डीडी.1(1)(2)- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल बनाना	11.00	0	0	11.00	8.45	2.55	23.18	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 10: विकास								
155.	विकास विभाग 4515 बीबी.4(1)(3)- आई डी आर वी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों हेतु ग्रामीण विकास बोर्ड	123.00	0	0	123.00	115.28	7.72	6.70	कार्य की धीमी प्रगति
156.	वन विभाग 4406 एफएफ 1. (2)(2)(1)- वन का विकास,जिसमें समेकन सम्मिलित है	13.00	0	0	13.00	7.00	6.00	46.15	कार्य की धीमी प्रगति
157.	पर्यावरण विभाग 5425पीपी.1(1)(1)- खतरनाक कूड़े का प्रबंध	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	योजना का कार्यान्वयन न किया जाना
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग								
158.	शहरी विकास विभाग 4217 एए.1(2)(1)(1)- रा.रा.क्षे. विकास बोर्ड को आंशिक पूंजी का योगदान	5.00	0	0	5.00	0	5.00	100.00	अंशदान का निर्गत न किया जाना
159.	4217 एए.1(3)(1)(3)- श्री तेग बहादुर स्मारक का निर्माण	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
160.	6215 एए.2(1)(1)(2)-ट्रान्स यमुना क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु दि.ज.बो.को ऋण	9.05	0	0	9.05	6.79	2.26	24.97	कम ऋण निर्गत किया जाना
161.	6215 एए.2(1)(1)(3)- ट्रांस यमुना क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु दि.ज.बो. को ऋण	17.00	0	0	17.00	12.75	4.25	25.00	कम ऋण निर्गत किया जाना

162.	6215 एए.2(2)(1)(2)-ट्रांस यमुना क्षेत्र में सीवर व नाली की व्यवस्था हेतु दि.ज.बो.को ऋण	4.00	0	0	4.00	3.00	1.00	25.00	कम ऋण निर्गत किया जाना
163.	6215 एए.2(2)(1)(3)- शहरी गाँवों में सीवर व्यवस्था हेतु दि.ज.बो. को ऋण	6.50	0	0	6.50	4.88	1.62	24.92	कम ऋण निर्गत किया जाना
164.	6215 एए.2(2)(1)(10)-यमुना नदी में प्रदषण की रोकथाम हेतु दि.ज.बो को ऋण	4.00	0	0	4.00	3.00	1.00	25.00	कम ऋण निर्गत किया जाना
165.	शहरी विकास विभाग 7055 एए.9(1)(1)(1)- जे एन एन यू आर एम योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण हेतु दि.न.नि. को ऋण	0	50.60	0	50.60	0	50.60	100.00	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त न होना
166.	लोक निर्माण विभाग 4059 बीबी. 2 (1)(2)(2)-यू टी सी एस भवन	2.00	0	2.00	4.00	1.89	2.11	52.75	कार्य की धीमी प्रगति
167.	4059 बीबी.2(1)(2)(3)-बिक्री कर भवन	30.00	0	0	30.00	0.20	29.80	99.33	कार्य की धीमी प्रगति
168.	4059 बीबी.2(1)(2)(4)-न्यायालय भवन	110.00	0	0	110.00	67.91	42.09	38.26	कार्य की धीमी प्रगति
169.	4059 बीबी.2(1)(2)(5)-उपायुक्त कार्यालय	26.00	0	0	26.00	4.79	21.21	81.58	कार्य की धीमी प्रगति
170.	4059 बीबी.2(1)(2)(8)-निर्वाचन कार्यालय भवन	3.50	0	0.04	3.54	2.52	1.02	28.81	कार्य की धीमी प्रगति
171.	4059 बीबी.2(1)(2)(11)-दिल्ली औषधविज्ञान व शोध संस्थान	5.00	0	0	5.00	1.02	3.98	79.60	कार्य की धीमी प्रगति
172.	4070 बीबी.3(1)(2)- केन्द्रीय कारागार भवन	95.00	0	0	95.00	55.71	39.29	41.36	कार्य की धीमी प्रगति
173.	4202 बीबी.4(1)(4)(2)-दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित महाविद्यालय भवनों का निर्माण	35.00	0	0	35.00	11.68	23.32	66.63	कार्य की धीमी प्रगति
174.	4202 बीबी.4(2)(1)(4)-जी.बी.पन्त प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	3.00	0	0	3.00	1.62	1.38	46.00	कार्य की धीमी प्रगति
175.	4202 बीबी.4(2)(1)(5)-शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय,जाफरपुर	2.00	0	0	2.00	0.79	1.21	60.50	कार्य की धीमी प्रगति
176.	4202 बीबी.4(3)(1)(4)- एन सी सी हेतु भवनों का निर्माण	2.00	0	0	2.00	0.11	1.89	94.50	कार्य की धीमी प्रगति
177.	4202 बीबी.4(3)(1)(11)- पी वाई के के ए के अंतर्गत खेल के मैदान का निर्माण (राज्य अंश)	1.25	0	0	1.25	0	1.25	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
178.	4202 बीबी.4(4)(3)(1)-कला महाविद्यालय	2.45	0	0	2.45	1.22	1.23	50.20	कार्य की धीमी प्रगति

179.	4210 बीबी.5(1)(1)(1) (4)-आई एस एम एवं होम्योपैथी निदेशालय	2.00	0	0	2.00	1.00	1.00	50.00	कार्य की धीमी प्रगति
180.	लोक निर्माण विभाग 4210 बीबी.5(1)(1)(1)(1)-चिकित्सालयों हेतु भवनों का निर्माण	150.25	0	0	150.25	39.67	110.58	73.60	कार्य की धीमी प्रगति
181.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(9)-ताहिर पुर में राजीव गांधी सुपर स्पेशिएलिटी हास्पिटल	0.50	0	4.50	5.00	3.64	1.36	27.20	कार्य की धीमी प्रगति
182.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(15)-डा. बाबा साहेब अम्बेडकर चिकित्सालय	2.00	0	5.00	7.00	3.96	3.04	43.43	समय पर स्वीकृति प्राप्त न होना
183.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(18)-गुरू नानक नेत्र चिकित्सालय	2.00	0	0	2.00	0.98	1.02	51.00	समय पर स्वीकृति प्राप्त न होना
184.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(19)-जी.टी.बी. चिकित्सा महाविद्यालय व चिकित्सालय	18.00	0	0	18.00	13.60	4.40	24.44	कार्य की धीमी प्रगति
185.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(24)-महर्षि वाल्मीकि चिकित्सालय	5.00	0	0	5.00	1.47	3.53	70.60	कार्य की धीमी प्रगति तथा स्वीकृति की विलंब प्राप्ति
186.	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(27)-राव तुला राम चिकित्सालय	5.00	0	0	5.00	2.93	2.07	41.40	कार्य की धीमी प्रगति
187.	4210 बीबी.5(2)(2)(1)(1)-एम.ए.एम. महाविद्यालय भवन	10.00	0	0	10.00	6.06	3.94	39.40	कार्य की धीमी प्रगति
188.	4210 बीबी.5(2)(3)(1)(2)-आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिबिया महाविद्यालय का नवीकरण	2.50	0	0	2.50	1.30	1.20	48.00	कार्य की धीमी प्रगति
189.	4210 बीबी.5(3)(1)(3)-औषध नियंत्रण हेतु भवन का निर्माण	1.80	0	0	1.80	0	1.80	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
190.	4235 बीबी.7(1)(2)(1)-महिला कल्याण-भवन	3.60	0	0	3.60	0.29	3.31	91.94	कार्य की धीमी प्रगति और स्वीकृति देर से प्राप्त होना
191.	4250 बीबी.8(1)(1)-आई.टी. आई. का निर्माण	6.80	7.20	0	14.00	5.39	8.61	61.50	कार्य की धीमी प्रगति
192.	4250 बीबी.8(1)(2)-रोजगार कार्यालयों का निर्माण, हस्तसाल	2.80	0	0	2.80	0.34	2.46	87.86	कार्य की धीमी प्रगति और अनुमति देर से प्राप्त होना
193.	5054 बीबी.11(1)(1)(2)-ट्रांस-यमुना क्षेत्र में सड़कों एवं पुलों का निर्माण	3.00	0	0	3.00	0.47	2.53	84.33	कार्य की धीमी प्रगति

194.	5054 बीबी.11(1)(1)(4)- सी आर एफ योजना	50.00	0	0	50.00	0	50.00	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
195.	5054 बीबी.11(1)(1)(8)- बी आर टी कॉरीडोर खेल	200.00	0	0	200.00	0.06	199.94	99.97	कार्य की धीमी प्रगति
196.	बिजली विभाग 6801ईई.1(3)(3)(1)- प्रगति पॉवर परियोजना- III, बवाना को ऋण	500.00	0	0	500.00	200.00	300.00	60.00	कम ऋण का निर्गत किया जाना
197.	बिजली विभाग 6801 ईई.1(5)(2)- दिल्ली ट्रांसको लि.को ऋण	500.00	0	0	500.00	466.36	33.64	6.73	कम ऋण का निर्गत किया जाना
198.	4801 ईई.2(1)(1)(8)- दिल्ली नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत कम्पनी-डी आर ई पी सी को इक्विटी	20.00	0	0	20.00	0	20.00	100.00	इक्विटी निर्गत न किया जाना
199.	4801 ईई.2(1)(1)(7)- बिजली स्थिरीकरण निधियों हेतु इक्विटी-डी पी सी एल	200.00	0	0	200.00	0	200.00	100.00	सब्सिडी निर्गत न किया जाना
	अनुदान सं. 12: ऋण								
200.	7610 एए.1(1)- आवास निर्माण अग्रिम	1.33	0	0	1.33	0.30	1.03	77.44	आवेदकों की संख्या कम होना
	सार्वजनिक ऋण								
201.	लोक ऋण (भारित) 2049 ए.1(1) - राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों हेतु ऋणों पर ब्याज	3000.00	0	0	3000.00	2917.26	82.74	2.76	भारत सरकार से कम ऋण की प्राप्ति
202.	6004 एए.1(1)(2)- लघु बचत संग्रहण का अंश	1100.00	0	0	1100.00	1087.88	12.12	1.10	भारत सरकार से कम ऋण की प्राप्ति
	कुल	**17195.18**	**270.10**	**339.15**	**17804.43**	**13617.82**	**4186.61**		

परिशिष्ट 2.1

(ख) विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के विवरण जहाँ सी एस एस/एस सी एस पी में प्रत्येक के लिए बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं

(पैराग्राफ 2.3.1 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं सं.	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	पुनर्विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत	कारण
	राजस्व दत्तमत								
	अनुदान सं.4 वित्त								
1.	आर्थिक गणना निदेशालय 3454 डी 1(1)(2)(2)- आर्थिक गणना का संचालन (सीएसएस)	3.00	0	0	3.00	0	3.00	100.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
2.	3454 डी. 1(1)(2)(4)- गणना कार्य पर व्यय	18.50	0	0	18.50	15.42	3.08	16.65	योजना की धीमी प्रगति के कारण
	अनुदान सं. 5: गृह								
3.	नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड निदेशालय 2070 बी. 1(1)(3) नगरिक सुरक्षा (सीएसएस)सहायता अनुदान	1.13	0	0	1.13	0	1.13	100.00	नागरिक सुरक्षा कर्मचारियों का सचिव राजस्व को स्थानान्तरण
	अनुदान सं. 6: शिक्षा								
4.	शिक्षा निदेशालय 2202 ए.1(1)(1)(1)(1)- एससीईआरटी (सीएसएस) को सहायता अनुदान	9.28	0.01	6.55	15.84	12.19	3.65	23.04	एससीईआरटी को कम अनुदान जारी करना
5.	2202 ए.1(4)(4)(21)- विकलांगों के लिए माध्यमिक स्तर (आईईडीएसएस-सीएसएस) पर एकीकृत (केन्द्रीय अंश)	0	3.00	0	3.00	1.30	1.70	56.67	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
6.	2236 पोषण ए.4(1)(2)(1)- बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (एससीएसपी)	9.85	0.01	1.46	11.32	8.88	2.44	21.55	प्रबंधन और मूल्यांकन निधियों का कम उपयोग तथा शीतकालीन अवकाश का एक सप्ताह से अधिक का विस्तार
7.	2236 पोषण ए.4(1)(2)(2)- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (एससीएसपी) के लिए एमसीडी को अनुदान	9.36	0	0	9.36	7.64	1.72	18.38	कम अनुदान जारी करना
8.	2236 पोषण ए.4(1)(2)(5)- सहायता प्राप्त स्कूलों को मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए सहायता अनुदान (एससीएसपी)	1.15	0.26	0	1.41	0.40	1.01	71.63	कुछ विद्यालयों द्वारा निधियों का कम इस्तेमाल
9.	2230 श्रम एवं रोजगार बी.2(1)(4)(1)(1)- व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना विश्व बैंक अंश (सी एस एस)	1.00	0	0.34	1.34	0.20	1.14	85.07	एम एवं ई के लिए कुछ प्रशासनिक कारणों से भुगतान का जारी न होना

	अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य								
10.	2210 ए.1(1)(7)(2)- स्वास्थ्य केन्द्र (एससीएसपी)	41.49	2.87	0	44.36	42.40	1.96	4.42	बकाया बिलों को समय पर अंतिम रूप न दिया जाना और एमएसीपी
11.	परिवार कल्याण निदेशालय 2211 के.1(1)(2)- परिवार कल्याण निदेशालय (सीएसएस)	4.89	0	0	4.89	2.75	2.14	43.76	योजना की धीमी प्रगति
12.	2211 K.1(3)(1)- शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (सीएसएस)	10.00	0	0	10.00	2.55	7.45	74.50	योजना की धीमी प्रगति
13.	2211 के.1(3)(2)- शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का नवीकरण (सीएसएस)	2.50	0	0	2.50	1.05	1.45	58.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
14.	2211 के.1(6)(1)- क्षतिपूर्ति(सीएसएस)	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
15.	आईएसएम और होम्योपैथी निदेशालय 2210 एम.1(3)(1)(2)(1)- आयुष संस्थानों/कॉलेजों का विकास एवं उन्नयन-सहायता अनुदान(सीएसएस)	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
16.	लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय 2210 एबी.1(1)(1)(1)- लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय (एससीएसपी)	41.72	0.61	0	42.33	39.25	3.08	7.28	रिक्त पदों का न भरा जाना,कम बिलों की प्राप्ति, स्टोर की कम खरीदारी और एम एवं ई की खरीदारी के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना
17.	गुरू गोविन्द सिंह चिकित्सालय 2210 एडी.1(1)(1)(1)- गुरू गोविन्द सिंह चिकित्सालय (एससीएसपी)	29.12	1.80	0	30.92	28.82	2.10	6.79	भण्डार की कम अधिप्राप्ति, रिक्तियों, कम बिलों की प्राप्ति और एम एवं ई की खरीदारी के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिया जाना
18.	बाबू जगजीवन राम चिकित्सालय 2210 एई.1(1)(1)(1)- बाबू जगजीवन राम चिकित्सालय(एससीएसपी)	25.14	1.30	0	26.44	22.60	3.84	14.52	रिक्त पदों का न भरा जाना, कम दावों की प्राप्ति और भण्डार की कम अधिप्राप्ति
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण								
19.	महिला एवं बाल विकास निदेशालय 2235 बी.2(1)(2)(19)- राज्य बाल संरक्षण सोसायटी को सहायता अनुदान (सीएसएस)	2.50	0	0	2.50	1.07	1.43	57.20	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति
20.	2236 पोषण बी.3(1)(1)(11)- गैर पोषण घटकों के लिए किशोर युवतियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सीएसएस)	0	1.71	0	1.71	0.37	1.34	78.36	प्रशासनिक कारणों से किशोरीकार्डस और सबला रजिस्टर की छपाई पर कम व्यय

21.	2236 पोषण बी.3(1)(2)(1)-पूरक पोषण कार्यक्रम(एससीएसपी)	17.25	0	0	17.25	14.86	2.39	13.85	योजना की धीमी प्रगति
22.	एससी/एसटी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 2225-सी.1(1)(1)(5)-विद्यालयों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों और लेखन सामग्री की मुफ्त आपूर्ति (एससीएसपी)	18.00	22.60	0	40.60	37.08	3.52	8.66	योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों से कम मांग
23.	2225 सी.1(1)(1)(7)- कक्षा I से XII तक के अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व.और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति (एससीएसपी)	30.15	4.28	0	34.43	30.89	3.54	10.28	योजना के अंतर्गत स्थानीय निकायों से कम मांग
24.	2225 सी.1(1)(3)(11)-मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (सीएसएस)	1.50	0	0	1.50	0.04	1.46	97.33	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
25.	2225 सी.1(1)(3)(13)-पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना(सीएसएस)	4.33	0	0	4.33	0.16	4.17	96.30	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
26.	2225 सी.1(3)(1)(7)- अल्प - संख्यक केन्द्रित जिलों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (सीएसएस)	2.00	1.93	1.26	5.19	0.50	4.69	90.36	प्रशासनिक कारणों से निधियों के जारी होने की संस्वीकृति की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं.9: उद्योग								
27.	उद्योग विभाग 2851 ए.2(6)(9)- हथकरघा वस्त्र की बिक्री पर छूट (सीएसएस)	0.01	1.93	0	1.94	0	1.94	100.00	योजना के अंतर्गत छूट का जारी न होना
28.	2851 ए.2(6)(11)- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हथकरघा प्रोन्नति योजना (सीएसएस)	0.30	0.11	2.61	3.02	0.17	2.85	94.37	योजना की धीमी प्रगति
29.	श्रम विभाग 2230 सी.2(1)(7)(3)- बाल श्रमिकों का पुनर्वास (एससीएसपी)	0.50	0	0	0.50	0	0.50	100.00	अनुदान का जारी न होना
30.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले 3456 डी.1(2)(4)- अन्नपूर्णा योजना (सीएसएस)	0.54	0	0	0.54	0	0.54	100.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं. 10: विकास								
31.	विकास विभाग 2401 बी.1(9)(4)- कृषि का वृहतस्तरीय प्रबंधन (सीएसएस)	0.70	0	0	0.70	0	0.70	100.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग								

32.	शहरी विकास विभाग 2217 ए.8(1)(2)(1)- शहरी मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार के लिए एम सी डी (मलिन बस्ती) को अनुदान (एससीएसपी)	77.50	0	0	77.50	40.00	37.50	48.39	कम अनुदान जारी करना
	पूँजी-दत्तमत								
	अनुदान सं. 6: शिक्षा								
33.	पुरातत्व विभाग 4202 जीजी.1(1)(1)(4)- डीटीटीडीसी द्वारा स्मारकों का प्रदीपन तथा संरक्षण (सीएसएस)	1.00	0	0.40	1.40	0.01	1.39	99.29	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण								
34.	अ.जा./अ.ज.जा. एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग 4225 सीसी.1(1)(3)(2)- अ.जा. बस्तियों का सुधार (एससीएसपी)	23.00	0.01	9.99	33.00	27.10	5.90	17.88	समय पर प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिया जाना
35.	पर्यटन विभाग 5452 ईई.1(1)(2)(1)- पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सीएसएस)	1.00	0	0	1.00	0.05	0.95	95.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं.10: विकास								
36.	विकास विभाग 4515 बीबी.4(2)(3)- आई डी आर वी के अधीन ग्रामीण विकास बोर्ड के कार्यों को बढ़ाना(एस सी एस पी)	27.00	0	0	27.00	25.13	1.87	6.93	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास एव लोक निर्माण विभाग								
37.	लोक निर्माण विभाग 4202 बीबी.4(1)(5)(2)- विद्यालयों के लिए भवन निर्माण (एससीएसपी)	11.00	4.30	0	15.30	11.74	3.56	23.27	संस्वीकृति का समय पर प्राप्त न होना
38.	4210 बीबी.5(1)(2)(2)- खिचड़ीपुर में लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय (एससीएसपी)	5.00	0	0	5.00	1.58	3.42	68.40	कार्य की धीमी प्रगति
39.	4210 बीबी.5(1)(2)(4)- डिस्पेंसरी/स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन निर्माण (एससीएसपी)	10.00	0	0	10.00	4.71	5.29	52.90	कार्य का धीमी गति से होना और संस्वीकृति का देरी से प्राप्त होना
40.	4210 बीबी.5(1)(2)(5)- गुरू गोविन्द सिंह चिकित्सालय, रघुबीर नगर (एससीएसपी)	2.00	0	3.20	5.20	3.05	2.15	41.35	कारण प्रतीक्षित
41.	4250 बीबी.8(2)(4)(1)- व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना-विश्व बैंक अंश (सीएसएस)	1.00	0	0	1.00	0	1.00	100.00	भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होना
	कुल	**446.41**	**46.73**	**25.81**	**518.95**	**383.96**	**134.99**		

परिशिष्ट 2.2

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे अथवा वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व सरकारी लेखे में भेजे गए

(पैराग्राफ 2.3.3 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचतें	कारण
	राजस्व -दत्तमत				
	अनुदान सं.2:सामान्य प्रशासन				
1.	2070 डी.1(1)(2)- प्रशिक्षण निदेशालय (यूटीसीएस)-सूचना पहुँच के लिए क्षमता निर्माण (यूएनडीपी)परियोजना	10.00	0	10.00	उल्लिखित नहीं
2	2052 एच.1(1)(5)- सामाजिक सुविधा संगम के लिए सहायता अनुदान (स्मार्ट कार्ड जारी करने हुते)	3000.00	0	3000.00	योजना का कार्यान्वयन न होना
	अनुदान सं.3:न्याय प्रशासन				
3	2015 एफ.1(4)(1)- चुनाव कार्यालय-संसद के चुनाव संचालन हेतु प्रभार-लोक सभा चुनाव	20.00	0	20.00	उल्लिखित नहीं
4	2014 जी.1(1)(1)- दिल्ली उच्च न्यायालय-दिल्ली न्यायिक अकादमी	232.00	0	232.00	दिल्ली डच्च न्यायालय के अधीन विभाग का परिवर्तन
	अनुदान सं.4: वित्त				
5	2040 एफ.1(3)(10)- एनईजीपी के अंतर्गत वाणिज्यिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना(एमएमपीसीटी-राज्य अंश)	335.00	0	335.00	वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में संस्वीकृति की प्राप्ति
	अनुदान सं.6: शिक्षा				
6	2202 ए.1(2)(8)(8)- चयनित विद्यालयों/विज्ञान संग्रहालय में अन्वेषण परियोजना	6.30	0	6.30	उल्लिखित नहीं
7	2203 बी.1(5)(19)- महिला तकनीकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	1000.00	0	1000.00	अनुदान का जारी न होना
8	2230 बी.2(1)(3)(1)(1)- सभी आईटीआई में कम्प्यूटर प्रयोगशाला-संयत्र एवं उपकरण	10.00	0	10.00	उल्लिखित नहीं
9	2230 बी.2(1)(3)(2)- दिल्ली कौशल मिशन सोयायटी को सहायता अनुदान	150.00	0	150.00	अनुदान का जारी न होना
10	2205 एफ.2(1)(20)- आजीवन उपलब्धि हेतु पुरस्कार के लिए एसएकेपी को सहायता अनुदान	43.00	0	43.00	उल्लिखित नहीं
	अनुदान सं.7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
11	2210 ए.1(1)(3)(1)- कर्मचारी राज्य बीमा निगम को योगदान	1976.20	0	1976.20	योजना का कार्यान्वयन न होना
12	2210 ए.1(4)(1)(3)- राज्य ऋणता सहायता निधि में दिल्ली सरकार का योगदान (दिल्ली आरोग्य निधि)	150.00	0	150.00	लाभार्थियों की कम संख्या के कारण

13	2211 ए.3(1)(2)- परिवार कल्याण-अन्य व्यय-आपका स्वास्थ्य बीमा	1000.00	0	1000.00	योजना का कार्यान्वयन न होना
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
14	3435डी.5(1)(1)(3)- डीएमआरसी फीडर बस सेवा (जेएनएनयूआरएम)	525.00	0	525.00	योजना का कार्यान्वयन न होना
15	3452 ई.1(2)(3)(9)- संजयझील पर साफ्ट एडवेंचर पार्क के विकास के लिए डीडीटीडीसी को सहायता अनुदान	362.00	0	362.00	डीटीटीडीसी को अनुदान जारी न होना
	अनुदान सं. 9: उद्योग				
16	2851 ए.2(3)(6)- औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए सहायता अनुदान	100.00	0	100.00	योजना का कार्यान्वयन न होना
17	2230 सी.2(1)(5)(1)- बाल श्रमिकों का पुनर्वासन (एससीएसपी)	150.00	0	150.00	अनुदान का जारी न होना
18	3456 डी.1(4)(5)- आवश्यक वस्तुओं द्वारा के मूल्य वृद्धि पर बाजार हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रण का प्रावधान	250.00	0	250.00	योजना की धीमी प्रगति
	अनुदान सं.11: शहरी विकास व लोक निर्माण विभाग				
19	2215 ए.6(1)(1)(5)- विधान सभा क्षेत्रों में मलनिकास एवं जल-आपूर्ति के विकास के लिए दि.ज.बो. को सहायता अनुदान की विशेष योजना	7000.00	0	7000.00	अनुदान का जारी न होना
20	2216 ए.7(1)(1)(4)- कमजोर वर्गों के गृह निर्माण के लिए डीडीए को अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	500.00	0	500.00	अनुदान का जारी न होना
21	2217 ए.8(2)(1)(19)- जेजे क्लस्टर्स(समूह) और अवैध कॉलोनियों में सफाई के लिए एमसीडी को सहायता अनुदान (वाई ए पी-II)	1000.00	0	1000.00	कार्यान्वियन ऐजेंसी से प्रस्ताव प्राप्त न होना
22	2217 ए.8(2)(1)(26)- नगरीय सुधार के लिए सहायता अनुदान	30093.00	0	30093.00	अनुदान का जारी न होना
23	2217 ए.8(2)(1)(28)- कनॉट प्लेस के पुनर्विकास के लिए एन डी एम सी को सहायता अनुदान (जेएनएनयूआरएम)	2220.00	0	2220.00	एनडीएमसी से मांग की गैर प्राप्ति
24	2217 ए.8(3)(1)(5)- वॉल्ड सिटी पुनर्विकास के लिए एस.पी.वी.	3000.00	0	3000.00	योजना की धीमी प्रगति और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जी आई ए के जारी होने हेतु प्रस्ताव की अस्वीकृति
	कुल	**53132.50**		**53132.50**	
	पूँजी-दत्तमत				
	अनुदान सं. 5: गृह				
25	4055 डीडी.1(1)(1)- दिल्ली फोरेंसिक (न्यायिक) विज्ञान प्रयोगशाला	50.00	0	50.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
	अनुदान सं. 6: शिक्षा				
26	4202 जीजी.1(1)(1)(3)- कला एवं संस्कृति-संग्रहालय तथा कला दीर्घा	95.00	0	95.00	कार्य की धीमी गति
27	6202 जेजे.2(1)(1)(1)- गु.गो.आई.पी.विश्वविद्यालय को ऋण	100.00	0	100.00	ऋण का जारी न होना

	अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
28	4210 एनएन.1(1)(1)(1)(1)- डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना	2000.00	0	2000.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण				
29	4235 एए. 1(1)(2)(2)- हाफ वे होम/लॉग स्टे होम	500.00	0	500.00	प्रस्तावों में प्रशासनिक आवश्यकताओं का पूरा न होना
30	4225 सीसी.1(1)(2)(1)- उच्च प्राथमिक /माध्यमिक कॉलेज/विश्वविद्यालयीय शैक्षिक स्तर पर अध्ययनरत अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों हेतु छात्रावास का निर्माण	246.54	0	246.54	योजना का क्रियान्वयन न होना
31	5075 डीडी.2 (1)(1)(5)- रिंग रेलवे का उपयोग	100.00	0	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
32	5425 डीडी. 3(1)(1)- मोटर वाहनों से निकलने वाले वायु प्रदूषण का नियंत्रण	200.00	0	200.00	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 9: उद्योग				
33	5475 डीडी.1(1)(1)- जिला अदालत एवं राज्य आयोग को आवास उपलब्ध कराना	100.00	0	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
	अनुदान सं. 10: विकास				
34	5425 पीपी.1(1)(1)- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण-खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन	100.00	0	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग				
35	4217 एए.1(2)(1)(1)- एनसीआर विकास बोर्ड को अंश पूँजी योगदान	500.00	0	500.00	अंश योगदान का जारी न होना
36	4217 एए.1(3)(1)(3)- श्री गुरू तेग बहादुर स्मारक का निर्माण	100.00	0	100.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
37	7055 एए.9(1)(1)(1)- जेएनएनयूआर एम योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु एमसीडी को ऋण	5060.00	0	5060.00	क्रियान्वयन एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त न होना
38	4202 बीबी.4(3)(1)(11)- पीवाई केकेए के अधीन क्रीड़ा स्थल का विकास (राज्य अंश)	125.00	0	125.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
39	4210 बीबी.5(3)(1)(3)- जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाएं-औषधि नियंत्रण के लिए भवन निर्माण	180.00	0	180.00	कार्य की धीमी प्रगति
40	5054 बीबी.11(1)(1)(4)- जिला एवं अन्य सड़कें-अन्य व्यय-सीआरएफ योजनाएं	5000.00	0	5000.00	योजना का क्रियान्वयन न होना
41	4801 ईई.2(1)(1)(7)- डीपीसीएल विद्युत शक्ति सुदृढ़ीकरण निधियों के लिए इक्विटी डीपीसीएल	20000.00	0	20000.00	आर्थिक सहायता का जारी न होना
42	4801ईई.2(1)(1)(8)- दिल्ली पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति कम्पनी के	2000.00	0	2000.00	इक्विटी का जारी न होना
	लिए इक्विटी- डीआरईपीसी				
	कुल	**36456.54**		**36456.54**	
	सकल जोड़	**89589.04**		**89589.04**	

परिशिष्ट 2.3
पूर्व वर्षों के प्रावधान पर आधिक्य के लिए आवश्यक नियमन
(पैराग्राफ 2.3.4 को देखें)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोगों की संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या	अधिक राशि	लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा विचार की गई स्थिति
2006-07				
4, वित्त		3451 सी.1(1)(2)- जन शक्ति कक्ष	0.02	
6, शिक्षा				
		2202 ए.1(1)(5)(2)- निदेशकों (सी.एस.एस.) द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्कीम	0.04	
		2202 ए.1 (2)(8)(19)- अन्य विविध स्कीम	0.04	
7, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य				
		2210 ए.1(1)(2)- स्कूल हैल्थ स्कीम	0.02	
		2210 ए.1(4)(1)(8)- राष्ट्रमण्डल खेल	0.02	
8, समाज कल्याण				
		2225 ए.1(1)(1)(2) - संस्कार आश्रम	0.003	
		2225 ए.1. (1)(3)- अधिसूचित जनजातियों के लिए कल्याण केन्द्र का पुर्नगठन	0.02	
		2235 ए.2(1)(1)(6)- आन्तरिक/बाह्य सुरक्षा और स्वच्छता का संवर्धन	0.08	
		2235 ए.2(1)(2)(10)- कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए उत्पादन केन्द्र/प्रशिक्षण	0.01	
		2235 ए.2(1)(2)(11)- अन्य स्कीम	0.01	
		2235 ए.2(1)(2)(16)- सामाजिक तथा शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के फायदे के लिए राजकीय कार्यक्रम	0.004	
		2235 ए.2(1)(3) (17)- आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा हैल्पर्स के लिए मानदेय	0.05	
		2235 ए.2(1)(4) (3)- महिलाओं के लिए रोजगार केन्द्र	0.07	
		2235 ए.2(1)(7) (3)- वृद्धावस्था पेंशन	0.002	
		2236 ए.3(1)(1) (5)- पोष्ण प्रतिपूरक कार्यक्रम (अ.जा.)	0.12	
		3075 4 (1)(1)(5)- डी.एम.आर.सी. के बिक्री कर/निर्माण संविदा सैस की अदायगी	1.50	
		5055सीसी.1(1)(4)- नए बस टर्मिनल के लिए भूमि की खरीद	0.003	
		5055 सीसी (3)(1)- परिवहन के अतिरिक्त विकल्प इलैक्ट्रानिक बसों का प्रारम्भ	2.86	
9, उद्योग		2851 ए.2(3)(13)- महिला उद्यमी के लिए सहायता (स्वरोजगार के लिए महिला कल्याण स्कीम) (एस.सी.पी.)	0.001	
10, विकास				
		2245ई.8(1)(1)(1)(1)- प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति हेतु सहायता-अन्य व्यय	1.94	
		2014 ई.14(1)(1)- वक्फ न्यायाधिकरण	0.02	
		2015जी.5(1)(1)(1)- चुनाव पर व्यय	0.02	
		2015एच.6(2)(1)- जिला नई दिल्ली	0.001	
		2015 एच.6(4)- मतदाता सूची के बनाने व प्रिंटिंग	0.01	
		2053एम.3(2)(1)(1)- उत्तर-पूर्व क्षेत्र	0.0003	
		2029एन.1(2)(1)- उत्तर पश्चिम क्षेत्र	0.12	

	2515 एन.7(1)(1)(1)- मिनी मास्टर प्लान	0.16	
	2015ओ.7(2)(1)- उत्तरी जिला	0.01	
	4711डीडी.2(2)(1)- उचन्नत वसूलियाँ	0.02	
11, शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग			
	3475 ए.14 (3)(2)- स्वर्ण जयन्ती सहकारी रोजगार योजना	0.01	
	2059बी.1(1)(2)-निर्माण	0.14	
	2059 बी.1(1)(6)- उचंत	0.21	
	3054 बी.3(1)(1)(1)(1)- अनुरक्षण	0.02	
	4217 एए.1(3)(1)(2)- नगरीय ग्रामों का विकास	1.13	
	4210 बीबी.5(2)(3)(1)(2)- आयुर्वेदिक एवं युनानी तिबिया कॉलेज का नवीकरण	0.01	
	4235 बीबी.7(1)(4)(4)- समाज कल्याण विभाग का निर्माण	0.38	
	4405 बीबी.9(1)(1)- मत्स्य उद्योग का विस्तार एवं पुनर्गठन	0.02	
	5452 बीवी. 13(1)(1)(1)- दिल्ली इन्सटीटयूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग	0.03	
	कुल	**9.1243**	
2007-08			
6, शिक्षा			
	2202 ए.1(2)(4)(1)- निर्देशन एवं प्रशासन	0.005	
	2202 ए.1(2)(8)(2)- विज्ञान केन्द्र व केन्द्रीय कार्यशाला	0.04	
	2202 ए.1(3)(2)(3)- वर्तमान सरकारी स्कूलों में पूर्व प्राथमिक/प्राथमिक कक्षा की व्यवस्था	0.03	
	2202 ए.1(4)(4)(20- स्कूलों में योग स्कीमों का प्रारम्भ	0.25	
	2230बी.2(1)(4)(1)(2)- आई.टी.आई.- व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना-राज्य अंश	0.12	
7, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2210एम.1(1)(1)(11)- राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान, खेड़ा डावर	0.15	
8, समाज कल्याण			
	2235 ए.2(1)(3)(4)- परामर्श एवं मार्गदर्शन ब्यूरो	0.03	
	2235 ए.2(1)(3)(15)- बाल कल्याण-शिशु सदन	0.01	
	2235 ए.2(1)(4)(16)- समाज के कमजोर वर्ग से सम्बन्धित दुग्धपान एवं पालन-पोषण कराने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता	0.03	
	2235 ए.2(1)(7)(4)- अन्य व्यय-चिकित्सीय देखभाल इकाई	0.03	
	2235 ए.2(1)(9)(6)- अन्य कार्यक्रम-मा.सं.वि. रिपोर्ट की सिफारिशों का कियान्वयन	0.002	
	2236 ए.3(1)(1)(2)- किशोरी बालिका के लिए पोषण योजना (किशोरी शक्ति योजना)	0.09	
10, विकास			
	2403 बी.3 (2)(8)(1)- पशुप्लेग उन्मूलन पर राष्ट्रीय परियोजना -सामान्य संघटक (सी.एस.एस.)	0.03	
	2702 बी.8(1)(1)(1)- लघु सिंचाई योजना का वैज्ञानिकरण (सी.एस.एस.)	0.0003	
	2711 डी.3(1)(2)(1)- बाढ़ नियन्त्रक-उपकरण तथा संयंत्र	0.004	
	2235 ई.7(1)(1)(1)- पुनर्वास-सचिव राजस्व	0.46	
	2515 आई.7(1)(1)(1)-अन्य ग्रामीण विकास-मिनी मास्टर प्लान	0.004	
	2053 एम.3(2)(2)(1)- अन्य स्थापना उत्तर -पूर्वी क्षेत्र	0.04	
11, शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग			
	2216 बी.2(1)(1)(1)- हाउसिंग-निर्माण	0.004	
	3054 बी.3(1)(1)(1)(1)- सड़कों तथा पुलों-अनुरक्षण	0.53	

	4202 बीबी.4 (1)(1)(1)- मिडिल स्कूलों के लिए भवन निर्माण	0.74	
	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(2)- संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल,मंगोल पुरी (एस.सी.पी.)	0.05	
	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(4)-बाबू जगजीवन राम अस्पताल, जहाँगीर पुरी (एस.सी.पी.)	0.0001	
	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(7)- राज्य औषधि प्राधिकरण तथा अधिप्राप्ति एजेन्सी	0.06	
	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(9)- आई.एस.एम. एवं होम्योपैथिक निदेशालय	0.20	
	4210 बीबी.5(2)(2)(1)(1)- एम.ए.एम. कॉलेज के लिए भवन निर्माण	0.46	
	4235 बीबी.7 (1)(1)(4)- मानसिक रूप से पीड़ितों विक्षिप्तों के लिए गृह-विकास	0.06	
	4235 बीबी.7 (1)(4)(1)- वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं व्यवस्था की	0.35	
	5054 बीबी.11 (1)(1)(1)- सड़को एवं पुलों का निर्माण	5.30	
	5054 बीबी.11 (1)(1)(7)- राट्रमण्डल खेल	2.47	
	कुल	**11.5494**	
2008-09			
4, वित्त			
	2054 ए.1(1)(2)(1)- प्रधान लेखा कार्यालय-ई.डी.पी. सैल	0.28	
6, शिक्षा			
	2202 ए.1 (2)(8)(4)- शैक्षणिक दूरदर्शन	0.09	
	2202 ए.1(2)(8)(19)- अन्य विविध योजनाएं	0.13	
8, समाज कल्याण			
	2235 ए.2(1)(2)(14)- विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृति	0.01	
	2235 ए.2(1)(5)(2)- वृद्धावस्था पेंशन	0.02	
	2235 बी.2(1)(1)(3)- आन्तरिक/वाह्य सुरक्षा और स्वच्छता का संवर्धन	0.14	
	2235 बी.2(1)(3)(20)- विधवाओं के लिए पेंशन	0.36	
	2236 बी.3(1)(1)(7)- किशोरी शक्ति योजना (सी.एस.एस.)	0.05	
	5055 डीडी.1(1)(4)- नए बस टर्मिनल हेतु भूमि का क्रय	0.15	
10, विकास			
	2406एफ.2(2)(2)(1)- यंघनन को सम्मिलित करते हुए जंगलों का विकास	0.92	
	2053 के.3(3)(1)(2)-नागरिक देखभाल के लिए आवासीय फण्ड	0.01	
	4515बीबी.4(1)(6)- आई.डी.आर.वी (एस.सी.एस.पी.)के तहत कार्यान्वित किए जाने वाले निर्माणों के लिए ग्रामीण विकास बोर्ड	1.32	
	4711डीडी.2(2)(2)(1)- बृहत निकास निर्माण	0.35	
	4711 डीडी.2(2)(2)(3)- यमुनापार क्षेत्र में ट्रंक ने/ बाँध ड्रेन तथा बिहारी पुर ड्रेन का नुनर्निर्माण	0.93	
11, शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग			
	2059 बी.1(1)(4)- लोक निर्माण-अनुरक्षण एवं मरम्मत	5.74	
	4059 बीबी.2(1)(2)(5)- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-उपायुक्त कार्यालय	0.45	
	4059 बीबी.2(1)(2)(7)- दिल्ली अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड	0.03	
	4059 बीबी.2(1)(2)(11)- दिल्ली चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान	0.16	
	4202 बीबी.4(1)(3)(1)- शिक्षा विभाग में विद्यमान बिल्डिंगों का नवीनीकरण/अतिरिक्त सुविधाएं	0.44	

	4202 बीबी.4(1)(4)(3)- विज्ञान व विश्वविद्यालय की स्थापना	0.13	
	4202 बीबी.4(2)(1)(1)- बवाना रोड पर दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण	1.71	
	4202 बीबी.4(4)(3)(1)- ललितकला शिक्षा-कला महाविद्यालय	0.07	
	4210 बीबी.5(1)(1)(1)(1)- अस्पतालों के लिए भवनों का निर्माण	0.70	
	4210 बीबी.5(2)(1)(1)- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण व अनुसंधान-भवन	0.12	
	4210 बीबी.5(2)(2)(1)(1)- एम.ए.एम. कॉलेज के लिए भवन का निर्माण	0.09	
	4210 बीबी.5(2)(3)(1)(2)- आयुर्वेदिक व युनानी तिबिया कॉलेज का नवीनीकरण	0.04	
	4235 बीबी. 7(1)(1)(2)- नेहरू बिहार में बधिरों के लिए प्राथमिक स्कूल के लिए भवनों का निर्माण	0.35	
	4250 बीबी.8(2)(4)(2)- व्यवसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना-रटेट शेयर	0.34	
	5054 बीबी.11 (1)(1)(1)- सड़कों व पुलों का निर्माण	2.22	
कुल		**17.35**	
2009-10			
7- चिकित्सा व जन स्वास्थ्य			
	2210एम.1(3)(1)(2)(1)- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण व अनुसंधान-(जी.आई.ए.)(सी.एस.एस.)	0.70	कारण प्रतीक्षित
8- समाज कल्याण			
	2225 सी.1(1)(1)(5)- स्कूल में अ.जा. विद्यार्थियों को किताबें व स्टेशनरी की मुफ्त आपूर्ति (एस.सी.एस.पी.)	1.59	कारण प्रतीक्षित
11, नगर विकास तथा लोक निर्माण विभाग			
	2059 वी. (1)(4)- लोक निर्माण अनुरक्षण व मरम्मत	3.31	कारण प्रतीक्षित
कुल		**5.60**	
2010-11			
8, समाज कल्याण			
	3452 ई.1(1)(3)(10)- अतुल्य भारत महोत्सव को मनाने के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	0.80	
	4235 बी बी 1.(1)(1)(2) महिला कल्याण-कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण	0.16	
10, विकास			
	4711डीडी.2(2)(2)(3) यमुनापार क्षेत्र विकास बोर्ड	0.86	
	त्रण व जल निकास)	2.12	
	2029 जी.1(1)(1) उपायुक्त कार्यालय-केन्द्रीय जोन	0.0008	
	2053 जी. 2(2)(2) भूमि अधिग्रहण स्थापना, केन्द्रीय जोन	0.04	
कुल		**3.9808**	
सकल जोड़		**47.6045**	

परिशिष्ट-2.4

अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.6. को देखें)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधानों में से बचत	प्रतिपूरक प्रावधान	कारण
	राजस्व-दत्तमत					
	अनुदान सं.3: न्याय प्रशासन					
1	2014ई.1(2)(4)- राज्यविधिक सहायता निधि	280.00	138.86	141.14	40.00	अव्ययित शेषों के समायोजन के कारण कम सहायता अनुदान का दिया जाना
	अनुदान सं.6 शिक्षा					
2	2236 ए.4(1)(1)(1)- पोषण-बच्चों के लिए मिड-डे-मील	4470.00	4373.38	96.62	716.00	प्रबंधन व मूल्यांकन निधियों का कम उपयोग तथा शीतकालीन अवकाश में एक सप्ताह से अधिक की बढ़ोतरी
3	2236 ए.4(1)(1)(6)- मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (एस.सी.एस.पी.)	515.00	321.55	193.45	126.00	प्रबंधन व मूल्यांकन निधियों का कम उपयोग तथा शीतकालीन अवकाश में एक सप्ताह से अधिक की बढ़ोतरी
4	2236ए.4(1)(2)(5)- मिड-डे-मील कार्यक्रम के लिए सहायता प्राप्त स्कूलों को सहायता अनुदान (एस सी एस पी)	115.00	40.44	74.56	26.00	कम अनुदान का दिया जाना
5	2203बी.1(5)(3)- नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान	3700.00	3181.48	518.52	151.00	कम अनुदान का दिया जाना
6	2203 बी.1(5)(5)- अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान	950.00	721.53	228.47	250.00	क्रय-प्रस्तावों को समय पर अन्तिम रूप न दिया जाना
7	2203 बी.1(5)(17)- दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	5500.00	5397.14	102.86	300.00	कम अनुदान का दिया जाना
8	2205 एफ.2(1)(1)- कला व संस्कृति-हिन्दी अकादमी	573.50	558.55	14.95	50.00	एम.ए.सी.पी. को समय पर अन्तिम रूप न दिया जाना
9	2205 एफ.2(1)(3)- पंजाबी अकादमी	448.00	426.08	21.92	30.00	कुछ निर्धारित कार्यक्रमों को संगठित न किया जाना
10	2203एल.1(1)(1)- तकनीकी शिक्षा जी.बी.पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ओखला	800.00	756.59	43.41	50.00	मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए अनुमोदन की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं.7- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य					
11	2210 ए.1(1)(3)(1)- राज्य बीमा निगम कर्मचारियों को अंशदान	1260.00	0.00	1260.00	716.20	योजना का गैर कार्यान्वयन
12	2210 बी.1(1)(1)(1)- लोक नायक अस्पताल	23721.50	22954.39	767.11	645.00	रिक्त पदों,का न भरा जाना, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, भंडार गृह की मदों की कम खरीद, तथा कम संख्या में लाभार्थियों का होना
13	2210सी.1(1)(1)(1)- जी.बी.पन्त अस्पताल	18328.00	17911.33	416.67	300.00	रिक्त पदों तथा क्रय-प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना
14	2210एन.1(1)(1)(1)- डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल	8206.00	7339.21	866.79	100.00	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति
15	2210 क्यू.1(1)(1)(1)- डा. हेडगेवार-आरोग्य संस्थान	3600.00	3268.41	331.59	90.00	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप न दिया जाना

16	2210बी.1(1)(1)(1)- भगवान महावीर अस्पताल	3200.00	2923.98	276.02	574.20	रिक्त पदों का न भरा जाना, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, मशीनों व उपकरणों की कम खरीद
17	2210 डब्ल्यू.1(1)(1)(1)- मालवीय नगर कॉलोनी अस्पताल	2189.00	1879.86	309.14	100.00	रिक्त पदों का न भरा जाना, दावों/बिलों की कम प्राप्ति, मशीनों व उपकरणों की कम खरीद
18	2210 एबी.1(1)(1)(1)- लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	4171.80	3924.56	247.24	61.53	रिक्त पदों का न भरा जाना, दावों/बिलों की कम प्राप्ति भंडार गृह की कम खरीद तथा मशीनरी व उपकरणों की खरीद के लिए टेण्डर्स को अन्तिम रूप न दिया जाना
19	2210 एडी.1(1)(1)(1)- गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	2911.70	2881.83	29.87	180.00	भंडार गृह की कम खरीद, रिक्त पद बिलों की कम प्राप्ति तथा मशीनरी व उपकरणें की खरीद के लिए टेन्डर्स को अन्तिम रूप न दिया जाना
20	2210 एई.1(1)(1)(1)- बाबू जगजीवन राम अस्पताल (एस.सी.एस.पी.)	2514.00	2259.98	254.02	130.00	रिक्त पदो का न भरा जाना, बिजली के बिलों की कम प्राप्ति तथा क्रय-प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना
21	2210 एजी.1(1)(1)(1)- सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अस्पताल, नरेला	2400.00	2363.00	37.00	110.00	म. तथा उ. की खरीद के लिए तथा सामग्री के बिलों व आपूर्ति का समय पर प्राप्ति न होना
22	2210 एएच.1(1)(1)(1)- ए एण्ड यू. तिबिया कॉलेज	1872.20	1855.39	16.81	92.00	रिक्त पद, लाभार्थियों की कम संख्या
	अनुदान सं.8 समाज कल्याण					
23	2225 सी. 1(1)(3)(9)- कक्षा IसेXIIतक के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. तथा अल्पसंख्यक छात्रों को मैरिट छात्रवृति	4023.00	3601.85	421.15	677.00	स्कीम के तहत स्थानीय निकायों से कम माँग
24	2225सी.1(3)(1)(7)-अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों (सी.एस.एस.) के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	200.00	49.56	150.44	193.35	कुछ प्रशासनिक कारणों से निधियों के जारी होने के लिए संस्वीकृति की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं.9 उद्योग					
25	2851 ए.2(6)(9)- हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर छूट (सी.एस.एस.)	1.00	0.00	1.00	193.00	योजना के तहत छूट का जारी न होना
26	2851 ए.2(6)(11)- दीनदयाल हाथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हैन्डलूम को प्रोत्साहन (सी.एस.एस.)	30.00	16.83	13.17	11.40	योजना की धीमी प्रगति
	अनुदान सं. 10: विकास					
27	2711 डी.3(2)(2)(3)- रा.रा.क्षे. दिल्ली के जल निकास व्यवस्था के लिए मास्टर प्लान का बनाना	0.00	0.00	0.00	24.00	प्रतीक्षित
28	2053 आई.2(1)(1)- जिला स्थापना दक्षिण क्षेत्र	440.25	421.47	18.78	41.00	प्रतीक्षित
29	2810 पी.4(1)(1)(2)- उर्जा का गैर परम्परागत स्रोत-सौर उर्जा	10.00	0.05	9.95	90.00	दिल्ली सचिवालय तथा विकास भवन के एस.पी.वी. के सन्दर्भ में प्रस्तावों का गैर-अनुमोदन

	पूंजीगत-दत्तमत					
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग					
30	7055एए.9(1)(1)(1)- जे.एन.एन.यू.आर.एम. स्कीम के तहत सड़कों के निर्माण के लिए दि.न.नि. को ऋण	0.00	0.00	0.00	5060.00	कार्यान्वयन एजेन्सी से प्रस्ताव की गैर-प्राप्ति
31	4250 बीबी.8 (1)(1)- रोजगार-आई.टी.आई. का निर्माण	680.00	538.63	141.37	720.00	कार्य की धीमी प्रगति
	कुल	**97109.95**	**90105.93**	**7004.02**	**11847.68**	

परिशिष्ट-2.5
निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग
(जहाँ अन्तिम बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक थीं)
(पैराग्राफ 2.3.7. को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	पुर्न-विनियोग	अन्तिम बचतें	कारण
	राजस्व-प्रभारित			
	अनुदान सं.2: सामान्य प्रशासन			
1.	2070 सी.2(1)(2)- लोकायुक्त (प्रभार)	0.22	1.41	दावों की कम प्राप्ति
	अनुदान सं.3: न्याय प्रशासन			
2.	2014 ए.1(1)(4)- दिल्ली हाई कोर्ट मध्यस्थता केन्द्र	0.43	1.10	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा कार्यशालाओं व सेमिनार का आयोजन न किया जाना
	राजस्व-दत्तमत			
	अनुदान सं.3: न्याय प्रशासन			
3.	2014 बी.1(1)(1)- सत्र न्यायालय	5.97	27.67	एम.ए.सी.पी. को अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति
4.	2014 बी.1(1)(2)- जिला व सत्र न्यायालय कम्प्यूटरीकरण	1.65	2.86	वर्ष के दौरान कुछ परियोजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया गया
	अनुदान सं.4: वित्त			
5.	2040 एफ.1(3)(10)- एन.ई.जी.पी. के तहत वाणिज्यिक कर विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजना (एमएमपीसीटी राज्य अंश)	3.34	3.35	वित्तीय वर्ष के अन्तिम भाग में संस्वीकृति की प्राप्ति न होना
	अनुदान सं. 6: शिक्षा			
6.	2202 ए.1(3)(2)(2)- अन्य व्यय-गुणवत्ता संवर्धन हेतु परीक्षण सुधार शाखा	0.30	2.37	बिलों के भुगतान को अन्तिम रूप नहीं दिया गया
7.	2236 ए.4(1)(2)(1)- बच्चों के लिए मिड-डे-मील (एस.सी.एस.पी.)	1.46	2.44	प्रबन्धन व मूल्यांकन निधियों का कम उपयोग तथा शीतकालीन अवकाश में एक सप्ताह से अधिक की बढ़ोत्तरी
8	2203 बी.1(4)(1)- पॉलीटेक्निक-निर्देशन से प्रशासन	2.37	3.44	एम.ए.सी.पी को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, स्टॉफ का स्थानान्तरण तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति
9	2203 बी.1(5)(3)- नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान	2.69	9.39	कम अनुदान का दिया जाना
10	2230 बी.2(1)(2)(1)- क्राफ्टमैन प्रशिक्षण स्कीम	2.90	3.08	एम.ए.सी.पी को अन्तिम रूप नहीं दिया गया, स्टॉफ का स्थानान्तरण तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति तथा स्टोर मदों की खरीद न होना
11	2230 बी.2(1)(4)(1)(1)- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विश्व बैंक अंश (सी एस एस)	0.35	1.14	कुछ प्रशासनिक कारणों से मशीनरी एवं उपकरणों के भुगतान की गैर-अदायगी
12	2203 एल.1(1)(1)- तकनीकी शिक्षा-जी.बी पन्त इंजीनियरिंग कॉलेज, ओखला	0.47	1.40	रिक्तियाँ, मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
	अनुदान सं.7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य			
13	2210 सी.1(1)(1)(1)- जी.बी.पन्त अस्पताल	3.69	10.85	रिक्त पदों तथा क्रय प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना
14	2210 आई.1(1)(1)(1)- खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम का क्रियान्यन	0.71	1.32	रिक्त पदों को न भरा जाना
15	2216 क्यू.1(1)(1)(1)- डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान	1.10	5.32	रिक्त पदों का न भरा जाना तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना

16	2210 टी.1(1)(1)(1)- सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल	0.18	1.01	मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद के लिए टेण्डर को अन्तिम रूप न दिया जाना
17	2210 ए एफ.1(1)(1)(1)- महर्षि वाल्मीकि अस्पताल	0.46	1.81	रिक्त पदों का न भरा जाना बिजली के बिलों की कम प्राप्ति तथा क्रय प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना
18	2210 एजे.1(1)(1)(1)(1)- नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल	0.36	1.35	रिक्त पदों, बिलों की कम प्राप्ति तथा टेण्डर्स को अन्तिम रूप न दिया जाना
	अनुदान सं.8: समाज कल्याण			
19	2235 ए.2(1)(1)(1)- समाज कल्याण निदेशालय	0.26	1.13	सक्षम प्राधिकारी द्वारा सी.सी.टी.वी. कैमरे के भुगतान के लिए अनुमति न दिया जाना
20	2225 सी.1(3)(1)(7)- अल्पसंख्यक केन्द्रित जिलों के लिए बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	1.25	4.69	कुछ प्रशासनिक कारणों से निधियों के जारी होने के लिए संस्वीकृति की प्राप्ति न होना
21	2041 डी.1(4)(2)- परिवहन निदेशालय के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	0.06	2.12	योजना की धीमी प्रगति
22	3452 ई.1(2)(2)(3)- गन्तव्य के रूप में दिल्ली पर्यटन को प्रोत्साहन	1.09	1.63	वित्त विभाग से अनुमोदन की गैर-प्राप्ति
23	3452 ई.1(2)(2)((4)- पर्यटन अवसंरचना	0.99	1.05	वित्त विभाग से फलोटिंग जेट्स के खरीद के लिए अनुदान की गैर-प्राप्ति
	अनुदान सं.9: उद्योग			
24	2851 ए.2(6)(11)- दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के लिए हैण्डलूम को प्रोत्साहन	2.60	2.85	योजना की धीमी प्रगति
25	2230 ह्2(1)(1)(1)- श्रम एवं रोजगार- स्थापना मुख्यालय	0.38	1.36	क्रय-प्रस्तावों को अन्तिम रूप न दिया जाना तथा दावों की समय पर प्राप्ति न होना
26	3456 डी.1(1)-नागरिक आपूर्ति- निर्देशन एवं प्रशासन	3.50	4.41	रिक्त पदों तथा दावों/बिलों की कम प्राप्ति
27	3456 डी.1(3)(1)- नागरिक आपूर्ति योजना- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए जन वितरण प्रणाली को सरल एवं कारगर बनाना	1.18	3.08	समय पर संस्वीकृति की प्राप्ति न होना
28	3475 ई.1(1)(1)- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- भार तथा माप मानकों का प्रवर्तन	0.56	1.08	रिक्त पदों, ओ.टी.ए. के बिलों एवं दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम आयोजन
	अनुदान सं.11: नगर विकस तथा लोक निर्माण विभग			
29	2217 ए 8 (2) (1) (19) जे जे कलस्टर तथा अनाधिकृत कॉलोनियों में सफाई के लिए दि.न.नि. को सहायता अनुदान (वाई ए पी-II)	8.99	10.00	कार्यान्वयन एजेन्सियों से प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति
30	3475 ए.14(1)(1)- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना	1.44	3.21	अव्ययित राशि का समायोजन
31	2059 बी.1(1)(1)(1)- लोक निर्माण स्थापना- प्रभार	1.27	31.57	रिक्त पदों को न भरा जाना
32	3054 बी 3.(1)(1)(1)(1)- सड़कों तथा पुलों-अनुरक्षण	18.39	19.53	संस्वीकृति की विलम्ब से प्राप्ति के कारण अनुरक्षण पर कम व्यय
33	2052 ई.1(1)(1)- सचिवालय सामान्य सेवायें-पावर विभाग	0.31	1.04	कुछ प्रशासनिक कारणों से विज्ञापन बिलों के भुगतान को अन्तिम रूप न दिया जाना
34	2801 ई.2(2)(1)(3)- डी.ई.आर.सी. को सहायता अनुदान	0.54	2.63	अव्ययित शेषों का समायोजन
	पूँजी-दत्तमत्त			
	अनुदान सं.6: शिक्षा			
35	4202 एए.1(1)(1)(2)- स्कूल भवन के निर्माण कार्य के लिए आउटसोर्सिंग	16.17	26.98	कार्य की धीमी प्रगति
	अनुदान सं.8: समाज कल्याण			
36	4235 एए.1(1)(2)(2)- हाफ-वे होम/लॉन्ग स्टे होम	4.99	5.00	प्रस्तावों में प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया
37	4225 सीसी.1(1)(2)(1)-शिक्षा के मिडिल/सैकेन्डरी	0.47	2.47	योजना का गैर-कार्यान्वयन

	कॉलेज/विश्वविद्यालयीय स्तर पर पढ़ रहे अनु.जा./अ.ज.जा. के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण			
	अनुदान सं.11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग			
38	4059 बीबी.2(1)(2)(2)- निर्माण- यू.टी.सी.एस. भवन	2.00	2.11	कार्य की धीमी प्रगति
39	4059 बीबी.2(1)(2)(8)- निर्माण- चुनाव कार्यालय भवन	0.04	1.02	कार्य की धीमी प्रगति
40	4235 बीबी.7(1)(4)(1)- अन्य व्यय -वर्तमान भवनों में अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान (पी.डब्ल्यू.डी)	0.80	1.68	संस्वीकृति की देरी से प्राप्ति
	कुल	**95.93**	**211.95**	

परिशिष्ट -2.6

वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अभ्यर्पणों के पुनरीक्षण के परिणाम (कुल प्रावधानों के 40 प्रतिशत या उससे अधिक)
(पैराग्राफ 2.3.8 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	अनुसूची का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल अनुदान/ विनियोग	अभ्यर्पण/बचतों की राशि	अभ्यर्पण/ बचतों की प्रतिशतता	कारण
	राजस्व-दत्तमत					
1.	**अनुदान सं.2: सामान्य प्रशासन**	2052 एच.1(1)(3)- सामाजिक सुविधा संगम का सहायता अनुदान	6.00	3.00	50%	अनुदान की कम अदायगी
2.		2052 एच.1(1)(5)- सामाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान (स्मार्ट कार्ड जारी करने हेतु)	30.00	30.00	100%	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
3	**अनुदान सं. 4: वित्त**	3454 डी.1(1)(2)(2)- आर्थिक गणना का संचालन (सी.एस.एस.)	3.00	2.95	98.33%	भा.स. से धन की गैर प्राप्ति
4.	**अनुदान सं. 5: गृह**	2070बी.1(1)(3)- नागरिक सुरक्षा का नवीकरण (सी.एस.एस.)	1.13	1.13	100%	सचिव राजस्व की स्कीम का स्थानान्तरण
	पूंजीगत-दत्तमत					
5.	**अनुदान सं. 5: गृह**	4055 डीडी.1(1)(1)- दिल्ली न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला	0.50	0.50	100%	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
6.	**अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	4210एनएन.1(1)(1)(1) (1)- डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना	20.00	16.32	81.60%	स्कीम की धीरे प्रगति
7.	**अनुदान सं. 8: समाज कल्याण**	5452 ईई.1(1)(1)(2)- पीतमपुरा में दिल्ली हाट का विकास (सी.एस.एस.)	1.00	0.95	95%	भा.स. से धन की गैर प्राप्ति
8.	**अनुदान सं. 9: उद्योग**	4851 एए.1(1)(1)- औद्योगिक एस्टेट फ्लैटिड फैक्टरी काम्पलेक्स को दी जाने वाली नागरिक सेवाओं का अन्नयन व सुधार	5.00	4.75	95%	निर्माण की धीरे प्रगति
9.		5475 डीडी.1(1)(1)- जिला फोरम तथा राज्य आयेग को आवास गृह उपलब्ध कराना	1.00	0.69	69%	निर्माण की धीरे प्रगति
10.	**अनुदान सं. 10: विकास**	5425 पीपी.1(1)(1)- खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन	1.00	1.00	100%	स्कीम का गैर-कार्यान्वयन
		कुल	**68.63**	**61.29**		

परिशिष्ट- 2.7

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जिसमें बचत हुई लेकिन जिसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया

(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.	अनुदान/विनियोग के नाम दत्तमत/प्रभारित	बचतें
1.	03	न्याय प्रशासन-प्रमारित	4.64
2.	03	न्याय प्रशासन-दत्तमत	42.09
3.	06	शिक्षा - (दत्तमत)	210.59
4.	12	ऋण- (दत्तमत)	1.57
	कुल		**258.89**

परिशिष्ट - 2.8

₹ 1 करोड़ तथा अधिक की गैर-अभ्यर्पित बचत का विवरण

(पैराग्राफ - 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग के नाम तथा संख्या	बचत	अभ्यर्पित किए गए	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना था
1.	02. सामान्य प्रशासन- प्रभारित	2.69	0.86	1.83
2.	02. सामान्य प्रशासन- दत्तमत	51.41	41.09	10.32
3.	04. वित्त- दत्तमत	47.26	18.96	28.30
4.	05. गृह–दत्तमत	46.53	33.41	13.12
5.	07. चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य- दत्तमत	123.53	16.32	107.21
6.	08. समाज कल्याण- दत्तमत	197.91	36.51	161.40
7.	09. उद्योग- दत्तमत	27.03	7.54	19.49
8.	10. विकास- दत्तमत	38.18	1.07	37.11
9.	11. शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग- दत्तमत	702.20	34.82	667.38
10.	लोक ऋण- प्रभारित	94.86	90.00	4.86
	कुल	**1331.60**	**280.58**	**1051.02**

परिशिष्ट 2.9

31 मार्च 2012 को ₹ 1 करोड़ से अधिक की निधि के अभ्यर्पण के मामले

(पैराग्राफ 2.3.9 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान सं.एवं नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	बचत	अभ्यर्पण की राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशत
	राजस्व-दत्तमत					
1		2052सी. 1(1)(6)- सचिवालय समान्य सेवाएँ-सिटीजन गर्वेन्मेंट इंटरफेस	2.98	2.48	1.00	33.55
2	**02. समान्य प्रशासन**	2220एफ.(1)(1)(1)- सूचना एवं प्रचास-जनसंपर्क निदेशालय	27.70	7.06	4.00	14.40
3		2051जी.1(1)(1)- लोक सेवा आयोग, दिल्ली सरकार के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड	13.58	4.38	3.09	22.75
4		2052 एच.1(1)(3)- सचिवालय सामान्य सेवाएँ-समाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान	6.00	4.25	3.00	50.00
5		2052एच.1(1)(5)- सचिवालय सामान्य सेवाएँ-समाजिक सुविधा संगम को सहायता अनुदान (स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए)	30.00	30.00	30.00	100.00
6		3454 डी.1(1)(2)(2)- जनसंख्या सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी-आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना (सी एस एस)	3.00	3.00	2.95	98.33
7	**04.वित्त**	2040 एफ.1(2)(1)- व्यापार शुल्क-संग्रह शुल्क	42.80	4.89	4.20	9.81
8		2040 एफ.1(3)(5)- कम्प्यूटरीकरण प्रणाली	8.37	2.03	1.50	17.92
9		3454आई.1(1)(2)(11)- दिल्ली के लिए जियोस्पेशल डाटाबेस तैयार करने के लिए	34.00	15.00	10.00	29.41
10		2056 ए.1(2)- कारागार निर्माण	15.00	5.00	5.00	33.23
11	**05. गृह**	2070बी.1(1)(1)- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-नागरिक सुरक्षा एवं होम गार्ड	15.11	5.15	4.67	30.90
12		2070 बी.1(1)(3)- नागरिक सुरक्षा का नवीनीकरण (सी एस एस)	1.13	1.13	1.13	100.00
13		2070सी.1(1)(2)- अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण	109.17	28.31	15.19	13.91
14		2055डी.1(1)(1)- फोरेंसिक साईंस प्रयोगशाला	16.52	6.49	2.05	12.40
15	**11. शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग**	2801ई.2(2)(1)(5)- डी पी सी एल को सी पी एस यू बकाया के लिए सहायता अनुदान	430.00	67.65	34.82	8.09
16	**लोकऋण**	2049 ए.1(1)(1)- राज्य/संघ क्षेत्रों की योजना स्कीमों के लिए ऋणों पर ब्याज	3000.00	82.74	80.00	2.66
	पूँजी-दत्तमत					
17	**07. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य**	4210एनएन.1(1)(1)(1)(1)-डा. बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना	20.00	20.00	16.32	81.60
18	**08. समाज कल्याण**	7055डीडी.4(1)(2)- एम आर टी एस के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहायक ऋण	245.00	29.00	35.56	14.51
19	**09. उद्योग**	4851 एए.1 (1) (1)- औद्योगिक एस्टेट फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की सिविक सुविधाओं का संचालन व उन्नयन, सुधार	5.00	4.75	4.75	95.00
20		5475 डीडी.1(1)(2)- जन वितरण सुविधाओं का सरलीकरण	11.00	2.55	2.00	18.18
21	**10. विकास**	5425पीपी.1(1)(1)- खतरनाक कचरा प्रबंधन	1.00	1.00	1.00	100
22	**लोक ऋण**	6004 एए.1(1)(2)- लघु बचत संग्रहणों का अंश	1100.00	12.12	10.00	0.90
		कुल	**5137.36**	**338.98**	**272.23**	

परिशिष्ट 2.10

अवास्तविक बजटीकरण जहाँ संपूर्ण प्रावधान सी एस एस एवं एस सी एस पी योजनाओं के अंतर्गत अनुपयोगी रहा (पैराग्राफ 2.3.10 को देखें)

(₹ हजार में)

क्रम सं.	अनुदानों/विनियोजनों का नाम एवं संख्या	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में बचत
	राजस्व-वृत्तमत			
	अनुदान सं. 2: सामान्य प्रशासन			
1.	2052सी.1(1)(7)(1)- अन्य प्रशासनिक व्यय भागीदारी (सी एस एस)	100	0	100
	अनुदान संख्या 4: वित्त			
2.	3454डी.1(1)(2)(2)- आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाना (सी एस एस)	30000	0	30000
	अनुदान सं. 5: गृह			
3.	2070सी.1(1)(4)(1)- प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की खरीद (सी एस एस)	3827	0	3827
	अनुदान संख्या 6- शिक्षा			
4.	2202 ए.1(1)(1)(2)- दिल्ली विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान (सी एस एस)	2200	0	2200
5.	2202 ए.1(2)(8)(23)- राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना (सी एस एस)	100	0	100
6.	2202 ए.1(2)(8)(31)- विद्यालयों में आतिथ्य एवं पर्यटन कोर्स (सी एस एस)	6000	0	6000
7.	2203बी.2(1)(2)(3)- सरकारी आई टी आई में प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन (सी एस एस)	100	0	100
8.	2203बी.2(1)(3)(1)(2)- विशिष्टता केंद्रों के रूप में आई टी आई का उन्नयन विद्यमान आई टी आई में विस्तृत आधार पर प्रशिक्षण के लिए उपकरणों की खरीद (सी एस एस)	1000	0	1000
	अनुदान संख्या 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य			
9.	2210 ए.1(3)(2)(1)(1)- राष्ट्रीय ट्रॉकोमा एवं अंधता नियंत्रण कार्यक्रम-सामान्य क्षेत्र (सी एस एस)	2000	0	2000
10.	2210 ए.1(3)(2)(1)(3)- दिल्ली राज्य अंधता नियंत्रण सोसाईटी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	500	0	500
11.	2210 ए.(1)(3)(2)(12)(1)- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-सामान्य क्षेत्र (सी एस एस)	800	0	800
12.	2210 ए.(3)(2)(12)(2)- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम-अ.ज. के लिए एस सी एस पी (सी एस एस)	200	0	200
13.	2210 आई.1(1)(2)(1)- बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण-खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण (सी एस एस)	100	0	100
14.	2210एम.1(3)(1)(2)(1)- आयुष संगठनों/कॉलेजों का विकास एवं उन्नयन- सहायता अनुदान (सी एस एस)	10000	0	10000
	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण			
15.	3452ई.1(2)(3)(1)- उद्यान महोत्सव के आयोजन के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सी एस एस)	1350	0	1350
16.	3452 ई.1(2)(3)(2)- डी टी टी डी सी को कुतुब महोत्सव के आयोजन के लिए सहायता अनुदान (सी एस एस)	1000	0	1000
17.	3452 ई.1(2)(3)(6)- छावला एवं कंगनहेरी जल क्रीड़ा स्थलों के विकास के लिए डी टी टी डी सी को सहायता अनुदान (सी एसएस)	100	0	100

	अनुदान सं.9: उद्योग			
18.	2851 ए 2(6)(9)- हैंडलूम कपड़े की बिक्री पर छूट (सी एस एस)	19400	0	19400
	अनुदान सं.10: विकास			
19	2401बी.1(6)(2)- मुख्य फसलों के क्षेत्र एवं उपज के अनुमानों की समयबद्ध रिपोर्टिंग (सी एस एस)	100	0	100
20	2401 बी.1(9)(4)- कृषि का वृहद पैमाने पर प्रबंध (सी एस एस)	7000	0	7000
21	2402 बी.2(2)(1)- मिट्टी परीक्षण एवं मिट्टी सुधार एवं सलाइन (ए सी एस पी)	100	0	100
22	2403 बी.3(6)(1)- पशु चिकित्सा सेवाएँ और अस्पतालों/चिकित्सालयों में संक्रामक रोगों का नियंत्रण (एस सी एस पी)	3000	0	3000
23	2506ई.10(1)(1)- भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सी एस एस)	300	0	300
	अनुदान सं. 11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग			
24	2217 ए.8(3)(1)(4)- जे एन एन यू आर एम के अंतर्गत बी एस यू पी एवं आई एच एस डी पी के क्रियान्वयन के लिए शोध एवं प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण कार्य (सी एस एस)	1500	0	1500
	राजस्व-भारित			
	अनुदान सं. 3: न्याय प्रशासन			
25	2014 ए.1(1)(2)-न्यायालय की आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुदान (सी एस एस)	100	0	100
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य			
26	2210.एडी.1(1)(1)(1)- गुरू गोबिन्द सिंह अस्पताल (एस सी एस पी)	100	0	100
	पूँजी-दत्तमत			
	अनुदान सं. 11: शहरी विकस एवं लोक निर्माण विभाग			
27	4250. बीबी 8.(2)(4)(1)- व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना-विश्व बैंक अंश (सी एस एस)	10000	0	10000
	कुल	**100977**	**0**	**100977**

परिशिष्ट 2.11

(पैराग्राफ 2.7 को देखें)

पूँजीगत शीर्ष की बजाय बदले राजस्व शीर्ष के अंतर्गत अशुद्ध वर्गीकरण की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोग के नाम तथा संख्या	अनुदानों के लिए विस्तृत माँग में मूल अनुदान/ विनियोग (डी.डी.जी.)	वास्तविक व्यय
	अनुदान सं.2: सामान्य प्रशासन		
1.	2052सी.1(1)(9)(3)-मोटर वाहनों (2052 00 090 19 00 51)	1.00	0.42
	अनुदान सं. 4: वित्त		
2.	2039ई.1(3)(1)(8)-मोटर वाहनों (2039 00 104 99 00 51)	4.00	3.14
3.	2039ई.1(1)(1)(7)-मोटर वाहनों (2039 00 001 99 00 51)	5.00	3.88
	अनुदान सं.5: गृह		
4.	2055डी.1(1)(1)(7)- मोटर वाहनों (2055 00 116 99 00 51)	12.00	0.94
5.			0.61
6.	2056 ए.1(1)(1)(8)- मोटर वाहनों (2056 00 001 99 00 51)	45.00	9.99
7.	2070सी.1(1)(2)(9)-मोटर वाहनों (2070 00 108 99 00 51)	200.00	268.59
8.	2055डी.1(1)(1)6)-मशीनरी तथा उपकरण (2055 00 116 99 00 52)	295.00	97.50
9.	2070सी.1(1)(2)(7)- मशीनरी तथा उपकरण (2070 00 108 99 00 52)	1000.00	261.55
10.			47.52
11.	2070बी.1(1)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण, उपस्कर तथा संयंत्र (2070 00 106 95 00 52)	20.00	4.88
	अनुदान सं.6: शिक्षा		
12.	2203एल.1(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 63 00 52)	275.00	408.89
13.	2203बी.1(5)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 72 00 52)	25.00	24.42
14.	2203बी.1(4)(1)(6)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 105 86 00 52)		47.91
15.		220.00	2.35
16.			21.02
17.			16.98
18.			41.42

19.	2203के.1(1)(1)(5)-मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 64 00 52)	70.00	35.53
20.	2203आई.1(1)(1)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण (2203 00 112 65 99 52)	117.00	119.94
21.	2205जी.1(1)(1)(7)- मशीनरी तथा उपकरण (2205 00 103 99 00 52)	2.00	0.15
22.	2230बी.2(1)(2)(1)(9)- मशीनरी तथा उपकरण (2230 03 003 99 00 52)	250.00	30.86
23.			15.60
24.			26.50
25.			15.51
26.			12.58
27.			5.75
28.			5.77
29.			91.05
	अनुदान सं.7: चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य		
30.	2210एफ.1(1)(1)(1)(6)-मोटर वाहनों (2210 01 110 53 00 51)	6.00	5.54
31.	2210वी.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहनों (2210 01 110 29 00 51)	3.60	2.98
32.	2210बी.1(1)(1)(1)(10)- मोटर वाहनों (2210 01 110 86 00 51)	66.00	19.83
33.			0.70
34.	2210एच.1(1)(1)(1)(1)(6)- मोटर वाहनों (2210 05 105 99 99 51)	7.50	7.25
35.			1.75
36.	2210 आर1(1)(1)(1)(9)- मोटर वाहनों (2210 01 110 25 00 51)	3.50	1.68
37.	2210एच.1(1)(1)(1)(5)(4)- मोटर वाहनों (2210 05 105 99 87 51)	1.25	0.33
38.	2210एसी.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहनों (2210 01 110 40 00 51)	2.00	0.98
39.	2210एआई.1(1)(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहनों (2210 02 102 60 99 51)	1.40	0.31
40.	2210एई.1(1)(1)(1)(9)- मोटर वाहनों (2210 01 789 95 00 51)	1.00	0.48
41.	2210डब्ल्यू.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहनों (2210 01 110 77 00 51)	1.00	2.26
42.	2210सी.1(1)(1)(1)(10)- मोटर वाहनों (2210 01 110 87 00 51)	6.00	4.26
43.	2210एबी.1(1)(1)(1)(7)- मोटर वाहनों (2210 01 789 97 00 51)	9.00	4.56

44.	2210टी.1(1)(1)(1)(7)-मोटर वाहनों (2210 01 110 30 00 51)	0.60	0.60
45.	2210 एएफ1(1)(1)(1)(6)- मोटर वाहनों (2210 01 110 79 00 51)	1.50	0.64
46.	2210एजी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 65 00 52)	140.00	141.60
47.	2210वाई.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 23 00 52)	400.00	79.18
48.	2210एल.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 62 00 52)	574.20	622.72
49.	2210एफ.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 53 00 52)	2385.00	3846.62
50.	2210एच.1(1)(1)(1)(5)(3)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 87 52)	350.00	119.35
51.	2210एन.1(1)(1)(1)(4)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 67 00 52)	711.00	315.44
52.	2210ई.1(1)(1)(1)(6)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 91 00 52)	1200.00	1397.75
53.	2210एसी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 40 00 52)	600.00	478.45
54.	2210पी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 17 00 52)	285.00	159.45
55.	2210जैड.1(1)(1)(1)(8)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 85 00 52)	60.00	20.75
56.	2210एएच.1(1)(1)(1)(9)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 101 71 00 52)	45.00	74.94
57.	2210बी.1(1)(1)(1)(7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 86 00 52)	2000.00	1859.70
58.	2210 सी1(1)(1)(8)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 87 00 52)	1700.00	1044.25
59.	2210एच.1(1)(1)(1)(1)(7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 99 52)	400.00	102.89
60.	2210आर.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 25 00 52)	460.00	27.10
61.	2210डी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 89 00 52)	250.00	103.54
62.	2210एई.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 95 00 52)	145.00	24.22
63.	2210क्यू.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 27 00 52)	173.00	25.97
64.	2210वी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 29 00 52)	250.00	119.04
65.	2210एडी.1(1)(1)(1)(4)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 96 00 52)	300.00	213.51
66.	2210एबी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 789 97 00 52)	300.00	143.40
67.	2210एक्स.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 78 00 52)	200.00	40.87

68.	2210यू.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 26 00 52)	30.00	44.07
69.	2210डब्ल्यू.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 77 00 52)	150.00	18.91
70.	2210जी.1(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 97 00 52)	377.00	176.77
71.	2210एआई.1(1)(1)(1)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 60 99 52)	5.00	1.02
72.	2210ओ.1(1)(1)(1)(2)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 01 110 66 00 52)	15.00	14.51
73.	2210एम.1(1)(1)(1)(10)-मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 101 69 00 52)	0.50	0.45
74.	2210एम1(1)(2)(3)(7)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 02 102 63 00 52)	18.30	11.21
75.	2210एच.1(1)(1)(1)(5)(3)- मशीनरी तथा उपकरण (2210 05 105 99 87 52)	350.00	0.00
	अनुदान सं.9: उद्योग		
76.	2230सी.2(1)(1)(1)(7)-मोटर वाहनों (2230 01 001 99 00 51)	9.00	11.26
	अनुदान सं.10: विकास		
77.	2403बी.3(1)(1)(8)- मोटर वाहनों (2403 00 001 99 00 51)	9.00	2.57
78.	2405डी.5(2)(1)(5)- मशीनरी तथा उपकरण (2405 00 101 88 00 52)	1.00	0.99
79.	2711डी.3(2)(1)(1)- मशीनरी तथा उपकरण, उपस्कर तथा संयंत्र (2711 03 052 99 00 52)	1.00	1.00
80.	2711डी.3(1)(2)(1)- मशीनरी तथा उपकरण, उपस्कर तथा संयंत्र (2711 01 052 99 00 52)	2.00	0.80
81.	2070 00 800 64 99 52	0*	5.98
	अनुदान सं.11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग		
82.	2059बी.1(1)(2)-निर्माण (2059 80 051 00 00 53)	380.00	437.00
83.	2216बी.2(1)(1)(1)-निर्माण (2216 01 106 98 00 53)	120.00	108.01
	कुल	17047.35	13470.69

परिशिष्ट -2.12

(पैराग्राफ 2.7 को देखें)

संसद/विधायिका के पूर्व अनुमोदन के बिना निकायों/प्राधिकरणों के सहायता अनुदान के प्रावधान में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की सं. व नाम	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	पुनर्विंयोजन	कुल अनुदान/विनियोजन	पुनर्विंयोजन हेतु कारण
	अनुदान सं.6: शिक्षा					
1.	2202 ए.1(1)(1)(1)(1)-एससीईआरटी को सहायता अनुदान (सीएसएस) (2202 01 107 85 99 31)	9.28	0.01	6.55	15.84	भा.स. से अधिक निधियों की प्राप्ति के कारण
2.	2202 ए.1(1)(3)(1)(1)-सहायता अनुदान (2202 01 103 99 99 31)	220.00	0.01	39.99	260.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करना
3.	2203 बी.1(5)(3)- नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता अनुदान (2203 00 112 75 00 31)	37.00	1.51	2.69	41.20	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
4.	2205एफ.2(1)(4)-संस्कृत अकादमी को अनुदान (2205 00 102 94 00 31)	2.30	0	0.21	2.51	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
5.	2205एफ.2(1)(5)-सिंधी अकादमी को अनुदान (2205 00 102 89 00 31)	2.20	0.50	0.03	2.73	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
6.	2205एफ.2(1)(6)-साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान सामान्य अनुदान (2205 00 102 87 00 31)	7.77	0	0.09	7.86	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
7.	2205एफ.2(1)(10)- राजकीय समारोहों को आयोजित करने हेतु साहित्य कला परिषद को सहायता अनुदान (2205 00 102 79 00 31)	4.09	0.01	11.90	16.00	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
8.	2205एफ.2(1)(20)-लाईफटाईम अचीवमेन्ट अवार्ड हेतु एस के पी को सहायता अनुदान (अनुदान हेतु माँगों में मूल रूप से प्रावधान नहीं किया गया)	0	0.01	0.42	0.43	एस के पी को अधिक अनुदान के कारण
9.	2202 जे.1(1)(1)(1)- डिग्री कॉलेजों को सहायता अनुदान (2202 03 104 81 00 31)	76.20	0.01	23.29	99.50	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
10.	2202 जे.1(1)(3)(3)- राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को सहायता अनुदान (2202 03 102 89 00 31)	12.00	0.01	099	13.00	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
	अनुदान सं. 7: चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य					
11.	2210 ए.1(1)(4)(3)-मानव व्यवहार व सम्बद्ध विज्ञान संस्थान को सहायता अनुदान (2210 01 110 63 00 31)	56.00	1.00	8.00	65.00	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
12.	2210 ए.1(1)(5)(6)-स्वास्थ्य प्रयोजनों हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (2210 01 800 99 00 31)	87.30	1.00	19.00	107.30	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
13.	2210 ए.1(3)(2)(11)-मलेरिया व डेंगू	34.70	1.00	4.00	39.70	अधिक अनुदान निर्गत

	नियंत्रण कार्यक्रम हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (2210 06 101 50 00 31)					किए जाने के कारण
14.	2210 ए.1(3)(3)(7)- गुर्दे व पैत्तिक विज्ञान संस्थान हेतु सहायता अनुदान (2210 06 800 82 00 31)	169.00	1.00	10.00	180.00	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
	अनुदान सं.8: समाज कल्याण					
15.	3055डी.3(3)(3)- घाटा कम करने हेतु दि.प.नि. को सहायता अनुदान (अनुदान की माँगों में मूल रूप से प्रावधान नहीं)	460.00	0.01	68.99	529.00	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
16.	3452ई.1(1)(1)(1)- दिल्ली पर्यटन व परिवहन विकास निगम को पर्यटक सूचना केन्द्र सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता अनुदान (3452 01 190 97 00 31)	0.25	0.01	0.44	0.70	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
17.	3452 ई.1(1)(1)(5)-सईद-उद अजायब में पर्यटन काम्प्लेक्स का निर्माण (सीएसएस) (3452 01 190 77 00 31)	0	0.01	0.49	0.50	भा.स. से निधियों की प्राप्ति के कारण
18.	3452 ई.1(2)(3)(12)-दि.प.प.वि.नि. को दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में नई सुविधाओं हेतु सहायता अनुदान (सीएसएस) अनुदान की मागों में मूल रूप से प्रावधान नहीं	0	0.01	0.57	0.58	भा.स. से निधियों की प्राप्ति के कारण
	अनुदान सं.9: उद्योग					
19.	2230सी.2(1)(4)(2)-दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (2230 01 800 79 00 31)	0.25	0.01	0.07	0.33	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
20.	2230सी.2(1)(4)(4)-दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड को श्रमिक कल्याण केन्द्रों के निर्माण/नवीनीकरण हेतु सहायता अनुदान (2230 01 800 73 00 31)	0.10	0.01	0.04	0.15	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
	अनुदान सं.10: विकास					
21.	2415बी.6(1)(2)(1)-एसपीसीए को सहायता अनुदान (2415 03 120 99 00 31)	1.09	0.03	0.13	1.25	एसपीसीए को अधिक अनुदान के कारण
22.	2501पी.3(1)(1)(2)-महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर काम्बैटिंग क्लाइमेट चैंज को सहायता अनुदान (एमजीआईसीसीसी) (2501 04 105 96 00 31)	2.60	0	0.20	2.80	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
	अनुदान सं.11: शहरी विकास एवं लोक निर्माण विभाग					
23.	2216 ए.7(1)(1)(1)-रात्रि आश्रयों के निर्माण हेतु दि.न.नि. (मलिन बस्ती) को अनुदान (2216 80 190 95 00 31)	2.80	0.01	3.99	6.80	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
24.	2216 ए.7(1)(1)(3)-डीएसआईडीसी को कमजोर वर्गों के लिए आवासों के निर्माण हेतु अनुदान (जेएनएनयूआरएम) (2216 80 190 92 00 31)	150.00	0.01	299.99	450.00	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण
25.	2217 ए.8(2)(1)(3)-सफाई और स्वच्छता सेवाओं के यन्त्रीकरण और सुदृढ़ीकरण हेतु	175.80	0.01	79.99	255.80	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के

	दि.न.नि. को सहायता अनुदान (2217 80 191 22 00 31)					कारण
26.	2217 ए.8(2)(1)(7)-सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (2217 80 191 53 00 31)	25.00	0.01	34.99	60.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
27.	2217 ए.8(2)(1)(10)-पे एण्ड यूज जनसुविधा काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु दि.न.नि. (मलिन बस्ती) को सहायता अनुदान (2217 80 191 36 00 31)	3.00	0.01	1.99	5.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
28.	2217 ए.8(2)(1)(12)-सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु दि.न.नि. (मलिन बस्ती) को सहायता अनुदान (2217 80 191 35 00 31)	5.00	0.01	0.99	6.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
29.	2217 ए.8(2)(1)(14)-उद्यान-कृषि विकास के माध्यम से पर्यावरण उन्नयन हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (2217 80 191 31 00 31)	9.00	0.01	5.99	15.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
30.	2217 ए.8(2)(1)(15)-जेजे क्लस्टरों में शिशु वाटिका/सार्वजनिक स्थानों हेतु दि.न.नि. (मलिन बस्ती) को सहायता अनुदान (2217 80 191 30 00 31)	2.00	0.01	2.99	5.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
31.	2217 ए.8(2)(1)(16)-ट्रांस यमुना क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (2217 80 191 44 00 31)	50.00	0.01	9.99	60.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
32.	2217 ए.8(2)(1)(19)- जेजे क्लस्टर और अनधिकृत कॉलोनियों में स्वच्छता हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (वाईएपी-II) (2217 80 191 29 00 31)	1.00	0.01	8.99	10.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
33.	2217 ए.8(2)(3)(3)-धोबी घाटों के निर्माण व सुधार हेतु दि.न.नि. को सहायता अनुदान (एससीएसपी) (2217 80 789 97 00 31)	0.20	0.01	0.79	1.00	दि.न.नि. को अधिक अनुदान निर्गत करने के कारण
34.	2801ई.2(2)(1)(3)-डीईआरसी को सहायता अनुदान (2801 05 800 87 00 31)	9.00	0.01	0.54	9.55	अधिक अनुदान निर्गत किए जाने के कारण

परिशिष्ट -2.13

(पैराग्राफ 2.7 को देखें)

संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना 'आर्थिक सहायता' के प्रावधानों में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन की सं. व नाम	मूल अनुदान/ विनियेजन	पूरक अनुदान/ विनयोजन	कुल अनुदान/ विनयोजन (मूल +पूरक)	पुनर्विनियोजन	कुल विनियोजन से पुनर्विनियोजित राशि का प्रतिशत	पुनर्विनियोजन का कारण
	अनुदान सं. 6: शिक्षा						
1.	2202 ए.1(2)(8)(6)-छात्रों को विद्यालय युनिफॉर्म हेतु आर्थिक सहायता (2202 02 800 40 00 33)	100.00	0.01	100.01	16.99	16.99	अधिक लाभार्थियों के कारण
	अनुदान सं.8: समाज कल्याण						
2.	2235 ए.2(1)(2)(19-मूक व बधिर छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों व युनिफॉर्म हेतु आर्थिक सहायता (2235 02 101 54 00 33)	0.07	0	0.07	0.01	14.29	अधिक लाभार्थियों के कारण
	अनुदान सं.9: उद्योग						
3.	3456डी.1(4)(2)- घरेलू एलपीजी पर उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता (3456 00 103 96 00 33)	0	0.01	0.01	0.49	4900.00	योजना की समुचित प्रगति के कारण
	अनुदान सं.11: शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग						
4.	2801ई.2(2)(1)(2)- डिआईएससीओएमएस के माध्यम से उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता (2801 05 800 88 00 33)	190.00	0.01	190.01	19.99	10.52	उपभोक्ताओं को अधिक आर्थिक सहायता दिये जाने के कारण

परिशिष्ट -2.14
₹ 1.00 करोड़ अथवा अधिक की बचत
(पैराग्राफ 2.8.3 को देखें)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	उप-शीर्ष	कुल बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत	कुल प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में बचत की प्रतिशतता	बचत का कारण
1.	केन्द्रीय कारागार (तिहाड़)	2009-10	2056 ए- 1-कारागार ए- 1(i) निदेशक एवं प्रशासन ए- 1(1) (1) जेल स्थापना	96.80	93.44	3.36	3.47	खाली पदों को नहीं भरने के कारण, कम दावों की प्राप्ति और मितव्ययिता के प्रयास ।
2.	केन्द्रीय कारागार (तिहाड़)	2010-11	2056 ए- 1- कारागार ए-1 (1) निदेशक एवं प्रशासन ए -1(1) (1) जेल स्थापना	96.50	93.36	3.14	3.25	खाली पदों को नहीं भरे जाने एवं यात्रा भत्ता के कम दावों की प्राप्ति के कारण
3.	केन्द्रीय कारागार (तिहाड़)	2011-12	2056 ए- 1- कारागार ए-1 (1) निदेशक एवं प्रशासन ए- 1(1)(1) जेल स्थापना	114.78	111.40	3.43	2.99	21.03.12 के पत्रानुसार पीएसएस को ₹ 15 लाख का बजट वापिस किया, ₹ 38 लाख वेतन (योजनागत), आई.टी. (योजनागत ₹ 20 लाख एवं ओ.ई. (योजनागत) ₹ 140 लाख 29.03.12 के पत्रानुसार ओटीए ₹ 30,000, चिकित्सीय व्यय ₹ 9 लाख, वेतन (योजनागत) ₹ 4 लाख, ओ.ई. (योजनागत) ₹ 38 लाख और 31.03.12 के पत्रानुसार ₹ 3 लाख पीएसएस में ₹ 24 लाख आई.टी. (योजनागत ₹ 1.50 लाख)
4.	केन्द्रीय कारागार (तिहाड़)	2011-12	2056 ए-1(2) जेल निर्माण	15.00	9.99	5.01	33.40	निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जाना ।

5.	नागरिक रक्षा एवं होम गार्ड का निदेशालय	2010-11	2070 बी-1दूसरी प्रशासनिक सेवाएँ बी-1(1)नागरिक रक्षा बी-(1)(1) नागरिक रक्षा एवं होम गार्ड	14.57	11.86	2.71	18.60	खाली पदों को नहीं भरे जाने के कारण, कम दावों की प्राप्ति एवं मितव्ययिता उपाय
6.	नागरिक रक्षा एवं होम गार्ड का निदेशालय	2011-12	2070 बी-1 दूसरी प्रशासनिक सेवाएँ बी-1(1) नागरिक रक्षा बी-(1)(1) नागरिक रक्षा एवं होम गार्ड	15.11	9.95	5.16	34.15	सचिव राजस्व के पास नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण, स्टोर एवं मशीनरी की कम खरीद एवं कम दावों की प्राप्ति
7.	नागरिक रक्षा एवं होम गार्ड का निदेशालय	2011-12	2070बी1(1)(2) नागरिक सुरक्षा का नवीनीकरण (सीएसएस)	1.13	0.01	1.12	99.12	सचिव राजस्व के पास नागरिक सुरक्षा के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण
8.	दिल्ली अग्निशमन सेवा	2009-10	2070 सी-1(1)(2) सुरक्षा एवं नियंत्रण	81.84	62.52	19.32	23.61	पदों, पदाधिकारियों का परिवर्तन, मितव्ययिता उपाय, कुछ समान मदों की गैर-आपूर्ति और अग्निशमन उपकरणों की कम खरीद
9.	दिल्ली अग्निशमन सेवा	2010-11	2070सी1(1)(2) सुरक्षा एवं नियंत्रण (दत्तमत्त)	102.81	79.27	23.54	22.90	खाली पदों को नहीं भरे जाने, कम दावों के प्राप्ति तथा मितव्ययिता उपाय
10.	दिल्ली अग्निशमन सेवा	2011-12	2070 सी-1(1)(2) सुरक्षा एवं नियंत्रण	109.17	80.85	28.32	25.94	डीएसएसबी द्वारा खाली पदों को नहीं भरे जाने के कारण, एवं कम एम एवं ई की खरीद, रखरखाव एवं मरम्त पर कम व्यय तथा दावों की प्राप्ति
11.	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	2010-11	2055 डी-1 पुलिस डी-1(1) फोरेंसिक विज्ञान डी1(1)(1) एफएसआई	12.11	9.26	2.85	23.62	खाली पदों को नहीं भरे जाने के कारण तथा एम एवं ई की खरीदारी के प्रस्ताव को अन्तिम रूप नही दिया जाना
12.	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	2011-12	2055 डी-1 पुलिस डी -1(1) फोरेंसिक विज्ञान डी-1(1)(1) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	16.52	10.03	6.49	39.29	खाली पदों के कारण, कम विदेशी दोड़े कम भंडार की खरीदारी एवं मितव्ययिता उपाय
13.	फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	2009-10	2055-डी1(1)(1) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला	12.36	9.8	2.56	20.71	खाली पदों को नहीं भरे जाने के कारण, पदाधिकारियों के परिवर्तन एवं मितव्ययिता उपाय

परिशिष्ट -2.15
निरंतर बचतें
(पैराग्राफ 2.8.4 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	2009-10		2010-11		2011-12	
		कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान	बचत	कुल प्रावधान	बचत
केन्द्रीय कारागार (तिहाड़)							
1.	2056ए-1(1)(1)(1) योजनागत वेतन गैर-योजनागत	289.00 2900.00	155.43 5.00	211.00 3100.00	39.79 2928.79	750.00 3500.00	496.38 15.67
2.	2056ए-1(1)(1)(5) योजनागत-कार्यालय व्यय	100.00	68.10	179.70	126.26	450.00	202.67
3.	2056ए-1(1)(1)(9) गैर-योजनागत आपूर्ति एवं सामग्री	1150.00	121.21	1200.00	11.05	1450.00	7.27
4.	2056ए-1(1)(1)(10)गैर-योजनागत अन्य खर्चे (दत्तमत्त)	4248.00	279.10	3478.00	155.09	3800.00	1.78
5.	2056ए-1(1)(1)(10)गैर-योजनागत अन्य खर्चे (प्रभारित)	15.00	10.28	22.00	9.89	25.00	7.30
6.	2056ए-1(1)(18) योजनागत आई.टी.	20.00	6.64	100.00	50.69	160.00	21.54
7.	2056ए-1(2) कारागार गैर-योजनागत निर्माण	700.00	57.37	900.00	87.72	1500.00	500.15
8.	2210ए-2(1)(1)(1) गैर-योजनागत केन्द्रीय कारागार अस्पताल	1300.00	10.52	1550.00	4.82	1700.00	12.26
नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड का निदेशालय							
9.	2070बी (1)(1)(1) वेतन	700.00	88.26	650.00	106.09	650.00	229.40
10	2070बी1(1)(1)(3)घरेलू यात्रा भत्ता	4.00	1.35	3.90	2.20	3.50	0.34
11	2070बी (1)(1)(4) कार्यालय खर्चे	97.00	16.85	97.00	14.68	95.00	19.11
12	2070बी (1)(1)(6)मशीनरी उपकरण, टूल्स एवं प्लांट	50.00	39.31	20.00	14.42	20.00	15.12
13	2070बी1(1)(1)(11)चिकित्सा	21.00	0.70	21.00	0.68	25.0	10.52

दिल्ली अग्निशमन सेवा							
14	2070सी-1(1)(1) निदेशन एवं प्रशासन	287.00	66.95	214.00	52.82	228.00	63.62
15	2070सी-1(1)(2) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण (प्रभारित)	20.00	19.39	25.00	20.78	17.50	4.61
16	2070सी-1(1)(3) ट्रेनिंग	329.48	53.79	299.50	12.40	301.00	56.20
17	2070सी-1(1)(2) अग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण (दत्तमत्त)	8184.00	1931.81	10281.00	2353.71	10917.00	2831.18
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला							
18	2055डी-1(1)(1)(1) वेतन						
	योजनागत	168.0	59.34	278.00	16.02	465.00	286.39
	गैस-योजना	300.00	69.30	248.00	2.00	415.50	27.19
19	2055डी-1(1)(1)(3) घरेलू भत्ते						
	योजनागत	2.00	1.28	11.00	3.95	15.00	11.92
	गैस-योजनागत	3.00	0.74	3.00	0.17	7.00	3.00
20	2055डी-1(1)(1)(5)कार्यालय खर्चे						
	योजनागत	350.00	86.19	300.00	1.12	200.00	50.40
	गैस-योजनागत	20.00	9.00	50.00	0.75	250.00	86.35
21	2055डी-1(1)(1)(6) मशीनरी एवं उपकरण						
	योजनागत	350.00	8.69	300.00	257.03	300.00	202.50
22	2055डी-1(1)(1)(8)ओटीए						
	गैस-योजनागत	1.00	0.92	0.50	0.40	0.50	0.50
23	2055डी-1(1)(1)(10) आई.टी.						
	योजनागत	8.00	5.99	3.00	2.15	3.00	0.43
	गैस-योजनागत	5.00	0.82	4.50	2.06	3.00	0.79
24	2055डी-1 (1) (1) (4) विदेश यात्रा खर्चे						
	योजनागत	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	गैस-योजनागत	2.00	2.00	2.00	2.00	2.50	2.50
25	2055डी-1(1)(1)(7) मोटर वहेकिल						
	योजनागत	25.00	16.63	10.00	5.23	10.00	9.06
	गैस-योजनागत	5.00	5.00	5.00	4.68	2.00	1.39

परिशिष्ट -2.16
आंकड़ों में अंतर
(पैराग्राफ 2.8.5 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	उपशीर्ष	विनियोजन लेखों के अनुसार दर्ज किए गए खचे/आँकडे	मासिक प्रगति रिपोर्ट में दर्शाए गए खचे/आंकड़े	अंतर
1	2	3	4	5	(4-5)
1.	2009-10	2056-ए1कारागार (दत्तमत्त)	9986.63	9986.59	0.04
2.	2010-11	2056-ए1केन्द्रीय कारागार प्रभारित दत्तमत्त	 12.11 10148.49	 17.11 10146.64	 -5.00 1.85
3.	2010-11	2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य केन्द्रीय कारागार	1714.06	1714.18	-0.12
4.	2011-12	2210-ए2 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य केन्द्रीय कारागार	1879.87	1878.51	1.37
5.	2009-10	2070-बी1 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ होम गार्ड	1297.38	1286.96	10.42
6.	2010-11	2070-बी1अन्य प्रशासनिक सेवाएँ होम गार्ड	1186.53	1190.86	-4.33
7.	2011-12	2070-बी1 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ होम गार्ड	995.65	996.33	-0.68
8.	2009-10	2070सी-1(1)(1) प्रशासन एवं निदेशन दिल्ली अग्नि शमन सेवा	220.05	213.45	6.60

परिशिष्ट -2.17
अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण
(पैराग्राफ 2.8.6 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	अभ्यर्पित बजट	अभ्यर्पण की तिथि
2056 गैर-योजनागत			
1.	ए-1(2) कारागारों का निर्माण	85.00	31-03-2011
2.	ए-1(1)10 अन्य प्रभार (दत्तमत्त)	158.00	31-03-2011
3.	ए-1(1)10 अन्य प्रभार (प्रभारित)	4.89	31-03-2011
4.	ए-1(1)(1)(6) व्यावसायिक सेवाएँ	0.70	31-03-2011
5.	ए-1(1)(1)3 ओटीए	0.40	31-03-2011
2056 योजनागत			
6.	ए-1(1)(1)(5)कार्यालयी व्यय	71.25	31-03-2011
7.	ए-1(1)(1)(18) सूचना तकनीक	50.69	31-03-2011
2056 गैर-योजनागत			
8.	ए-1(1)(1)(3) ओटीए	0.30	29-03-2012
9.	ए-1(1)(1)(10) अन्य खर्चे (दत्तमत्त)	4.00	29-03-2012
10	ए-1(1)(1)(17)चिकित्सा खर्चे	9.00	29-03-2012
2056 योजना			
11	ए-1(1)(1)(1) वेतन	4.00	29-03-2012
12	ए-1(1)(1)(5) ओ.ई.	38.00	29-03-2012
2056 गैर-योजनागत			
13	ए1(1)(1)(10) अन्य खर्चे (प्रभारित)	3.00	31-03-2012
14	ए-1(1)(1)(6) व्यावसायिक सेवाएँ	3.00	31-03-2012
15	ए-1(1)(1)(6) व्यावसायिक सेवाएँ	15.00	21-03-2012
2056 योजनागत			
16	ए-1(1)(1)(5) कार्यालयी व्यय	24.00	31-03-2012
17	ए-1(1)(1)(18) आई.टी.	1.50	31-03-2012
18	ए-1(1)(1)(1) वेतन	38.00	21-03-2012
19	ए-1(1)(1)(18) आई.टी.	20.00	21-03-2012
20	ए-1(1)(1)(5) कार्यालयी व्यय	140.00	21-03-2012

परिशिष्ट -2.18
व्यय की अधिकता
(पैराग्राफ 2.8.7 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान	कुल व्यय	पिछली तिमाही के दौरान किया गया व्यय	प्रतिशत	मार्च में व्यय	प्रतिशत
2056 गैर-योजनागत केन्द्रीय कारागार तिहाड़								
1.	2009-10	2056ए-1(2) कारागार निर्माण	660.40	642.63	412.91	64	368.87	57
2.	2009-10	2056ए1(1)(1)(7) प्रकाशन	5.00	4.97	4.70	95	3.58	72
2056 योजनागत केन्द्रीय जेल तिहाड़								
3.	2009-10	2056ए-1(1)(1)(4) टी.ई.	1.00	0.19	0.16	80	0.16	80
4.	2009-10	2056ए-1(1)(1)(5) ओ.ई.	100.00	31.90	29.81	93	29.48	92
5.	2009-10	2056ए-1(1)(1)(18) आई.टी.	20.00	13.36	10.64	80	9.81	73
2056 गैर-योजनागत केन्द्रीय कारागार तिहाड़								
6.	2010-11	2056ए-1(1)(1)(10) ओ.सी. प्रभारित	3478.00	3322.91	3311.63	100	3309.62	100
2056 योजनागत केन्द्रीय कारागार तिहाड़								
7.	2010-11	2056ए-1(1)(1)(5) ओ.ई.	179.70	53.44	53.44	100	37.36	70
8.	2010-11	2056ए-1(1)(1)(18) आई.टी.	100.00	49.31	37.01	75	30.41	62
2056 गैर-योजनागत केन्द्रीय कारागार तिहाड़								
9.	2011-12	2056ए-1(1)(1)(10) ओ.सी. योजनागत	3800.00	3798.22	3780.76	100	3773.05	99
10.	2011-12	2056ए-1(1)(1)(8)एम.बी. 5	45.00	9.99	9.99	100	9.99	100
11.	2011-12	2056ए-1(1)(1)(16) वेतन	5.00	4.97	3.28	66	3.28	66
2056 योजनागत केन्द्रीय कारागार तिहाड़								
12.	2011-12	2056ए-1(1)(1)(5) कार्यालयी व्यय	450.00	247.33	220.82	89	219.04	89
13.	2011-12	2056ए-1(1)(1)(18) आई.टी.	160.00	138.46	130.12	94	125.95	91
महानिदेशक होम गार्ड								
14.	2009-10	2070बी1(1)(1)(9) अन्य	1.00	0.64	0.64	100	0.64	100

		प्रभार (प्रभारित)						
15.	2010-11	बी1(1)(3) नागरिक सुरक्षा का पुनर्गठन	20.00	10.36	8.17	79	8.17	79
16.	2011-12	2070बी1 (1) (1) (6) एम एवं ई. यंत्र एवं प्लांट्स	20.00	4.88	3.10	64	3.10	64
गैर-योजनागत 2070 दिल्ली अग्निशम सेवा								
17.	2010-11	2070-सी -1(1)(1)(4) टी.ई.	2.00	0.10	0.10	100	0.10	100
18.	2010-11	2070-सी -1(1)(2)(8) आपूर्ति एवं सामग्री	100.00	98.03	66.72	68	55.73	57
गैर-योजनागत 2070 दिल्ली अग्निशमन सेवा								
19.	2011-12	2070-सी -1(1) (1) (4) टी.ई.	1.00	0.37	0.37	100	0.22	59
20.	2011-12	2070-सी1(1)(2)(5)ओ.ई. (प्रभारित)	13.00	12.89	11.32	88	11.32	88
21.	2011-12	2070-सी -1(1) (2) (6) मरम्मत एवं रख-रखाव	30.00	27.00	27.00	100	27.00	100
22.	2011-12	2070-सी -1(1)(2)(7) मशीनरी एवं उपकरण	80.00	47.53	47.53	100	47.53	100
23.	2011-12	2070-सी -1(1) (3) (4) टी.ई.	15.00	5.02	4.23	84	3.64	73
याजनागत 2070 दिल्ली अग्निशमन सेवा								
24.	2011-12	2070-सी -1(1) (2) (7) मशीनरी उपकरण	920.00	274.05	186.80	68	186.80	68
25.	2011-12	2070-सी -1(1)(2)(12) चिकित्सकीय उपचार	20.00	17.23	12.14	70	8.93	52
26.	2011-12	2070 सी 1 (1)(3)(6) रख-रखाव व मरम्मत	50.00	14.41	14.41	100	14.41	100
गैर-योजनागत 2055 अपराधशास्त्र प्रयोगशाला								
27.	2010-11	2055डी-1(1)(1)(7) मोटर वाहन	5.00	0.32	0.32	100	0.32	100
28.	2010-11	2055 डी -1(1)(1)(10) आई टी	4.50	2.44	2.45	100	2.45	100
29.	2009-10	2055 डी -1(1)(1) (9) चिकित्सा	2.00	0.36	0.36	100	0.36	100
30.	2009-10	2055 डी -1(1)(1)(8)ओ.टी.ए.	1.00	0.08	0.06	75	0.06	75
31.	2011-12	2055 डी -1(1)(1)(7) मोटर वाहन	2.00	0.61	0.61	100	0.34	56

परिशिष्ट -2.19
अवास्तविक बजटिंग
(पैराग्राफ 2.8.8 को देखें)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	वर्ष	उपशीर्ष	कुल प्रावधान	व्यय न किया गया प्रावधान
केन्द्रीय कारागार (तिहाड़)				
1.	2010-11	2056-ए-1(1)(1)(1)(8) मोटर वाहन गैर-योजनागत	14.00	14.00
डी.जी. होमगार्ड				
2.	2009-10	2070-बी -1(1)(1)(10) किराया, दरें व कर	6.00	6.00
3.	2009-10	2070-बी -1(1)(1)(2) ओटीए	0.10	0.10
4.	2009-10	2070-बी -1(1)(1)(7)मोटर वाहन	16.60	16.60
5.	2010-11	2070-बी -1(1)(1)(2) ओटीए	0.10	0.10
6.	2010-11	2070-बी -1(1)(1)(7) मोटर वाहन	5.00	5.00
7.	2010-11	2070-बी -1(1)(1)(10) किराया, दरें व कर	6.00	6.00
दिल्ली अग्निशमन सेवा				
8.	2009-10	2070सी-1(1)(2)(14) सूचना प्रौद्योगिकी योजनागत	55.00	55.00
9.	2010-11	2070 सी -1(1)(2)(14)सूचना प्रौद्योगिकी योजनागत	75.00	75.00
10.	2010-11	2070 सी -1(1)(2)(1) वेतन भारित गैर-योजनागत	15.00	15.00
11.	2010-11	2070 सी -1(1)(3)(8) आपूर्ति और सामग्री गैर-योजनागत	2.50	2.50
12.	2011-12	2070 सी -1(1)(2)(1) वेतन भारित गैर-योजनागत	5.00	5.00
अपराधशास्त्र प्रयोगशाला				
13.	2009-10	2055डी1(1)(1)(4) यात्रा व्यय विदेश योजनागत गैर-योजनागत	2.00 2.00	2.00 2.00
14.	2010-11	2055 डी -1(1)(1)(4) यात्रा व्यय विदेश योजनागत गैर-योजनागत	2.00 2.00	2.00 2.00
15.	2011-12	2055 डी -1(1)(1)(4) यात्रा व्यय विदेश योजनागत गैर-योजनागत	2.00 2.50	2.00 2.50
16.	2011-12	2055 डी -1(1)(1)(8) ओटीए गैर-योजनागत	0.50	0.50

परिशिष्ट 3.1

(पैराग्राफ 3.1 को देखें)

31 मार्च 2012 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

सहायता अनुदान अनुमोदित करने वाले विभागों/मंत्रालयों का नाम	अनुदान के अनुमोदन की अवधि	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
पीएओ-6	1977-78	23	1016.93	0	0.00	23	1016.93
दि.न.नि. को एलएसजी	1978-79	10	975.46	0	0.00	10	975.46
	1979-80	8	673.06	0	0.00	8	673.06
	1980-81	8	266.68	0	0.00	8	266.68
	1981-82	23	302.95	0	0.00	23	302.95
	1982-83	23	321.10	0	0.00	23	321.10
	1983-84	26	700.55	0	0.00	26	700.55
	1984-85	25	1133.81	0	0.00	25	1133.81
	1985-86	10	344.09	0	0.00	10	344.09
	1986-87	18	1003.24	0	0.00	18	1003.24
	1987-88	16	1645.29	0	0.00	16	1645.29
	1988-89	18	2008.94	0	0.00	18	2008.94
	1989-90	38	8477.60	0	0.00	38	8477.60
	1990-91	52	11284.99	0	0.00	52	11284.99
	1991-92	57	12829.89	0	0.00	57	12829.89
	1992-93	62	13201.58	0	0.00	62	13201.58
	1994-95	0	82302.52	0	0.00	0	82302.52
	1995-96	20	19584.49	0	0.00	20	19584.49
	1996-97	7	14841.36	0	0.00	7	14841.36
	1997-98	10	17034.50	0	0.00	10	17034.50
	1998-99	9	3832.80	0	0.00	9	3832.80
	1999-2000	9	6648.17	0	0.00	9	6648.17
	2000-01	33	36007.18	0	0.00	33	36007.18
	2001-02	43	55220.63	0	0.00	43	55220.63
	2002-03	14	16841.51	0	0.00	14	16841.51
	2003-04	55	39746.33	0	0.00	55	39746.33
	2004-05	8	38283.41	0	0. 00	8	38283.41
	2005-06	78	86049.82	0	0.00	78	86049.82
	2006-07	67	80972.40	0	0.00	67	80972.40
	2007-08	10	94291.83	0	0.00	10	94291.83
	2008-09	3	172009.19	0	0.00	3	172009.19
	2009-10	13	113569.28	0	0.00	13	113569.28
	2010-11	28	228244.68	17	150789.85	11	77454.83
	कुल	**824**	**1161666.26**	**17**	**150789.85**	**807**	**1010876.41**
पीएओ-6	1977-78	7	339.95	0	0.00	7	339.95
न.दि.न.पा. को एलएसजी	1978-79	8	224.15	0	0.00	8	224.15
	1979-80	4	219.05	0	0.00	4	219.05
	1980-81	8	77.50	0	0.00	8	77.50
	1981-82	6	176.17	0	0.00	6	176.17

	1982-83	3	75.63	0	0.00	3	75.63
	1983-84	5	135.21	0	0.00	5	135.21
	1984-85	13	618.85	0	0.00	13	618.85
	1985-86	9	163.06	0	0.00	9	163.06
	1986-87	4	151.00	0	0.00	4	151.00
	1987-88	22	1629.98	0	0.00	22	1629.98
	1988-89	5	151.29	0	0.00	5	151.29
	1989-90	32	1444.91	0	0.00	32	1444.91
	1990-91	7	265.84	0	0.00	7	265.84
	1991-92	43	192.75	0	0.00	43	192.75
	1992-93	48	254.39	0	0.00	48	254.39
	1993-94	53	856.03	0	0.00	53	856.03
	1994-95	40	1104.02	0	0.00	40	1104.02
	1995-96	56	2296.40	0	0.00	56	2296.40
	1996-97	49	2196.04	0	0.00	49	2196.04
	1997-98	6	1005.31	0	0.00	6	1005.31
	1998-99	7	592.39	0	0.00	7	592.39
	1999-2000	2	183.70	0	0.00	2	183.70
	2000-01	3	2122.28	0	0.00	3	2122.28
	2001-02	6	1836.91	0	0.00	6	1836.91
	2002-03	6	1468.50	0	0.00	6	1468.50
	2003-04	30	2389.72	0	0.00	30	2389.72
	2004-05	5	3070.77	0	0.00	5	3070.77
	2005-06	17	2795.14	0	0.00	17	2795.14
	2006-07	2	33.11	0	0.00	2	33.11
	2007-08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2008-09	19	10399.93	0	0.00	19	10399.93
	2009-10	8	12773.52	0	0.00	8	12773.52
	2010-11	7	5895.00	5	3145.00	2	2750.00
(31/03/2008 तक)	कुल	**540**	**57138.50**	**5**	**3145.00**	**535**	**53993.50**
दिल्ली कैण्टोनमेण्ट बोर्ड	1978-79	1	0.24	0	0.00	1	0.24
	1986-87	1	0.24	0	0.00	1	0.24
	1992-93	8	49.64	0	0.00	8	49.64
	1994-95	8	65.14	0	0.00	8	65.14
	1995-96	8	90.95	0	0.00	8	90.95
	1996-97	14	155.47	0	0.00	14	155.47
	1997-98	8	113.16	0	0.00	8	113.16
	1998-99	7	221.90	0	0.00	7	221.90
	2000-01	14	471.89	0	0.00	14	471.89
	2001-02	14	515.58	0	0.00	14	515.58
	2002-03	14	124.58	0	0.00	14	124.58
	2003-04	14	147.15	0	0.00	14	147.15
	2004-05	4	161.88	0	0.00	4	161.88
	2005-06	2	165.28	0	0.00	2	165.28
	2006-07	1	185.14	0	0.00	1	185.14
	2007-08	1	201.71	0	0.00	1	201.71
	2008-09	2	1078.76	0	0.00	2	1078.76
	2009-10	1	219.70	0	0.00	1	219.70
	2010-11	2	786.00	2	786.00	0	0.00
	कुल	**124**	**4754.41**	**2**	**786.00**	**122**	**3968.41**

दिल्ली विद्युत बोर्ड और पॉवर सैक्टर	1986-87	1	400.00	0	0.00	1	400.00
	1987-88	1	100.00	0	0.00	1	100.00
	1989-90	2	19.76	0	0.00	2	19.76
	1990-91	1	8.09	0	0.00	1	8.09
	1991-92	1	9.15	0	0.00	1	9.15
	1992-93	1	1.81	0	0.00	1	1.81
	1999-2000	1	69.12	0	0.00	1	69.12
	2000-01	5	173.10	0	0.00	5	173.10
	2001-02	6	96510.00	0	0.00	6	96510.00
	2002-03	7	2345.00	0	0.00	7	2345.00
	2003-04	9	6000.50	0	0.00	9	6000.50
	2004-05	4	250.00	0	0.00	4	250.00
	2005-06	5	400.00	0	0.00	5	400.00
	2006-07	4	9549.30	0	0.00	4	9549.30
	2007-08	8	2129.64	0	0.00	8	2129.64
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**56**	**117965.47**	**0**	**0.00**	**56**	**117965.47**
दिल्ली जल बोर्ड	1990-91	1	161.80	0	0.00	1	161.80
	1991-92	1	128.65	0	0.00	1	128.65
	1993-94	1	10.82	0	0.00	1	10.82
	1996-97	7	1822.59	0	0.00	7	1822.59
	1997-98	7	1622.59	0	0.00	7	1622.59
	1998-99	1	0.50	0	0.00	1	0.50
	1999-2000	1	125.00	0	0.00	1	125.00
	2000-01	7	1112.35	0	0.00	7	1112.35
	2001-02	21	6275.00	0	0.00	21	6275.00
	2002-03	25	6050.00	0	0.00	25	6050.00
	2003-04	1	33.59	0	0.00	1	33.59
	2004-05	1	179.61	0	0.00	1	179.61
	2005-06	10	13091.25	0	0	10	13091.25
	2006-07	6	3555.00	0	0.00	6	3555.00
	2007-08	2	10458.63	0	0.00	2	10458.63
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2009-10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2010-11	24	160807.00	23	158111.65	1	2695.35
	कुल	**116**	**205434.38**	**23**	**158111.65**	**93**	**47322.73**
भूमि और भवन निर्माण विभाग डीडीए हेतु	1979-80	1	8.00	0	0.00	1	8.00
	1980-81	5	182.25	0	0.00	5	182.25
	1981-82	5	350.81	0	0.00	5	350.81
	1982-83	2	345.00	0	0.00	2	345.00
	1984-85	16	2094.52	0	0.00	16	2094.52
	1985-86	23	3180.90	0	0.00	23	3180.90
	1986-87	24	3259.25	0	0.00	24	3259.25
	1987-88	11	3292.41	0	0.00	11	3292.41
	1988-89	11	1528.75	0	0.00	11	1528.75
	1989-90	19	1842.00	0	0.00	19	1842.00
	1990-91	20	1761.50	0	0.00	20	1761.50
	1991-92	10	1366.78	0	0.00	10	1366.78
	1992-93	3	65.12	0	0.00	3	65.12
	1993-94	1	22.00	0	0.00	1	22.00

	2007-08	1	1933.80	0	0.00	1	1933.80
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**152**	**21233.09**	**0**	**0.00**	**152**	**21233.09**
दि.न.नि. हेतु भूमि और भवन निर्माण विभाग	1988-89	10	4672.45	0	0.00	10	4672.45
	1989-90	5	1274.51	0	0.00	5	1274.51
	1990-91	12	5106.76	0	0.00	12	5106.76
	1991-92	10	2517.50	0	0.00	10	2517.50
	1992-93	46	7925.00	0	0.00	46	7925.00
	1993-94	55	7322.58	0	0.00	55	7322.58
	1994-95	18	3023.50	0	0.00	18	3023.50
	1995-96	20	3055.00	0	0.00	20	3055.00
	1996-97	21	9519.00	0	0.00	21	9519.00
	1997-98	12	10869.04	0	0.00	12	10869.04
	1998-99	15	4945.75	0	0.00	15	4945.75
	1999-2000	20	15133.69	0	0.00	20	15133.69
	2000-01	71	14438.79	0	0.00	71	14438.79
	कुल	**315**	**89803.57**	**0**	**0.00**	**315**	**89803.57**
न.दि.न.पा	1993-94	1	32.37	0	0.00	1	32.37
	1996-97	2	35.00	0	0.00	2	35.00
	1997-98	1	30.00	0	0.00	1	30.00
	कुल	**4**	**97.37**	**0**	**0.00**	**4**	**97.37**
डी.यू.एस.आई.बी.	2010-11	8	6674.19	8	6674.19	0	0.00
	कुल	**8**	**6674.19**	**8**	**6674.19**	**0**	**0.00**
डीएसआईआईडीसी	**2010-11**	3	21200.00	1	5539.33	2	15660.67
	कुल	**3**	**21200.00**	**1**	**5539.33**	**2**	**15660.67**
पीएओ 6	**कुल जोड़**	**2142**	**1685967.24**	**56**	**325046.02**	**2086**	**1360921.22**
पीएओ-9	1998-99	1	20.00	0	0.00	1	20.00
पर्यटन विभाग	1999-2000	2	3.37	0	0.00	2	3.37
परिवहन विभाग	2001-02	1	9.19	0	0.00	1	9.19
जो अब पर्यटन विभाग में है,	2002-03	0	0.00	0	0.00	0	0.00
से शेष	2003-04	2	37.24	0	0.00	2	37.24
	2004-05	4	478.13	0	0.00	4	478.13
	2005-06	2	68.00	0	0.00	2	68.00
	2006-07	1	215.00	0	0.00	1	215.00
	2007-08	1	625.00	0	0.00	1	625.00
	2008-09	1	1606.00	0	0.00	1	1606.00
	2009-10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2010-11	1	982.00	0	0.00	1	982.00
	कुल	**16**	**4043.93**	**0**	**0.00**	**16**	**4043.93**
	कुल जोड़	**16**	**4043.93**	**0**	**0.00**	**16**	**4043.93**
पीएओ-10	2007-08	1	5.00	0	0.00	1	5.00
खाद्य एवं आपूर्ति	2009-10	2	5.41	0	0.00	2	5.41
	2010-11	1	5.00	0	0.00	1	5.00
	कुल	**4**	**15.41**	**0**	**0.00**	**4**	**15.41**
योजना विभाग	2007-08	1	5.40	0	0.00	1	5.40
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**1**	**5.40**	**0**	**0.00**	**1**	**5.40**
श.वि. विभाग	2002-03	1	0.60	0	0.00	1	0.60
	2004-05	9	422.55	0	0.00	9	422.55
	2005-06	8	19.45	0	0.00	8	19.45

	2006-07	21	2197.43	0	0.00	21	2197.43
	2007-08	22	776.31	0	0.00	22	776.31
	2008-09	4	10.73	0	0.00	4	10.73
	2009-10	2	189.05	0	0.00	2	189.05
	2010-11	5	653.49	0	0.00	5	653.49
	कुल	**72**	**4269.61**	**0**	**0.00**	**72**	**4269.61**
दि.स.का. (केन्द्रीय जिला)	2004-05	2	0.32	0	0.00	2	0.32
	2005-06	6	0.99	0	0.00	6	0.99
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	**8**	**1.31**	**0**	**0.00**	**8**	**1.31**
पर्यावरण विभाग	2004-05	3	43.40	0	0.00	3	43.40
31.3.08 तक	2005-06	12	179.11	0	0.00	12	179.11
	2006-07	20	229.53	0	0.00	20	229.53
	2007-08	1	10.00	0	0.00	1	10.00
	2008-09	3	125.00	0	0.00	3	125.00
	2009-10	3	245.00	0	0.00	3	245.00
	2010-11	3	442.33	0	0.00	3	442.33
	कुल	**45**	**1274.37**	**0**	**0.00**	**45**	**1274.37**
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग	2004-05	1	0.20	0	0.00	1	0.20
	2005-06	7	11.77	0	0.00	7	11.77
	2006-07	96	520.82	0	0.00	96	520.82
	2007-08	107	2400.02	0	0.00	107	2400.02
	2008-09	55	1819.52	0	0.00	55	1819.52
	2009-10	82	2835.35	0	0.00	82	2835.35
	2010-11	79	4545.14	12	872.61	67	3672.53
	कुल	**427**	**12132.82**	**12**	**872.61**	**415**	**11260.21**
अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के कल्याण हेतु निदेशालय	1977-78	2	0.16	0	0.00	2	0.16
	1978-79	1	8.00	0	0.00	1	8.00
	1979-80	6	0.74	0	0.00	6	0.74
	1982-83	1	0.09	0	0.00	1	0.09
	1984-85	5	0.05	0	0.00	5	0.05
	1986-87	2	0.10	0	0.00	2	0.10
	1987-88	1	0.02	0	0.00	1	0.02
	1988-89	2	0.34	0	0.00	2	0.34
	1989-90	12	1.87	0	0.00	12	1.87
	1990-91	2	0.14	0	0.00	2	0.14
	1991-92	17	402.79	0	0.00	17	402.79
	1992-93	49	461.22	0	0.00	49	461.22
	1993-94	46	326.09	0	0.00	46	326.09
	1994-95	28	4.13	0	0.00	28	4.13
	1995-96	21	3.51	0	0.00	21	3.51
	2000-01	3	15.08	0	0.00	3	15.08
	2004-05	3	84.19	0	0.00	3	84.19
	2005-06	1	41.87	0	0.00	1	41.87
	2006-07	5	154.93	0	0.00	5	154.93
	2007-08	2	42.00	0	0.00	2	42.00
	2008-09	2	7.72	0	0.00	2	7.72
	2009-10	7	832.00	0	0.00	7	832.00
	2010-11	4	136.00	1	25.00	3	111.00
	कुल	**222**	**2523.04**	**1**	**25.00**	**221**	**2498.04**
संयुक्त निदेशक, कृषि	2000-01	1	38.00	0	0.00	1	38.00

	2002-03	1	40.00	0	0.00	1	40.00
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
विकास विभाग	कुल	2	78.00	0	0.00	2	78.00
जी.ए.डी.	2007-08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2010-11	1	50.00	0	0.00	1	50.00
	कुल	1	50.00	3	425.00	1	50.00
आई टी विभाग	2006-07	1	13.40	0	0.00	1	13.40
	2007-08	1	400.00	1	400.00	0	0.00
	2008-09	2	1254.86	1	254.00	1	1000.86
	2009-10	4	3609.68	0	0.00	4	3609.68
	2010-11	1	4000.00	0	0.00	1	4000.00
	कुल	9	9277.94	2	654.00	7	8623.94
ए.आर. विभाग	2008-09	1	500.00	0	0.00	1	500.00
	2009-10	1	95.17	1	0.00	1	95.17
	कुल	2	595.17	1	0.00	2	595.17
विधि विभाग	2009-10	1	100.00	0	0.00	1	100.00
	2010-11	3	375.00	0	0.00	3	375
	कुल	4	475.00	0	0.00	4	475.00
बिजली विभाग	2010-11	4	14348.25	0	0.00	4	14348.25
	कुल	4	14348.25	0	0.00	4	14348.25
	कुल जोड़	801.00	45046.32	15.00	1551.61	786	43494.71
पीएओ-11	2005-06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आर.डी. (दि.न.नि.)	2006-07	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2007-08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पशु पालन	2006-07	3	128.80	0	0.00	3	128.80
	2008-09	3	133.26	0	0.00	3	133.26
विभाग स्व.से.सं.	कुल	6	262.06	0	0.00	6	262.06
सी.पी.ओ. (दि.स.क.)	2005-06	4	0.87	0	0.00	4	0.87
	2006-07	1	0.35	0	0.00	1	0.35
	कुल	5	1.22	0	0.00	5	1.22
आर.सी.एल (दि.स.क.)	2008-09	11	142.99	0	0.00	11	142.99
	2009-10	7	243.27	0	0.00	7	243.27
	कुल	18	386.26	0	0.00	18	386.26
पशु कल्याण	2006-07	1	30.00	0	0.00	1	30.00
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	कुल	1	30.00	0	0.00	1	30.00
पशु पालन	2005-06	2	50.00	0	0.00	2	50.00
विभाग (दि.न.नि.)	2006-07	1	70.49	0	0.00	1	70.49
	कुल	3	120.49	0	0.00	3	120.49
दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड	2009-10	3	27.68	0	0.00	3	27.68
	कुल	3	27.68	0	0.00	3	27.68
सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	2005-06	1	70.10	0	0.00	1	70.10
	2010-11	1	100.00	1	100.00	0	0.00
	कुल	2	170.10	1	100.00	1	70.10
समाज कल्याण निदेशालय	2005-06	0	0.00	0	0.00	0	0.00
लैंगिक संसाधन केन्द्र	कुल	0	0.00	0	0.00	0	0.00
एसपीसीए (पशु पालन)	2008-09	2	50.60	0	0.00	2	50.60
	2009-10	4	143.46	0	0.00	4	143.46

	2010-11	2	109.00	2	109.00	0	0.00
	कुल	8	303.06	2	109.00	6	194.06
परिवार कल्याण निदेशालय	1980-81	2	4.54	0	0.00	2	4.54
	1981-82	1	12.72	0	0.00	1	12.72
	1982-83	3	1.71	0	0.00	3	1.71
	1984-85	6	2.51	0	0.00	6	2.51
	1985-86	4	4.06	0	0.00	4	4.06
	1986-87	1	11.63	0	0.00	1	11.63
	1988-89	2	1.93	0	0.00	2	1.93
	1989-90	4	2.83	0	0.00	4	2.83
	1990-91	2	2.62	0	0.00	2	2.62
	1991-92	7	3.56	0	0.00	7	3.56
	1992-93	1	1.14	0	0.00	1	1.14
	1993-94	49	265.04	0	0.00	49	265.04
	1994-95	5	26.90	0	0.00	5	26.90
	1995-96	3	23.43	0	0.00	3	23.43
	1996-97	4	13.24	0	0.00	4	13.24
	1997-98	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1998-99	1	3.38	0	0.00	1	3.38
	1999-2000	2	313.39	0	0.00	2	313.39
	2000-01	5	1006.98	0	0.00	5	1006.98
	2001-02	14	15.58	0	0.00	14	15.58
	2002-03	1	3.35	0	0.00	1	3.35
	2003-04	5	85.92	0	0.00	5	85.92
	2004-05	13	2044.29	0	0.00	13	2044.29
	2005-06	17	107.34	0	0.0	17	107.34
	2006-07	17	101.88	0	0.00	17	101.88
	2007-08	16	868.64	0	0.00	16	868.64
	2008.09	14	284.32	0	0.00	14	284.32
	2009-10	42	238.47	0	0.00	42	238.47
	2010-11	02	2000.00	2	2000.00	0	0.00
	कुल	243	7451.40	2	2000.00	241	5451.40
	कुल जोड़	289	8752.27	5	2209.00	284	6543.27
पीएओ-14	2008-09	2	200.00	2	200.00	0	0.00
	2009-10	2	250.00	2	250.00	0	0.00
	2010-11	2	280.00	2	280.00	0	0.00
डी.एल.एस.ए.	कुल	6	730.00	6	730.00	0	0.00
डायरेक्टरेट ऑफ आई.एस.एम. एण्ड एच	2002-03	1	0.75	0	0.00	1	0.75
	2005-06	2	9.70	0	0.00	2	9.70
	2007-08	2	255.00	2	255.00	0	0.00
	2008-09	4	302.09	4	302.09	0	0.00
	2009-10	3	3511.00	1	1886.00	2	1625.00
	2010-11	4	2749.63	2	672.63	2	2077.00
	कुल	16	6828.17	9	3115.72	7	3712.45
समाज कल्याण निदेशालय	1987-88	4	2.27	0	0.00	4	2.27
	1988-89	4	6.85	0	0.00	4	6.85
	1989-90	7	21.55	0	0.00	7	21.55
	1990-91	4	9.12	0	0.00	4	9.12
	1991-92	4	3.85	0	0.00	4	3.85

	1992-93	6	5.23	0	0.00	6	5.23
	1993-94	5	195.92	0	0.00	5	195.92
	1994-95	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	1995-96	8	137.67	0	0.00	8	137.67
	1996-97	17	893.36	0	0.00	17	893.36
	1997-98	4	187.36	0	0.00	4	187.36
	1998-99	5	44.08	0	0.00	5	44.08
	1999-2000	2	13.68	0	0.00	2	13.68
	2000-01	1	3.24	0	0.00	1	3.24
	2001-02	1	10.00	0	0.00	1	10.00
	2002-03	5	32.19	0	0.00	5	32.19
	2003-04	1	7.32	0	0.00	1	7.32
	2004-05	4	10.74	0	0.00	4	10.74
	2005-06	137	508.05	0	0.00	137	508.05
	2006-07	739	1007.75	0	0.00	739	1007.75
	2007-08	20	31.16	16	10.29	4	20.87
	2008-09	36	124.17	12	0.86	24	123.31
	2009-10	24	159.75	13	86.96	11	72.79
	2010-11	29	169.44	4	53.59	25	115.85
	कुल	**1067**	**3584.75**	**45**	**151.70**	**1022**	**3433.05**
31-03-2008 तक	**कुल जोड़**	**1089**	**11142.92**	**60**	**3997.42**	**1029**	**7145.50**
पीएओ-24	1977-78	3	0.44	0	0.00	3	0.44
स्वास्थ्य सेवाएँ निदेशालय	1979-80	8	31.35	0	0.00	8	31.35
	1980-81	4	36.71	0	0.00	4	36.71
	1981-82	1	39.96	0	0.00	1	39.96
	1982-83	2	42.56	0	0.00	2	42.56
	1983-84	10	12.28	0	0.00	10	12.28
	1984-85	9	43.96	0	0.00	9	43.96
	1985-86	5	6.36	0	0.00	5	6.36
	1986-87	6	479.27	0	0.00	6	479.27
	1987-88	5	17.92	0	0.00	5	17.92
	1988-89	5	216.72	0	0.00	5	216.72
	1989-90	13	682.68	0	0.00	13	682.68
	1990-91	8	710.81	0	0.00	8	710.81
	1991-92	6	8.20	0	0.00	6	8.20
	1992-93	12	292.65	0	0.00	12	292.65
	1993-94	11	201.36	0	0.00	11	201.36
	1994-95	4	1.83	0	0.00	4	1.83
	1995-96	5	174.58	0	0.00	5	174.58
	1996-97	9	176.14	0	0.00	9	176.14
	1997-98	7	233.33	0	0.00	7	233.33
	1998-99	12	271.87	0	0.00	12	271.87
	1999-2000	5	68.65	0	0.00	5	68.65
	2000-01	6	115.21	0	0.00	6	115.21
	2001-02	5	27.13	0	0.00	5	27.13
	2002-03	11	93.92	0	0.00	11	93.92
	2003-04	1	10.00	0	0.00	1	10.00
	2004-05	13	140.63	0	0.00	13	140.63
	2005-06	2	128.00	0	0.00	2	128.00
	2009-10	1	1300.45	0	0.00	1	1300.45
	2010-11	27	42611.25	4	24385.67	23	18225.58

	कुल	**216**	**48176.22**	**4**	**24385.67**	**212**	**23790.55**
उद्योग विभाग	1996-97	1	22.52	0	0.00	1	22.52
	1997-98	2	27.29	0	0.00	2	27.29
	1998-99	3	59.52	0	0.00	3	59.52
	1999-00	6	75.82	0	0.00	6	75.82
	2000-01	1	40.00	0	0.00	1	40.00
	2001-02	2	23.00	0	0.00	2	23.00
	2002-03	1	25.00	0	0.00	1	25.00
	2003-04	3	634.00	0	0.00	3	634.00
	2004-05	5	1772.37	0	0.00	5	1772.37
	2005-06	4	74.87	0	0.00	4	74.87
	2007-08	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2008-09	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	2009-10	2	3015.97	0	0.00	2	3015.97
	2010-11	4	8529.50	3	1076.50	1	7453.00
	कुल	**34**	**14299.86**	**3**	**1076.50**	**31**	**13223.36**
	कुल जोड़	**250**	**62476.08**	**7**	**25462.17**	**243**	**37013.91**

परिशिष्ट 3.2

(पैराग्राफ 3.3 को देखें)

लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

क्र.सं.	निकायों के नाम	विलम्ब की अवधि	जिस वर्ष तक के लेखें जमा कराए गए	जिस अवधि तक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टें जारी की गईं	विधायिका में की प्रस्तुति	लेखें प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब	विलम्ब की अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	दिल्ली कल्याण समिति (दि.क.स.)	2004-05 से 2013-14	2010-11	2010-11	-	हाँ	7 महीने
2.	गुरू गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	स्थापना से	2010-11 2011-12	2009-10 2010-11	-	हाँ	7 महीने 3 महीने
3.	दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	2002-03	-	-	-	-	-
4.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएसआईटी)	2002-03 से 2006-07	2006-07	2006-07	-	हाँ	49 महीने
5.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)	स्थापना से	2010-11	2009-10 2010-11	-	हाँ	20 महीने 8 महीने
6.	दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण (डीईआरसी)	स्थापना से	2011-12	2011-12	-	-	-
7.	दिल्ली जल बोर्ड (दि.ज.बो.)	दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 के उपबंध 70(2) के प्रावधानों के अंतर्गत	2005-06	2005-06	-	हाँ	64 महीने
8	इंद्रप्रस्थ प्रौद्योगिकी संस्थान	2008-09	-	-	-	-	-
9	दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड	2010-11	-	-			-

परिशिष्ट 3.3

(पैराग्राफ 3.4 को देखें)

दुरूपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग-वार/अवधि-वार विवरण

(मामले जिनमें मार्च 2012 तक अंतिम कार्रवाही लम्बित थी)

क्र.सं.	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष व अधिक	कुल मामलों की संख्या
1.	दिल्ली विधान सभा	1	-	-	-	-	-	1
2.	प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा विभाग	1	-	-	-	-	-	1
3.	लो.नि.वि.	1	-	-	-	-	-	1
4.	दिल्ली पुलिस	4	1	-	-	-	-	5
5.	समाज कल्याण विभाग	-	1	1	-	-	-	2
6.	चिकित्सालय	7	1	-	-	-	-	8
7.	शिक्षा	1	4	1	-	-	-	6
8.	एन.सी.सी.	2	-	-	-	-	-	2
9.	विविध	3	-	-	-	-	-	3
	कुल	**20**	**7**	**2**	**-**	**-**	**-**	**29**

परिशिष्ट 3.4

(पैराग्राफ 3.4 को देखें)

सरकारी सामान की चोरी, दुरूपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के संबंध में विभाग-वार/श्रेणी-वार विवरण

विभाग का नाम	चोरी के मामले		अपयोजन/सरकारी सामान की हानि		कुल	
	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
दिल्ली पुलिस	1	उल्लेख नहीं	4	3.72	5	3.72
समाज कल्याण विभाग	1	0.40	1	0.01	2	0.41
चिकित्सालय	3	-	5	9.77	8	9.77
शिक्षा	3	0.06	3	0.02	6	0.08
एनसीसी	-	-	2	0.11	2	0.11
दिल्ली विधान सभा	-	-	1	2.58	1	2.58
प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा	1	धनराशि का उल्लेख नहीं	-	-	1	-
लोक निर्माण विभाग	-	-	1	0.05	1	0.05
विविध	3	0.91	-	-	3	0.91
कुल	**12**	**1.37**	**17**	**16.26**	**29**	**17.63**